लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20—शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 1973/16 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 20—*Friday, December* 7, 1973/*Agrahayana* 16, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
385.	ग्वालियर की एक कपड़ा मिल द्वारा अवैध रुप से 60 लाख रुपये की आय	Earning of Rs. Sixty Lakhs e-gally by a Cloth Mill of Gwalior	1-4
387.	फ्रांस द्वारा निवेश	Investment from France .	4.5
388.	कोका कोला निर्यात निगम को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Coca Cola Export Corpn.	5-10
391.	सहायक कम्पनियों की स्थापना करने हेतु राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	Proposal submitted by S.T.C. for setting up of Subsidiary Companies . . .	10-11
396.	उडिसा आयकर सर्किल के एक अधिकारी के घर की तलाशी	Search carried out in House of an Officer of Orissa Income Tax Circle . . .	11
399.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तु सूची और आकस्मिक व्यय की अधिकतम सीमा	Ceiling of Inventories and Contingencies of Public Sector undertakings . . .	11-12
402.	"येन" के अवमुल्यन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	Impact of Devaluation of Yen on Indian Economy . .	12-13

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
383.	डाल्टनगंज (बिहार) के लिये इंडियन एअरलाइन्स की सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Indian Airlines Services to Delton Ganj (Bihar)	13
384.	युगोस्लाविया के आर्थिक दल का दौरा	Visit by Yogoslav Econmic Team	13
386.	वस्त्रों का व्यापार करने वाले देशों के बीच समझौता	Agreement between Textile Trading Countries. . .	14
389.	दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी बोइंग विमान सेवा	Direct Boeing Service between Delhi and Bhubaneswar. .	14

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्यने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked of the floor of the House by him.

1—33 L.S.S,/73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
390.	वष 1972-73 में मछली और इसके उत्पादों का निर्यात	Export of fish and fish products during 1972-73 . . .	14
392.	स्वर्णकारों की मांग	Demands of Goldsmiths . .	14
393.	आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-सूचियां	Price List of Essential Commodities.	15
394.	अंतर्राष्ट्रीय ऊन विपणन एजेन्सी का बनाया जाना	Formation of an International Wool Marketing Agency .	15
395.	रुई का आरक्षित भंडार बनाना	Building up of a Buffer Stock of Cotton	15
397.	अमरीका द्वारा भारत को सूती धागा दिये जाने का प्रस्ताव	Offer of Cotton Yarn to India by U.S.A. . . .	16
398.	पश्चिम जर्मनी द्वारा दीर्घवधि सहायता का वचन	Long Term Aid Commitment by West Germany . .	16
400.	आयकर विभाग द्वारा बाह्य सर्वेक्षण	External survey by Income Tax Department	17
401.	प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ब्याज की भिन्न दरें लागू करने के कार्य में हुई प्रगति	Progress Achieved in Implementation of Differential Rates of Interest to Priority Sectors.	17-18
अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.			
3740.	चीनी अफीम की तस्करी	Smuggling of Chinese Opium . .	18
3742.	स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का कार्यकरण और गैर सरकारी इमारतों के लिये दिया गया किराया	Functioning of Branches of S.B.I. and Rent Paid for Private Buildings . .	19
3743.	मध्य प्रदेश में उदयोगों के विकास के के लिये वित्तिय संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश	Capital invested by Financial Institutions for the Development of Industries in Madhya Pradesh . .	19-20
3744.	रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को दी गई वित्तिय सहायता	Financial Assistance given by reserve Bank of Cooperative Agricultural and Industrial Sectors . . .	20
3745.	राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा मध्य प्रदेश में दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh . . .	20-21
3746.	1972 में नष्ट किये गये खराब नोटों की कीमत	Value of Soiled Notes Destroyed during 1972 . .	21
3747.	स्वर्ण संबंधी करार के समाप्त होने का उसके मूल्यों तथा रुपये की कीमत पर प्रभाव	Impact of Termination of Gold Agreement on prices of Gold and value of Rupee . .	21-22

अता प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3748.	चाय व्यापार निगम द्वारा चाय के निर्यात को बढ़ावा देना	Boosting Tea Export by Tea Trading Corporation . .	22
3749.	भारतीय जूट निगम की स्थापना करने पर पूंजी व्यय	Capital Investement in creation of J.C.I.	22-23
3750.	कर–उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की वसूली	Realisation Taxes, Excise and Customs Duties. . .	23
3751.	मध्य प्रदेश में बनुकरों को धागे का वितरण	Yarn Distribution to Weavers in Madhya Pradesh . .	23
3752.	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में सहकारी गृह निर्माण समिति ों को वित्तिय सहायता दिया जाना	Financial Aid given by L.I.C. Cooperative Housing Societies to Madhya Pradesh .	23-34
3753.	देश में टाइगर सफारी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Tiger Safari Parks in the country . .	24
3754.	जनता से धन जमा करनेवाली लिमिटेड कम्पनि ों पर सरकार का नियंत्रण	Government 's Control over the limited Companies receiving deposits from the public .	24-26
3755.	सरकारी कर्मचारियों के वतन से आयकर की वसूली	Recovery of Income Tax from the Salaries of Government Servant	26-27
3756.	बिजली फेल होने के कारण पालम हवाई अड्डेपर हवाई जहाजों को देशी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का बंद होना	Domesic and International Traffic suspended at Palam Airport due to failure of electricity	27
3757.	मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Air Service between Madras add Port Blair	27
3758.	केन्द्रीय दल द्वारा सूखा एवं बाढ़ों के परिणामस्वरुप हुई हानि का पता लगाने के लिये उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलो का दौरा	Central Team's Visit to Eastern Districts of U.P. for making assessment of loss due to Droughts and Floods . . .	27-28
3759.	औषधियों का बड़ी मात्रा में आयात	Bulk import of drugs .	28
3760.	दिल्ली के एक नगर पार्षद् के घर पर राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाना	Raid by Revenue Intelligence officials on the House of a Municipal Councillor, Delhi.	28
3761.	सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अदक्ष व्यक्तियों की योग्यता की जांच करना	Screening of Incompetent persons in Key positions in Government	28-29

अता प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3762.	पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा असहयोग	Non-cooperation by Officers of Customs at Palam Airport, New Delhi . . .	29
3763.	डाकखानों में लाटरी योजना	Lottery Scheme in Post Offices .	29-30
3764.	हस्तशिल्प विकास निगम	Handicrafts Development Corporation	30
3765.	सोवियत संघ से अखबारी कागज की की सप्लाई	Supply of Newsprint from U.S.S.R.	30-31
3766.	विशेष रोजगार योजनाओं के अंतगत राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ऋण देने के बारे में शिकायतें	Complaints about granting of loans by Nationalised Banks under Special Employment Schemes	31
3767.	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औदयोगिक तथा कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए पंजाब को सहायता देना	Aid to Punjab Government by Commercial Banks for Industrial and Agricultural purposes	31-32
3768.	जापान को झींगा मछली का निर्यात करने वाली एक फर्म द्वारा कम राशि के बीजक बनाया जाना	Under Invoicing by a Firm in Export of Shrimps to Japan	32
3769.	विदेशों में प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान के लिए छात्रों को मुद्रा विनिमय के के जाली परमिट दिया जाना	Issue of Fake Exchange Permits to students for Training or Research Abroad. . .	32
3770.	सूखे के कारण मध्य प्रदेश पर आर्थिक भार पड़ना तथा उसको केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता देना	Burden on Madhya Pradesh due to Drought and Central Assistance therefor . .	32
3771.	आम का निर्यात	Mango Export . . .	32-33
3772.	देश में बने ट्रैक्टरों पर से उत्पादन शुल्क हटाया जाना	Waiving Excise Duty on Indigenous Tractors . .	33
3773.	स्टेट बैंक आफ इंडिया, केरल के अधीन सहकारी संस्थाओं का कायकारण	Functioning of Cooperative Societies under S.B.I., Kerala	33
3774.	ग्लोब मोटर्स, रामबाग, दिल्ली की सम्पति की कथित बिक्री	Alleged sale of Property of Globe Motors, Rambagh, Delhi .	33-34
3775.	शिवमोनी स्टील ट्यूब, बंगलोर के शेयर	Shares of Shivemony Steel Tube, Bangalore.	34
3776.	बम्बई के गोदामों में पड़े अखबारी कागज के रोल	Rolls of Newsprint Lying in Bombay Godowns. . .	34-35
3777.	स्टाफ कारों के प्रयोग के बारे में भारत सरकार के विभागों को निर्देश जारी करना	Issuing of Instructions to Departments of Government of India regarding use of Staff Cars.	35

ता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3778.	पालम हवाई अड्डा स्थित सीमाशुल्क के जनसम्पर्क अधिकारियों द्वारा जनता के साथ कथित असहयोग	Alleged non-cooperation with Public by Public Relation Officers, Palam Air Customs	35
3779.	उत्पादकों से पटसन की निश्चित मात्रा में खरीद	Purchase of specified quantity of Raw Jute from Growers	35-36
3780.	मैसर्ज कोरस इंडिया लिमिटेड द्वार उत्पादन-शुल्क की चोरी	Evasion of Excise Duty by Kores India Limited . . .	36
3781.	कोकाकोला निर्यात निगम द्वारा इक्विटी शेयरों को जारी करना	Issue of Equity shares by Coca Cola Export Corporation .	36
3782.	कोकाकोला निर्यात निगम द्वारा विदेशों को भेजी गई धनराशि	Remittances by Coca Cola Export Corporation . .	37
3783.	भारत व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य वर्ग के व्यापारियों की सहायता करना	Help to Middle Class Traders by India Trade Development Authority . . .	38
3784.	दिल्ली में पकड़ा गया आयातित कपड़ा	Imported Fabrics seized in Delhi	38
3785.	दिल्ली फ्लाईंग क्लब के बंद होने की आशंका	Delhi Flying Club facing closure	39
3786.	अपरिकृत जूट का निर्यात	Export of Raw Jute . .	39
3787.	मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय	Expenditure on Foreign Tours of Ministers . . .	39
3788.	रिवां (मध्य प्रदेश) में हवाई अड्डों का निर्माण-कार्य	Construction work on Airport at Rewa (Madhya Pradesh) .	39-40
3789.	यूरोपीय देशों को कोयला आर गैस के निर्यात का प्रस्ताव	Proposal for Export of Coal and Gas to European Countries .	40
3790.	चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए क्रैश फायर टेन्डरों और बचाव गाड़ियों का खरीदा जाना	Procurement of Crash Fire tenders and rescue vehicles for four International Airports	40
3791.	मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rice in Price Index . .	41
3792.	भारत-अमरीकी व्यापार पर लगे प्रतिबंधो को हटाना	Removing of curbs on Indo-US Trade	41
3793.	बैंक डकैतिया	Bank robberies . . .	41-42
3794.	हशीश की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगना	Unearthing of gang involved in smuggling of hashish .	42-43
3795.	आयकर एकत्रित करने के संबंध में स्वय कर निर्धारण की प्रणाली	Self-assessment system of income-tax collection . .	43-44
3796.	आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of Income tax Department .	44-45

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3797.	1974 के लिये भारत-सोवियत व्यापार समझौता	Indo-Soviet Trade Pact for 1974	45
3798.	अन्य देशों में भारतीय बैंको की शाखायें	Branches of Indian Banks in other countries . . .	45
3799.	रत्नागिरि (महाराष्ट्र) की हवाई पट्टी का अधिग्रहण	Take-over of air strip at Ratnagiri (Maharashtra) . .	46
3800.	हवाई अड्डों पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाने के बारे में की गई कार्यवाही	Steps to provide Airports with necessary Safety contrivances	46
3801.	इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया के स्वतंत्र कार्य करण के लिए टाटा समिति को ज्ञापन	Memorandum to Tata Committee for functoning of Indian Airlines and Air India Independently . .	47
3802.	भारत का विदेश व्यापार	India's Foreign Trade . .	47
3803.	भारत और सुरीनाम के बीच व्यापार	Trade between India and Surinam	48
3804.	नेपाल सीमा पर तस्करी में कमी	Decline in smuggling on Nepal Border	48-49
3805.	मजफ्फरपुर को विमान सेवा सुविधा से वंचित किया जाना	Deletion of Muzaffarpur from Air map	49
3806.	आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax . .	49
3807.	इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को 1972-73 में दिया गया समयोपरिभत्ता	Overtime allowance paid to employees of Indian Air lines during 1972-73	50
3808.	व्यापक राष्ट्रीयकृत बैंक नीति का अपनाया जाना	Adoption of comprehensive Nationalised Bank Policy .	50
3809.	छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सैल	Cell to implement recommendation of Sixth Finance Commission	50
3810.	भारतीय पटसन निगम को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा धन प्रदान करना	Providing of inance by R.B.I. to Jute Corporation of India	50-51
3811.	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए परिक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापना करना	Setting up of Test Laboratories for exportable items . .	51
3812.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की फालतू धनराशि	Surplus funds of Nationalised Banks	51-52
3813.	जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को दिया गया ऋण	Loans given by LIC to Companies	52-54
3814.	छोटे दुकानदारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Sanction of Loans by Nationalised Banks to Petty Shopkeepers.	54

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3815.	काज की गिरी के निर्यात में कमी	Decline in export of cashew kernels	55-56
3816.	भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच शीघ्र वाणिज्य सहयोग करार किये जाने की आवश्यकता	Need of an early conclusion of a commercial co-operation agreement between India and EEC.	56
3817.	नीम के तेल में वायदा व्यापार	Forward Trading in Neem Oil	56
3818.	महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में विद्युतिकरण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने के लिय सिंडीकेट बैंक का प्रस्ताव	Proposal of Syndicate Bank to provide electrification facilities in Sangli and Kolhapur Districts in Maharashtra	57
3819.	लौह अयस्क के निर्यात की समस्यायें	Problems for export of iron ore	57
3820.	किराये पर लिये गये विभिन्न भवनों का रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिया गया किराया	Amount paid by R.B.I. for its different buildings taken on rent	57-58
3821.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों तथा समाज के कमजोर व र्गों को ब्याज की भिन्न भिन्न दरों संबंधी योजना के अंतर्गत धन का दिया जाना	Amount disbursed by Public Sector Banks to small farmers and weaker sections of society under Differential Rates of Interest Scheme . . .	58
3822.	भारत और गुयाना के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Guyana . . .	58-59
3823.	विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from World Bank	59
3824.	औद्योगिक मजदूरों को दिये जाने वाले छंटनी के मुआवजे पर आयकर में छट	Income Tax Exemption on Retrenchment Compensation paid to Industrial Workers.	59
3825.	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jute Industry	59
3826.	राष्ट्रीयकृत बैंको की ऋण नीति	Credit Policy of Nationalised Banks	60
3827.	अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी फेडरेशन	All India Income Tax Employees Federation . .	60
3828.	विदेशी कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन	Evasion of Taxes by Foreign Companies . . .	61
3829.	पश्चिम बंगाल में किसानों को बैंक से अग्रिम धन	Bank Advances to Agriculturists in West Bengal .	61
3830.	75 बड़े व्यापार गृहों से संबंधित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन और करापवंचन	Tax Evasion and Violation of Foreign Exchange Regulations by Companies belonging to 75 large business Houses .	61

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3831.	गत तीन वर्षों में भारतीय पटसन निगम द्वारा अर्जित आय	Profits earned by JCI during the last three years . .	62
3832.	पश्चिम बंगाल आयकर कर्मचारी संघ	West Bengal Income Tax Employees Association .	63
3833.	औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के नान-आपरेशनल कर्मचारियों पर लागू करना	Applicability of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 to Non-operational Staff at Headquarters of I.T.D.C.	63
3834.	जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की बम्बई में हुई बैठक में स्वीकृत संकल्प पर सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Government to the Resolution Adopted in the Meeting of Class I Officers of L.I.C. held in Bombay .	63-64
3835.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण दिया जाना	Advancing of Loans by Nationalised Banks to Weaker Sections	64
3836.	सोने की तस्करी में कमी	Decline in Smuggling of Gold.	64-65
3837.	अपरिष्कृत काजू के वितरण पर नियंत्रण को कठोर किया जाना	Tightening control over distribution of Raw Cashewnuts .	65
3838.	इंडिया सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में उत्पादन	Production in India Security Paper Mills, Hoshengabad .	65-66
3839.	एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा विदेशों में तथा भारत में होटलों को दी गई धन राशि	Money paid to hotels ni foreign countries and in India by India and Indian Airlines	66-67
3840.	राज्य व्यापार निगम द्वारा अरंडी के तेल के निर्यात कर्ताओं/जहाज मालिकों को अधिक मूल्य दिये जाने जाने के बारे में शिकायत	Complaint about high Prices paid to Castor Oil Exporters/ Shippers by S.T.C. . .	67-68
3841.	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मारुति लिमिटेड के अंशधारियों तथा निदेशकों को ऋण तथा स्थान का दिया जाना	Loan and accommodation granted by L.I.C. to shareholders and directors of Maruti Limited . . .	68-69
3842.	किराया-खरीद सौदों में प्रोपोजल फोर्म की मांग के बारे में सरकार का निर्णय	Decision of Government in regard to demanding of proposal forms in Hire-Purchase Transactions . . .	70
3843.	विभाज्य संसाधनों में राज्य का हिस्सा	States share in divisible pool .	70-71
3844.	केरल में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks proposed to be opened in Kerala	71-72
3845.	रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना	Grant of Bonus to Rubber Board Employees . .	72

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3846.	केरल राज्य को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई धनराशि	Amount given by I.F.C. to Kerala State . . .	72-73
3847.	समुद्र तटवर्ती किनारों (बीचेस) का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करने के लिये केरल सरकार से अनुरोध	Request from Kerala Government for Development of Beaches on coastline as Tourist Centres . . .	73-74
3848.	भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण में वृद्धि	Increase in borrowing from Reserve Bank of India .	74
3849.	एशियाई देशों को निर्यात में वृद्धि	Boosting exports to Asian countries.	74
3850.	राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ऋण दिया जाना	Advancing of loans by Nationalised Banks	74-75
3851.	नये करेंसी नोटों को जारी किया जाना	Issuing of New Currency Notes.	75
3852.	राष्ट्रीयकृत बैंको की ब्याज दर में वृद्धि	Increase in Rate of Interest in Nationalised Banks . .	75-76
3853.	अमरिकी सहायता	U.S. Aid	76
3854.	नियंत्रित कपडे की कीमत में वृध्दि	Increasese in the price of controlled cloth . . .	76
3855.	मेवों का आयात व्यापार करने के लिये स्वतंत्र संगठन	Independent organisation for dealing in Import Trade of Dry Fruits	76-77
3856.	बम्बई में एक होटल से निषिद्ध सोनें का जब्त किया जाना	Contraband Gold Seized from a Hotel in Bombay . .	77
3857.	हवाई अड्डों के विकास के लिये कार्यवाही	Steps for development of Airports	78
3858.	नेपाल को सीमेंट और इस्पात का निर्यात	Exports of Cement and Steel to Nepal	78
3859.	गत दो वर्षें में बरामद की गई जाली मुद्रा का मूल्य	Value of Fake Currency Recovered During the Last Two Years . . .	78
3860.	दिल्ली में बरामद किये गये तस्करी माल का मूल्य	Value of smuggled goods seized in Delhi	78
3861.	वित्त मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी	Employees working in the Ministry of Finance . .	79
3862.	गुजरात में तस्करी में माल का बरामद होना	Seizure of Smuggled Goods in Gujarat	79
3863.	अबकारी विभाग द्वारा छापे मारने पर वाराणसी की एक दुकान से बरामद किये गये स्वर्ण आभूषण	Gold ornaments recovered from a shop in Varansai during raid by Excise Department .	79-80
3864.	बिहार के राष्ट्रियकृत बैंकों में जमा की गई राशि	Deposits made in Nationalised Banks in Bihar . .	80
3865.	तस्करी के आरोपों में विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrest of foreigners on charges of smuggling . .	80

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3866.	चाय बोर्ड के ढांचे तथा कार्यप्रणाली में परिवर्तन	Change in constitution and working of Tea Board . .	80-81
3867.	कारखानों को आयातित कच्चे काजू का आबंटन	Allotment of Imported Raw Cashew Nuts to Factories .	81
3868.	प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी	Officers of Preventive Department	81
3869.	सीमा शुल्क अधिकारियों को पुरस्कार देने के लिये मानदंड	Criteria for giving Rewards to Officers of Customs Department	81-82
3870.	दिल्ली और मद्रास के बीच उड़ रहे बोइंग विमान के इंजन में खराबी होना	Engine Trouble in Boeing Aircraft while flying between Delhi and Madras . .	82
3872.	भारत में सोना चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Gold into India	83
3873.	लागत और मूल्य ब्यूरों द्वारा कपड़ा उद्योग के बारे में प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	Submission of Report on Textile Industry by Bureau of Costs and Prices . .	83
3874.	निर्यात नीति संकल्प की क्रियान्विति	Implementation of Export Policy Resolution . .	83-84
3875.	केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Arrears of Central Taxes .	84
3876.	सोने की दोहरी मूल्य प्रणाली के समाप्त किये जाने का भारत पर प्रभाव	Impact of termination of two-tier Gold System on India	85
3877.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में प्रति बैंक द्वारा औसत जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करना	Average Population served per Bank in Himachal Pradesh, Punjab and Haryana . .	85-86
3878.	केन्द्रीय करों की वसूली	Collection of Central Taxes .	86
3879.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Industrial sector in Himachal Pradesh . .	87-88
3880.	पोटाशियम परमैंगनेट के निर्यात के लिए नकदी सहायता	Cash Assistance for Export of Potasium Permanganate	88
3881.	बम्बई से रत्नागिरि तथा बम्बई से कराड और जलगांव तक विमान सेवा	Air Service from Bombay to Ratnagiri and Bombay to Karad and Jalgaon .	88-89
3882.	घातक दुर्घटनाओं से संबंधित विचाराधीन बीमे के दावे	Pending Insurance Claims pertaining to Fatal Accidents	89
3883.	जहानाबाद (गया) स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण के लिये प्राप्त आवेदनपत्र	Loan Applications Received by S.B.I., Jahanabad (Gaya)	89
3884.	स्टेनलेस स्टील तथा नायलन धागे पर उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर	Excise Duty and Other Taxes on Stainless Steel and Nylon Yarn	89-90

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3885.	सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा 10 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दिये गये ऋण	Amount of Loans given to peasants with Land below Ten Acres by Public Sector Financial Institutions .	90
3886.	राष्ट्रियकृत बैंकों में जमा राशियां	Deposit Mobilisation in Nationlised Banks. . . .	90
3887.	औदयोगिक श्रमिकों को दी गई उपदान एवं छंटनी मुआवजे की राशि पर आयकर	Income Tax on Gratuity and Retrenchment Compensation paid to Industrial Workers	90-91
3888.	सभी किस्म के कपड़ों पर सांविधिक कपड़ा नियंत्रण लागू करना	Imposition of Statutory Cloth Control on All Varieties of Cloth	91
3889.	विदेश भेजे गये शिष्टमंडल	Delegations sent Abroad . .	91
3890.	चौथी योजनाविधि के दौरान नन्दन कानन (उडिसा) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Nandan Kanan (Orissa) as a Tourist Centre in Fourth Plan . .	91-92
3891.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विदेशी सहायता	Foreign Aid during Fifth Plan	92-93
3892.	दार्जिलिंग का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना	Scheme to Develop Darjeeling as a Tourist Centre . .	93
3893.	राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के फूलों और विग्स का निर्यात	Export of Roses and Wigs by S.T.C.	93-94
3894.	राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों का आयात	Import of Books by S.T.C.	94
3895.	अभ्रक के निर्यात द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings through Export of Mica .	94
3896.	केरल में 1972 में पर्यटन सप्ताह समारोह	Tourist Week Celebrations in Kerala in 1972 . . .	94-95
3897.	केरल में मछली पकड़ने के ट्रालरों के आयात लाइसेंस का कथित विक्रय/हस्तांतरण	Alleged Sale/Transfer of Import licence for fishing trawlers in Kerala	95
3898.	निर्यात की भारी मांग को पूरा करने लिये काश्तकारों से कच्चे पटसन की विशिष्टि माला में वसूली	Procurement of Specific quantity of raw jute from cultivators to meet heavy export demand	95
3899.	अगरतला में इंडियन एयरलाइंस के सिटी बुकिंग आफिस का स्थान बदला जाना	Shifting of city booking office of Indian Airlines in Agartala	96
3900.	भटकल हवाई अड्डे का विकास	Development of Bhatkal Airport.	96
3901.	रुस में अत्यधिक लोकप्रिय भारतिय वस्तुएं	Indian goods having consumer acceptability in U.S.S.R. .	96

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3902.	स्वतंत्र वायु सुरक्षा संस्था संबंधी निर्णय	Decision on Independent Air Safety Body	97
3903.	कलकत्ता अगरतला मार्ग पर मालवाहक विमान चलाया जाना	Cargo craft on Calcutta-Agartala Route	97
3904.	बिहार में पटसन की एक आधुनिक मिल स्थापित करना	Establishment of a modern Jute Mill in Bihar . . .	97
3905.	जीवन बीमा निगम का कारोबार बढ़ जाने के कारण पालिसीधारियों को दिए जाने वाले बोनस की दर में वृद्धि	Increase in Rate of Bonus to Policy holders as a result of increase in LICs Business .	97-98
3906.	जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में जीवन बीमा पालिसियों के बकाया दावे	Claims on Life Insurance Policies pending in Delhi Division of LIC.	98-99
3907.	बलदेव बैंक आफ ग्वालियर में अनियमितताओं की शिकायतें	Complaints in regard to irregularities in Baldev Bank of Gwalior	99
3908.	1973–74 में ऊन और ऊनी सामान के निर्यात में कमी	Decline in export of wool and woollen materials during 1973-74	100
3909.	दिल्ली हवाई अड्डे के 'पसेंजर टर्मीनल कमप्लेक्स' का विकास कार्य	Development work of 'passenger terminal complex, of Delhi Airport	100
3910.	आगामी तीन वर्षों में बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली जाने वाली नई शाखाएं	New branches proposed to be opened by Nationalised Banks in Bihar during the next three years . . .	100-101
3911.	विश्व बैंक से वित्तिय सहायता	Financial Assistance from World Bank . . .	101
3912.	किसी संस्था के माध्यम से पुस्तकों का आयात	Canalisation of Book Imports	101
3913.	लाभ समवायों (बेनिफिट कम्पनिज) द्वारा लाभ/चिट फंड व्यापार	Indulgence of Benefit Companies into Benefit/Chit Fund Business	101-102
3914.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अनुत्पादक व्यय पर रोक	Curbs on Unproductive Spending on Govt. account and Private Sector . . .	102-103
3915.	अमरिका द्वारा भारत को सूती कपड़े और धागे के अतिरिक्त की अनुमति देने की पेशकश	Offer by U.S.A. to India to permit additional imports of Cotton Fabrics and Yarn	103
3916.	जाली नोटों का परिचालन	Circulation of Fake Notes .	103
3917.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के निष्क्रांतो को दी गई अनुग्रह क्षति पूर्ति	Ex-gratia compensation given to evacuees from former East Pakistan	103-104
3918.	गत अन्त: सत्रावधि के दौरान वाणिज्य मंत्रि द्वारा किये गये विदेशों के दौरे	Foreign visits undertaken by Minister of Commerce during the last inter session period	104-105

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3919.	चावल, गेंहू तथा पटसन व्यापारियों को बैंक-ऋण देने के बारे में बैंकिग संस्थानों को निदेश जारी करना	Issuing of Instructions to Banking Institutions in regard to bank advances to rice, wheat and jute dealers .	105-106
3920.	डियूच मार्क की तुलना म रुपये का अवमूल्यन	Devaluation of Rupee in relation to Deutch Mark . .	106
3921.	सरकारी क्षेत्र में हानि	Losses in Public Sector . .	106-107
3922.	सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने के बारे में तामिलनाडु सरकार का अनुरोध	Request made by Tamil Nadu Government in regard to floating of public loans .	107
3923.	सूती हथकरघा कपड़ों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि की आशायें	Anticipation of sharp increase in exports of cotton Handloom and Textiles . .	107
3924.	भारत-स्विट्सरलैंड ऋण समझौता	Indo-Swiss Loan Agreement .	108
3925.	विदेशों के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with Foreign Countries	108
3926.	राष्ट्रियकृत बैंकों की नई शाखायें	New Branches of Nationalised Banks	108-110
3927.	वर्ष 1972-73 में रुई का आयात	Import of cotton during 1972-73	110
3928.	हथकरथा उद्योग के लिए अध्ययन दल की स्थापना	Setting up of a a Study Team for Handloom Industry .	110
3929.	राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखा खोलना	Opening of New Branches of Nationalised Banks in Rajasthan	111
3930.	1973 और 1974 के दौरान सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पर्यटक विश्राम-गृह	Tourist Rest Houses proposed to be constructed by Government during 1973 and 1974	112
3931.	उदयपुर हवाई अड्डे का विकास और उस/पर उपलब्ध सुविधाएं	Development of and facilities at Udaipur Airport . .	112
3932.	राष्ट्रियकृत बैंकों में प्रयोग में लाई जा रही भाषा	Language used in Nationalised Banks	112-113
3933.	अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों (वर्ल्ड एयर लाइंस) का अपनी पृथक मुद्रा रखने का प्रस्ताव	World Airlines proposal to have their own currency . .	113
3934.	विपणन विकास निधि से सहायता लेने के लिये केरल सरकार द्वारा अनुदान संहिता में परिवर्तन	Modifying Code of Grants by Kerala Government to get Assistance from the Marketing Development Fund. .	113-114
3935.	राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्ज रेयक्स इंडिया के लिये आयातित छः साइजिंग मशीनों का बिना बिके पड़े रहना	Sizing Machines Imported by S.T.C. for Mrs. Rayex India lying unsold . . .	114
3936.	हड्डियों का निर्यात	Export of Bones . . .	114

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3937.	सीमाशुल्क विभाग के कलेक्टरों का सम्मेलन	Conference of Customs Collectors	115
3938.	केरल राज्य में योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशि की स्वीकृति	Amount sanctioned by LIC for Execution of Schemes in the State of Kerala . . .	116-117
3939.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्व निमाड़ जिला (मध्य प्रदेश) में पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Farmers Possessing less than Five acres of land in East Nimar District (Madhya Pradesh) . . .	117
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
	त्रिपुरा में खाद्यान्नो और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता का समाचार।	Reported non-availability of food-grains and other essential commodities in Tripura	
	श्री अजित कुमार सहा	Shri Ajit Kumar Saha .	118-120
	श्री फखरुद्दीनअलि अहमद	Shri F.A. Ahmed. . .	118-122
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	112-23
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	123
	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रुप में	Water (Prevention and Control) of Pollution Bill as Passed by Rajya Sabha.	123
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill . . .	123
	सभा का कार्य	Business of the House .	123-126
	सांविधिक आदेशों की सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में वक्तव्य—	Statement re. delays in laying of Statutory orders . .	
	श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan .	126
	इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य—	Statement by Member re: Indian Airlines Services.	
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	127
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	127-128
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) अध्यादेश, 1973 और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution re: disapproval of Central Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 1973 . . .	
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
र सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संब ी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	131
34 वां प्रतिवेदन	Thirty-fourth Report . .	
एशिया में सामूहिक सुरक्षा के बारे में संकल्प वाद-विवाद स्थगित	Resolution re: Collective Security in Asia—Debate adjourned	131-133
कतिपय वस्तुओं के लिए नकद सहायता और भाडा समीकरण के बारे मे संकल्प—वापस लिया गया—	Resolution re: Freight Equalisation and cash incentives for certain commodities—*Withdrawn*—	133-137
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhury .	140-141
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	137-138
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy . .	138-139
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Shri D. P. Chattopadhyaya .	139-140
श्रमिको को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में संकल्प—	Resolution re: Need-based Minimum wages for Workers—	
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy . .	141
15 अगस्त 1973 के लाल किले में टाइम कैपसूल के साथ भूमि में गाडे गये ऐतिहासिक दस्तावेजों के बारे में चर्चा—	Discussion re: Historical Documents buried with the Time Capsule at the Red Fort on 15-8-1973—	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	142-145
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey .	146

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 7 दिसंबर, 1973/16 अग्रहायण, 1895 (शक)
Friday, December 7, 1973/Agrahayana 16, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Earning of Rs. Sixty Lakhs Illegally by a Cloth Mill of Gwalior

*385. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that a cloth mill of Gwalior earned Rs. 60 lakhs by giving wrong measurement marks on rolls of cloth and dhoties; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। डा० लक्ष्मीनारायण पाँडेय संसद सदस्य से इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि ग्वालियर में एक मिल ने 18 मीटर की वास्तविक लम्बाई के कपड़े के 'थाना' पर 20 मीटर की स्टाम्प लगाकर तथा 20 मीटर की किमत लेकर 60 लाख रु० कमाए। वस्त्रायुक्त से इस मामले की जांच करने तथा सरकार को एक रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

Dr. Laxminarain Pandeya : Mr. Speaker, the bungling is not of ordinary nature. The hon. Minister has tried to hide facts and mislead the House. Such thing happens with almost all the controlled cloth that come in the market and also it is not available. The mill owners deceive in this way. You remember that on 13-11-73 (*interruption*)

I am saying about the wrong statement given by the hon. Minister.

Mr. Speaker : He has not given any statement. He simply said that he has sent the matter for investigation.

Dr. Laxminarain Pandeya : He has given a wrong answer. I want to place again before you the information published in the "Navbharat Times" and quoted by me in the discussion on Textile Committee Bill on 13-11-73.

"Shri Snihal has stated in the Press Conference yesterday that the controlled cloth supplied by the mills in April this year was 8 centimetre less in every one metre. Similarly after measuring rolls of cloth of 20 metres, it was found only 18 metres. The report was lodged with the Police and the complaint was sent to the Textile Commissioner."

He has stated that the matter was sent to the Textile Commissioner. Mr. Speaker, I want your protection in this matter. This matter was brought in this House and Shri Rama Singh Bhai has raised this question here. The hon. Minister is saying that I have only sent complaint, but this is not correct. I want that the hon. Minister clarify the position that the Textile Commissioner has knowledge about it and this has been registered with the Police. When this was registered and now the hon. Minister is saying that this matter is being investigated then what is the position now ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे पास इतनी जानकारी भी नहीं है कि मैं सदन को गुमराह कर सकूं जिसे करने का मेरा तनिक भी विचार नहीं है। मुझे उनसे सूचना मिली है, व स्वयं स्वीकार करते हैं, कि उन्होंने 13 नवम्बर को पत्र लिखा था। शीघ्र ही हमने कपड़ा आयुक्त को इस मामले की जांच करने के लिए लिखा था और जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिल जाती है, मैं इस बारे में आगे और कुछ नहीं कह सकता हूँ।

Dr. Laxminarain Pandeya : I want to know whether it is correct that the controlled cloth, which this mill owner sold, was despatched to different Co-operative stores of Madhya Pradesh including Consumer Co-operative stores of Indore, Co-operative stores of Khargaon etc. The cloth was despatched to these stores and the mill owner tried to get it back so that evidence of it may be spoiled. The police have seized the cloth with the help of measurement inspector. Will you give assurance that the seized cloth will not be returned and you will get the matter investigated fully and take stern action against such unscruplous persons ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको सूचना दी है, आप इस सूचना का उपयोग जांच के लिए कर सकते हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी कि मिल मालिक ने गलत काम किया हैं, हम उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the hon. Minister has knowledge that at the time of producing the cloth and when it is supplied, the Excise department and other different Government servants stamp its price and ensure that the measurement of cloth is correct and only after their ensuring the cloth is supplied outside then whether the Government is contemplating to take any action against Government officials about whom complaints are coming ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जब कोई भी कर्मचारी नियमों के अनुसार स्टैम्प ठीक से लगाने के अपने कर्त्तव्य में लापरवाह पाया जाता है तो हम उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

Shri Nawal Kishore Sharma : Among several bunglings in textile industry, the biggest one is that only forty lakhs metres of cloth have been fixed to cater the need of coarse cloth in our country. I want to know whether he is thinking to increase the quota.

Mr. Speaker : How this question arises?

Shri Madhu Limaye : Excise duty is fined on the basis of length and breadth of cloth and many complaints were lodged in this respect. This is resulting in two kinds of evasion of income. One is evasion of excise duty and since excess income will not be shown in the accounts, so evasion of income tax and corporation tax will take place. The Finance Minister is here. I want to know from the Government whether they will try to increase the income through excise duty, income tax and corporation tax.

Mr. Speaker : This question was asked to the Minister of Commerce and now you are asking from the Finance Minister.

Shri Madhu Limaye *: Some cases have inter-departmental nature. Any Minister can reply to such questions. That is why I mentioned the word Government.

Mr. Speaker : I have no objection.

प्रो डो० पी० चट्टोपाध्याय : मैं यही कह सकता हूँ कि मैं इस टिप्पणी के लिए आभारी हूं, परन्तु यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

Shri Madhu Limaye : What is the objection?

Mr. Speaker : This is suggestion.

Shri Madhu Limaye : This is not a suggestion but a question. I want to know whether the Government would try to enhance its income by detecting these evasions.

Mr. Speaker : I reply to this question. Government must do this.

श्री एस० बी० गिरी : मंत्री महोदय ने कहा है कि जब भी अधिकारियों ने कोई अनियमितताएं की है, उनको दंड दिया गया है। मैं जान सकता हूँ कि इस संबंध में कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से प्रश्न करिए।

प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि यह आम प्रशासनिक प्रक्रिया है कि यदि कोई अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है, विशिष्ट आंकड़े देने के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वसंत साठे : मैं जानना चाहता हूं कि इस मिल के मालिक का नाम क्या है। जब कि सरकार कपड़ा आयुक्त से जानकारी मांग रही है क्या वह इस बीच कपड़ा जब्त करना उत्पादन शुल्क अधिकारियों से जानकारी आदि जैसे कदम उठायेंगी ताकि वे प्रमाण नष्ट न कर सकें ?

श्री डो० पी० चट्टोपाध्याय : हमें मिल का नाम नहीं बताया गया है।

श्री शशि भूषण : ग्वालियर में बिलड़ा मिलों को छोड़कर अन्य कोई मिल नहीं है।

प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय : यदि श्री पांडेय इसका नाम बताते हैं तो मैं सीधे जांच कर सकूंगा, परन्तु मैंने पहिले ही बताया है कि चाहे कोई भी मिल हो, उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री वसंत साठे : यदि उन्हें मिल का नाम मालूम नहीं है तो उन्होंने कपड़ा आयुक्त को किसके विरुद्ध जाँच करने को कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ग्वालियर में एक मिल से संबंधित है। ग्वालियर में जो कोई भी मिल है, उसके बारे में जांच की जायेगी।

Shri Mool Chand Daga : Has the hon Minister went through the application? He may read out the instructions given to the textile Commissioner.

प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय : हमने श्री पांडेय के पत्र के आधार पर कपड़ा आयुक्त को आदेश दिया है कि इस प्रकार का आरोप प्राप्त हुआ है और आप इस मामले की जांच करिए तथा उचित कार्यवाही करिए।

Shri Hukum Chand Kachwai : The question was raised here on 13th November and notice thereof was sent 21 days in advance. I want to know from the hon. Minister whether it is correct that the Measurement department have seized the cloth from the shops in Indore, Khandwa, Khargaon and Mahu and efforts are being made by Birlas to get the stocks released and the matter hushed up ? Will the hon. Minister give an assurance tha the cloth, which the Measurement department has seized will not be released and suitabl action will be taken in this matter ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जब हमें उनके नामों के बारे में जानकारी मिल जाती है, हम तब निश्चित ही सभा को यह बताने की स्थिति में होंगे कि उन मिल मालिकों के विरुद्ध जांच की जायगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This matter has become serious. Notice of this question was sent 21 days in advance. This is not a question based on the letter dated 13th November. You ask the hon. Minister what information he has collected in 21 days. I do not want to ask him because he is not replying to any questions.

Mr. Speaker : You have asked and still you are saying that you do not ask (*Interruption*).

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the meaning of giving notice 21 days in advance (*Interruption*)

Mr. Speaker : The hon. Members should not convert question hour to debating hour.

Shri Sashi Bhushan : If any ordinary trader measure less, than criminal case is filed against him. When such big mill produce and sell cloth of less measurement then criminal case should also be filed against him. If the name of Birla cannot be mentioned in this House then at least the name of Mandeliya can be mentioned. I want to know whether the hon. Minister is prepared to file criminal case against them or not.

Shri Hukum Chand Kachwai : The hon. Minister is not replying. He is evading the questions.

प्रो० डी० पी० चटर्जीपाध्याय : मैंने यह पहिले ही कह दिया है और यह रिकार्ड में है कि जो फर्म दोषी पाई गई है, उनके विरुद्ध सरल कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह सूचना इस प्रश्न के द्वारा 21 दिन पूर्व दी गई थी। इस दौरान इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने शीघ्र ही कपड़ा आयुक्त को उचित आदेश दे दिये थे जो कि इस मामले में हमारी कार्यकारी एजेंसी है। हमारे पास कोई सीधी प्रशासनिक एजेंसी नहीं है। मने पहिले ही सदन को आश्वासन दिया है कि इस फर्म, चाहे उसका नाम कितना भी बढ़ा क्यों न हो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

Investment from France

***387. Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether France has shown its inclination to invest private capital on the development of priority industries in India ;

(b) if so, whether this subject was to be discussed during the recent visit of the Finance Minister of France to India ; and

(c) if so, the outcome hereof ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार को, फ्रांस की सरकार से इस बात का कोई विशिष्ट संकेत प्राप्त नहीं हुआ है कि गैर-सरकारी फ्रांसीसी निवेशकर्ता भारत में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में पुंजी लगाने के इच्छुक हैं। फ़्रांसीसी गणराज्य के वित्त तथा आर्थिक कार्य मंत्री परम श्रेष्ठ श्री एम० वलरी गिसकार्ड डिएस्टेन्ग, की हाल की यात्रा के दौरान, जब उन्होंने हमारे निमंत्रण पर 16 से 19 नवम्बर तक भारत का दौरा किया था, भारत में गैर-सरकारी फ़्रांसीसी पुंजी लगाये जाने के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई।

(ग) उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Shri Shrikrishna Agrawal : Mr. speaker, Sir, a news item was appearred in "Times of India" dated 13th Nov., 1973 that Government of France is inclined to invest money in private sector to overcome the shortage of fertiliser in our country. If no discussion has taken place as yet with the Government of France on the subject does the Government of India intend to do so.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही हमने सरकारी स्तर पर ऋण सुविधाओं के बारे में बातचीत की थी। यह भी संभावना है कि पांचवीं योजना के लिए सरकार द्वारा की गई पेशकश पर कुछ उर्वरक परियोजना के उद्देश्य हेतु विचार किया जाए।

कोका कोला निर्यात निगम को विदेशी मुद्रा का आवंटन

*388. श्री सतपाल कपूर :

श्री शशि भूषण :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल का आयात करने के लिये कोका कोला निर्यात निगम को तदर्थ आधार पर 16 लाख रुपये के मूल्य की निर्बाध विदेशी मुद्रा प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट-काल में उन्हें विदेशी मुद्रा की यह राशि प्रदान की गई है; और

(ग) उपरोक्त तदर्थ लाइसेंसों के कारण लाभ स्वदेश भेजने, मुख्यालय व्यय और क्षेत्र कार्यालय व्यय के रूप में और कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मैसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को सांद्रणों के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के आयात के लिए 1972–73 की अवधि के लिए 16 लाख रु० का वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस प्रदान किया गया है।

Shri Shashi Bhushan : I would like to know from the hon. Minister whether this 16 lakh is for the actual users licence or is it an *adhoc gift* because the actual users licence is supposed to be only of two lakhs rupees. How is it that this actual users licence is increasing since 1958 and under what circumstances this has increased. In view of the Yunus Committee report there should have been a decrease in the actual users licence inspite of it 16 lakh rupees gift has been given to them.

श्री ए० सी० जार्ज : यह कोई उपहार नहीं है। एक अप्रैल 1971 तक मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम को आर० ई० पी० प्रणाली के अन्तर्गत 20 प्रतिशत की आयात संपूर्ति प्राप्त हो रही थी। पर 1 अप्रैल 1971 को यह संपूर्ति कम होकर 4.5 प्रतिशत रह गई। मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम भारत में बोतल बन्दी कार्यों के अतिरिक्त काफी मात्रा में निर्यात भी कर रही है वह लगभग 2 करोड़ रुपये के माल का निर्यात करते है निर्यात क्षमता के अनुसार उन्हें 20 लाख रुपये से अधिक प्राप्त हो रहे थे। आर० ई० पी० प्रणाली के अन्तर्गत वह अपने 22 बोतल संयत्रों के लिए

अपेक्षित सांद्रणों (कंसेंट्रेट) हेतु कच्चे माल का आयात कर रहे थे। 22 बोतल संयंत्र पूर्णतया भारतीय हैं और इसमें लगभग 6000 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा एक लाख से अधिक कर्मचारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बन्धित हैं। जब आयात पात्रता कम की गई तो 22 बोतल संत्रों के लिए कच्चे माल की समस्या उठ खड़ी हुई अत: श्री बालचन्द्रन की अध्यक्षता में ये अन्त: मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया। उन्होंने समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होने यह सिफारिश की उन्हें 16 लाख रुपये का वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस दिया जाए ताकि उनके 22 बोतल संयंत्र का रखरखाव किया जा सके और उन्हें पूरी क्षमता से चलाया जा सके।

Shri Shashi Bhushan : I want to know from the hon. Minister the conventional items which they export ? I also want to know whether the same facilities will be extended to the other bottling plants, if so, how ? Why was this incentive of Rs. 16 lakh given to this company when there is acute shortage of foreign exchange moreover when we are trying to curb foreign monopoly.

श्री ए० सी० जार्ज : जहाँ तक एकाधिकार की बात है वहां एक पृथक प्रश्न है। 1969 और 1971 के बीच इस विशष कम्पनी के आयात निर्यात इस प्रकार रहे। 1969 में 69 लाख रुपये की गैर पारम्परिक मदें निर्यात की गई . . .

श्री शशि भूषण : इस कम्पनी द्वारा किन किन मदों का निर्यात किया गया।

श्री ए० सी० जार्ज : वह कोका कोला बनाने के लिए सांद्रणों कन्सन्ट्रेट का निर्यात करते है। हमें इस कम्पनी के प्रति कुछ दुराग्रह हो सकता है लेकिन तथ्य तो वही रहेंगे। यह कम्पनी 1.65 करोड़ रुपये की राशि के सांद्रणों (कन्सन्ट्रटों) का निर्यात करती है अत: स्वभावत: उन्हें आयात पात्रता प्राप्त है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया उनके 22 बोतल संयंत्रों का रखरखाव करना होगा। उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी। वास्तव में इसे कम करके 4.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 9–4–1973 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया कि कम्पनी अपने निर्यात की 80 प्रतिशत राशि आयात सहित कुल धन वापिसी मुख्यालय व्यय लाभ आदि के रूप में प्राप्त करने के लिए हकदार होंग। अत: इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फिर भी 20 प्रतिशत मुद्रा प्राप्त होंगी।

Shri Madhu Limaye : Answer to part (b) and (c) of the original question has not been given by the hon. Minister. Supplementaries are meant for eliciting further information. They should be replied to.

My question is that this company brought a total of Rs. 6 lakh from abroad and have sent so far Rs. 6 crore in the form of repatriation. The Yunus Committee reduced the replenishment licence from 20 percent to 4½ percent to which the Government agreed why is it then they have been provided the said facility. It also want to know how much money is to be sent abroad on behalf of coca-cola Company and whether the Government will have some uniformity or not ?

श्री ए० सी० जार्ज : बालचन्द्रन समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने समस्या का गहराई से अध्ययन किया है। यह अनुमान लगाया गया था कि कोका कोला बनाने के लिए बोतल संयंत्रों में लगभग 6,96,000 किलो सांद्रणों की आवश्यकता होगी। निर्यात पूरा करने के समय यह पाया गया कि बोतल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 52.89 रुपये प्रति किलों था। यूनुस समिति के सिफारिशों के परिणाम स्वरूप यह प्रतिशतता घट कर 4.5 प्रतिशत रह गई अर्थात यह 16 लाख रुपये के लगभग होगी अत: इसे उपहार नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मुख्य उत्तर को देखा है। उत्तर में प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर भी समाविष्ट है। प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है "यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट काल में उन्हें विदेशी मुद्रा की यह राशि प्रदान की गई है" यह एक सीधासा विवरण है। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को परिस्थितियों के बारे में कुछ और बताना चाहिए था। अन्तत: यह सदस्यों के संतोष के लिए है। क्या यह इतना संक्षिप्त और लघु होना चाहिए था कि इसका आकार प्रश्न के तीसरे हिस्से के बराबर होता। मैंने इसे देखा है। इसे काफी अधिक स्पष्ट होना चाहिए था।

मैंने श्री मधु लिमये का पत्र देखा है : आपने इस सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर आपत्ति की है। यह प्रक्रिया मैंने निर्धारित नहीं की है। यह इस सभा पर निर्भर करता है कि वह यह प्रथा स्वीकार करें या नहीं। आखिरकार यह आपका ही समय है आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई प्रक्रिया है और यदि आप चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जिस ढंग से लिखा है वह निश्चय ही निराशाजनक है।

Shri Madhu Limaye : My allegation is directed towards the Government and not towards you.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने मुझे लिखा है कि सरकार सदस्यों के अधिकारों का धीरे धीरे अतिक्रमण क्यों कर रही है? निश्चय ही जब अध्यक्ष विश्व संसदीय संघ के प्रधान बन गए हैं . . . क्या इस मामले से विश्व संसद का संबंध है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Member should not have said like this but if he had done so, you should not have repeated it.

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तनाव की स्थिति से गुज़र रहा हूं। कृपया भविष्य में मुझे उस प्रकार से नहीं लिखिए। अनेक मतभेद हो सकते हैं किन्तु विश्व संसदीय संघ को इससे कुछ लेना देना नहीं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : प्रश्न काल के दौरान पत्र लिखने की यह प्रथा . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे रोचक पत्र मिलते हैं कि उनकी तुलना में तो यह कुछ भी नहीं है। मुझे एक अत्यंत रोचक पत्र मिला है और कोई अतिमानव ही मुस्कराहट के साथ यह पत्र पढ़ सकता है। मैं श्री बनर्जी, श्री वाजपेयी और श्री मिश्र जी को यह पत्र दिखाने जा रहा हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It should be kept in the time capsule.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि काल पात्र से ऐसी वस्तुऐं निकले जिससे कि लोग सोचे कि स पीढ़ी के पास ऐसी रोचक वस्तुएं भी थी।

श्री हरी किशोर सिंह : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी दो दशकों तक यहां काम करने के बाद भी कोका कोला के 'सार' को आयात करना आवश्यक क्यों समझती है? यह कोनसा 'सार' है जिसका आयात किया जाता है। क्या सरकार ने कभी इसका विश्लेषण किया है? उदाहरण के लिए मुझे पता चला है कि खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले तत्व है कि नहीं मैं जानना चाहता हूं कि जब कोका कोला कम्पनी को लाइसेंस दिया गया था तब इस प्रकार का विश्लेषण किया गया था अथवा नहीं। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : अन्य अंतराष्ट्रीय प्रसिद्ध पेयों की भांति इस कम्पनी के पास भी कुछ व्यापारिक गोपनीय बातें हैं और 'आरेंज आयल' आदि जैसे सुगंधित पदार्थ के मिश्रण के रूप में उनके पास कुछ स्वामित्व प्राप्त तत्व हैं।

जब हम 'सारों' की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि सम्पूर्ण 'सार' का आयात किया जाता है। केवल स्वामित्व प्राप्त तत्वों में से कुछ बुनियादी तत्वों का ही कच्चे माल के रूप में आयात किया जाता है इस कच्चे माल के बारे में भी बालाचन्द्रन समिति ने निर्णय लिया है कि धीरे-धीरे इसकी प्रतिशतता 4.5 प्रतिशत से कम कर के तीन प्रतिशत कर दी जाय।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाइसेंस देने के समय इसका विश्लेषण किया था? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाइसेंस देने के समय इस 'सार' के तत्वों का विश्लेषण किया था अथवा नहीं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण थे?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस संबंध में नहीं था।

एक माननीय सदस्य : आप किसी को रहस्य मत बताइए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि किन परिस्थितियों में 16 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी। अब यदि आप विश्लेषण, स्वाद और रंग आदि के बारे में पूछेंगे तो यह कुछ भिन्न बात होगी। कृपया आप वही प्रश्न पूछिए जो मुख्य प्रश्न से संबद्ध हो।

श्री हरि किशोर सिंह : उन्हें 16 लाख रुपये की मुल्यवान विदेशी मुद्रा दी गई है क्यो कि उन्हें कुछ 'सार' आयात करने थे ऐसा क्यों किया गया। इसे देश में निर्मित क्यों नहीं किया जा सकता। मेरा प्रश्न यह है।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने इसी प्रश्न का पहले उत्तर दिया है। 'सार' मे कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्वामित्व प्राप्त तत्व हैं और जिनका आयात किया जा रहा है।

श्री हरि किशोर सिंह : इसे देश में ही क्यो नहीं बनाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर जी, अभी तक विश्व में किसी विश्लेषण से अभी तक इसके बारे में मालूम नहीं हुआ है। जिस समय भी इसके बारे में मालूम हो जाएगा सारी समस्या हल हो जाएगी।

श्री के० लकप्पा : कोका कोला और अन्य वस्तुओं के बारे में मंत्री महोदय ने इनकी जांच करने वाले विशेषज्ञ समिति अथवा विशेष समिति की बात की है इस कम्पनी को विशेष रियायत दी गई है। एक प्रक्रिया का अनसरण किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने इसकी जांच की थी और उस आधार पर उसे काफी अधिक विदेशी मुद्रा दी गई थी और इस प्रकार से इसे एक विशेष रियायत दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से यह एक विशेष रियायत दी गई है। क्या किसी अन्य पेय को भरने और उसके निर्माण के मामले में विदेशी मुद्रा संबंधी रियायत दी गई है? इन मामलों में भी इस प्रकार की रियायत क्यो नहीं दी गई है। देश के सामने विदेशी मुद्रा की जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए इस कम्पनी को ही इस प्रकार की विशेष रियायत क्यों दी गई है? इस बारे में आरोप लगाए जाने के बावजूद भी ऐसा क्यों किया जाता है? स्थिति इस प्रकार है। यह विदेशी कम्पनी अत्याधिक लाभ कमा रही है और इस लाभ को वह एक अन्य देश को भेज रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी के विरूद्ध आरोप लगाए जाने के बावजूद भी इसे विशेष रियायत क्यों दी गई है। इस बारे में सरकार की मंशा क्या है। क्या सरकार इनी सभी बातों की जांच करने के बाद सारे मामले पर पुर्नविचार करेगी?

श्री ए० सी० जार्ज : इसमें मंशा का कोई प्रश्न नहीं है। जैसाकि मैंने पहले बताया है, इस मामले की जांच एक अत: मंत्रालय समिती ने की थी और इसमें संबद्धी मंत्रालयों, तकनीकी विकास के महानिदेशालय, आर्थिक कार्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बारे में अंत: मंत्रालयीय समिति ने पूरी तरह से चर्चा की थी और इस पर अन्त: मंत्रालय समिती में पूरी तरह चर्चा की गई थी और सभी बातों पर विचार के बाद ही निर्णय किया गया था। शायद सदस्य के मन में कोई भ्रान्ति है, कोका कोला निर्यात निगम इन बाईस बोतलिंग प्लांटों से भिन्न है। उक्त निगम पूर्णतया विदेशी कंपनी है जब कि ये प्लांट सभी भारतीय कंपनिया हैं।

श्री रामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने कहा है कि आयात घटता जा रहा है और कि कन्सन्ट्रेट यहां नहीं बनता और यह पेटेंट शुदा उत्पाद है और कि हम इसे नहीं बना सकते। कोका कोला की खपत बढ़ेगी तो इसका आयात बढ़ेगा ही मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

श्री ए० सी० जार्ज : सदस्य महोदय ने गलत समझा है कि कन्सन्ट्रेट आयात किए जाते हैं। वास्तव में यह निगम यहां के बने कन्सन्ट्रेट निर्यात करता है। वे तो इसके कुछ तत्वों का ही आयात करते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा भी यही आशय था।

श्री ए० सी० जार्ज : उनकी कन्सन्ट्रेट बनाने की क्षमता 11 लाख किलो है जबकि यहां की खपत 6·9 लाख है। गत वर्ष भारत में बने 3 लाख किलो कन्सन्ट्रट का निर्यात किया गया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा आशय था कि देश में खपत बढ़ने पर इन तत्वों के आयात में वृद्धि होगी।

श्री ए० सी० जार्ज : केवल कुछ तत्वों का ही आयात किया जाता है। वर्ष 1972–73 में 16 लाख रुपये के तत्वों का आयात किया गया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया जब कि यह बहुत महत्वपूण प्रश्न है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन तत्वों का आयात घटाया जा रहा है और यदि नहीं तो यह किस गति से बढ़ रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : 1970 में 17.71 लाख रूपये का, 1971 में 17.68 लाख रुपये का और 1972–73 में 16 लाख रुपये से थोडा अधिक का आयात हुआ है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह कसे ?

श्री ए० सी० जार्ज : इन तत्वों के आयात के मामले में भी कुछ तत्वों जैसे नीबू के तत्व और कुछ तेलों का आयात नहीं किया जा रहा है। हम उनपर जोर दे रहे है कि आयातित तत्वों में कमी की जाये। मुख्य तत्वों के आलावा अन्य सभी तत्वों का आयात बन्द किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या हम यह समझे कि भारत सरकार की नीति कोका कोला के पक्ष वाली है, यदि हां, तो कब तक और क्या सरकार इसमें अधिकांश अपने शेयर रखेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न विदेशी मुद्रा के बारे में है।

श्री ए० सी० जार्ज : हमारी नीति केवल निर्यात बढ़ाने के पक्ष में है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या उन्हें पता है कि क्षेत्रीय कार्यालय व्यय के रुप में 1970 में 4.70 लाख रुपये भेजे गए जबकि 1971 में यह राशि बढ़कर 41.98 लाख रुपये हो गई।

श्री ए० सी० जार्ज : क्योंकि मुझे इस बारे में अभी सदस्य महोदय के माध्यम से पता चला है, अतः मैं इस बारे में पता लगाउंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे लगभग 37 लाख रुपये ले गये हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मंत्री महोदय को यह कहना चाहिये जबकि यह प्रश्न कई बार दोनों सभाओं में आ चुका है कि मुख्यालय व्यय के रूप में वे 40.50 लाख रुपये विदेश भेजे जाते हैं—वह ऐसा कैसे कह सकते है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यदि इस प्रश्न को ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि इसका संबंध वाणिज्य मंत्रालय से नहीं है। हमारा संबंध तो केवल आयात–निर्यात से है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न का उत्तर ही विस्तारपूर्वक दिया होता तो इन पूरक प्रश्नों की आवश्यकता ही न रहती।

सहायक कम्पनियों की स्थापना करने हेतु राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

*391. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आयात और निर्यात व्यापार के लिये अनेक सहायक कम्पनियों अथवा स्वायत्तशासी विभागों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : He has said that it is under consideration. So whether a Study Team would be appointed to go into it minutely ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें राज्य व्यापार निगम के पुनर्गठन और इसे नया रूप देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका अध्ययन मंत्रालय में किया जा रहा है। स्वतंत्र रुप से कोई अध्ययन दल अथवा समिति नही बनाई गई है और नहीं इसकी आवश्यकता समझी जाती है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : You have recently exported 5 lakh bales of Jute. Whether any team of Experts is contemplated for Jute ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने निर्यात किया नहीं है अपितु करने का विचार कर रहे है और मात्रा अभी निश्चित नहीं की गई है। राज्य व्यापार निगम के साथ इसके संबंध की मुझे समझ नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट में हम चार से अधिक प्रश्न नहीं निपटा पाये हैं, इस प्रकार इन प्रश्नों का क्या लाभ है।

श्री बी० वी० नायक : क्या अन्य सरकारी उपक्रमों की भांति राज्य व्यापार निगम भी बहुत बड़ा उपक्रम बन गया है जिससे इसकी विभिन्न उपसमितियों और बोर्डों आदि में कई क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या वस्तुओं या क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों, राज्यों के आधार पर राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन किया जाएगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि राज्य व्यापार निगम किए गए व्यापार की दृष्टि से काफी बड़ा संगठन हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी कुछ सहायक कंपनियां बनाई जाए। तीन तो पहले ही हैं— हस्तशिल्प और हथकरघा निर्मित निगम, परियोजना उपकरण निगम और काजू निगम। किसी भी वाणिज्यिक संगठन को राज्य पर आधारित होना चाहिये जो वह है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार चमड़ा निर्यात विकास निगम बनाने जा रही है और यदि हां, तो क्या इसका प्रबन्ध निदेशक बाटा जैसी किसी गैर-सरकारी संस्था से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकारी उपक्रमों से कोई अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं मिला ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह निगम अभी प्रस्ताव मात्र ही है। इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। दूसरी बात के बारे में आम राय यही है कि इस प्रकार की वाणिज्यिक संस्था में व्यवसायिक रुप से पैक्ष व्यक्ति ही रखा जाना चाहिये न कि सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति।

उड़ीसा आयकर सर्किल के एक अधिकारी के घर की तलाशी

***396. श्री वरके जार्ज :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह रिपोर्ट मिलने पर कि उड़ीसा आयकर सर्किल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी आय के अनुपात से कहीं अधिक धन जमा कर लिया है, कटक में 11 नवम्बर, 1973 को उसके घर की तलाशी ली गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस सूचना के प्राप्त होने पर कि कटक में एक सहायक आयकर आयुक्त के पास–धन–संबंधी ऐसे साधन और परिसम्पत्तियां हैं जो उनकी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक है, विशेष पुलिस विभाग ने 1 और 3 नवम्बर 1973 के बीच इस अधिकारी के कटक में निवासस्थान पर उसके मूल गांव में मकान पर कलकत्ता में किराये के मकान पर जहां उसका परिवार रह रहा है कि और कलकत्ता में एक मकान की, जो उनकी मृत मां के नाम है और जहां उनके कुछ संबंधी रहते हैं, तलाशी ली। दो बैंक लाकरों की भी तलाशी ली गई। 11 नवम्बर 1973 को इस मामले से संबंधित कोई तलाशी नहीं ली गई। तलाशियों से चल तथा अचल दोनों प्रकार की कुछ परिसम्पत्तियों का पता चला है। कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

इस मामले में जांच चल रही है।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या संबंधित अधिकारी को मुअत्तिल किया गया है ताकि जांच अधीन मामलों में वह अपने प्रभाव द्वारा हस्तक्षेप न कर सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अभी नहीं, क्योंकि पहले जांच करके यह पता तो लगे कि प्रथम दृष्टया इसके विरुद्ध कोई केस बन सकता है कि नहीं। इसके बाद ही यह कार्यावाही की जा सकेगी।

श्री मुहम्मद शरीफ सामान्यतः प्रक्रिया यह है कि किसी अधिकारी के दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र तैयार करने से पूर्व उसे मुअत्तिल कर दिया जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया, क्यों ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वतः ही ऐसा नहीं किया जाता। जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले जांच से यह पता लगना चाहिये कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं– इसके बाद ही निलम्बन आदेश जारी किए जा सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तु सूची और आकस्मिक व्यय की अधिकतम सीमा

***399. श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और मन्त्रालयों / विभागों की वस्तु-सूची और आकस्मिक व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गयी कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तालिकागत माल तथा आकस्मिकताओं की अधिकतम सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उनका स्तर उद्योगों की किस्म तथा अन्य विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। फिर भी, उनके उत्पादन लक्ष्यों के अनुरुप तालिकागत माल के स्तरों को न्यूनतम करने के लिए सतत प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं। परिणामस्वरुप, उत्पादन की तुलना में तालिकागत माल का अनुपात अब काफी कम है। इसी प्रकार, सरकारी उद्यमों के कार्यचालन में अधिकाधिक मितव्ययता तथा कुशलता प्राप्त करने पर लगातार बल दिया जा रहा है। विकास भिन्न सरकारी व्यय में कमी करने की दृष्टि से, पहले ही किये गये आर्थिक उपायों के अतिरिक्त, इस वर्ष कुछ और आर्थिक उपाय किये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में, आकस्मिक व्यय तथा यात्रा भत्तों में 10 प्रतिशत की कमी, विभागीय गाड़ियों द्वारा पेट्रोल की खपत और टेलीफोन व्यय में बचत आदि शामिल हैं। अधिकतम मितव्ययता प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकारी खर्च में बचत करने के उपर्युक्त उपायों के संदर्भ में, सरकारी उद्यमों से विशेषरुप से उन उपायों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये कहा गया है, जो उपक्रम के अन्दर किए जा सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वर्ष 1969 में सरकारी क्षेत्र में व्यय-सूची की कुल राशि क्या थी और अब क्या है? क्या यह राशि 800 करोड़ से बढ़ कर 1400 करोड़ नहीं हो गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सूची के स्तर में जो 1967–68 में 6.7 मास के उत्पादन के बराबर थी, कमी हुई है और 1972–73 में यह 4.6 मास के उत्पादन के बराबर थी। 1966 में इसकी कुल राशि 746 करक थी। उत्पादक कंपनियों में उत्पादन व्यय और व्यापार लगभग 1337 करोड़ रुपये था ... (**व्यवधान**) इसमें उत्पादन के अनुसार वृद्धि होती रहती है।

श्री डी० एन० तिवारी : सरकारी उपक्रमों और प्राक्कलन समितियों ने इस संबंध में जांच की थी और दी गई अनेक रिपोर्टों के अनुसार पुर्जों आदि की मात्रा और किस्म काफी अधिक है फिर भी उन्होंने इसमें कमी करने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा अन्य कई समितियों की सिफारिशों के परिणामस्वरुप सरकारी उद्यम ब्यूरो ने इस समस्या पर विशेष अध्ययन आरंभ किया है और विभिन्न उपक्रमों की वास्तविक सूचियों की ब्यौरेवार जांच के बाद इन्होंने विभिन्न सरकारी उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इन में से कुछ हिदायतों की पैरवी भी की गई है।

"येन" के अवमूल्यन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

*402. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने हाल ही में येन के अवमूलयन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) अवमूल्यन की प्रतिशतता क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। परतु, जापानी येन का, जो फरवरी, 1973 से विनिमय दर से मुक्त है, मुल्य अमरीकी डालर की तुलना में नवम्बर, 1973 में कम हो गया।

(ख) 1 फरवरी, 1973 से अक्टूबर, 1973 के अन्त तक की अवधि में येन के मूल्य में अमरीकी डालर के रूप में लगभग 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवम्बर, 1973 में हुई थोड़ी सी कमी से यह वृद्धि अंशत: कम हो जायगी। इस बात का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) नवम्बर, 1973 के दौरान, अमरीकी डालर के रुप में येन के मूल्य में लगभग 4.7 प्रतिशत की कमी हुई।

श्री आर० एन० बर्मन : मुझे कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, प्रश्न काल भी समाप्त हो गया है। प्रश्नों की सूचना देने वाले अनेक सदस्यों में से कल जहां आठ सदस्य उपस्थित थे वहां आज सात ही उपस्थित है। हमें पता होना चाहिये कि हम कहां चले जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डाल्टनगंज (बिहार) के लिये इंडियन एयरलाइन्स की सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव

*383. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाल्टनगंज, पालामऊ (बिहार) के लिये सप्ताह में कम से कम एक दिन इंडियन एयरलाइन्स की सेवा आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डाल्टनगंज एयरफील्ड बिहार सरकार के नियंत्रण में है और यह इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के लिये बहुत ही छोटे आकार का एयरफील्ड है।

यूगोस्लाविया के आर्थिक दल का दौरा

*384. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 मे युगोस्लाविया के आर्थिक दल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) विचार-विमर्श किये गये विषयों का सार क्या है और क्या कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है परन्तु विचार-विमर्श के दौरान यह सहमति व्यक्त की गई कि भारत में और तीसरे देशों में व्यापार तथा संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के विस्तार हेतु सम्भाव्यताएं और आसार विद्यमान हैं।

वस्त्रों का व्यापार करने वाले देशों के बीच समझौता

*386. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करने के लिए वस्त्रों का व्यापार करन वाले मुख्य देशों के बीच नया समझौता करने का कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नये समझौते के विभिन्न मूल विषयों पर वस्त्रों संबंधी गाट वार्ता दल में जेनेवा में इस समय विचाविमर्श किया जा रहा है।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी बोंईग विमान सेवा

*389. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी बोइंग विमान सेवा आरम्भ करनें के प्रश्न पल विचार कर रही है ?

संचार तथा पर्यटन ओर नागर विमानन मंत्रो (श्री राज बहादुर) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1972–73 में मछली और इसके उत्पादों का निर्यात

*390. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेंकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में मछली और मछली उत्पादों का कुल कितना निर्यात किया गया है;

(ख) किन किन देशों को यह निर्यात किया गया है; और

(ग) उक्त देशों में से प्रत्येक को कितने मूल्य की मछली का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : (क) 34363 मे० टन।

(ख) तथा (ग) 1972–73 के दौरान मछलो तथा मछली से बने पदार्थों के देशवार निर्यातों (मूल्य) को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 395/73]

Demands of Goldsmiths

*392. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a delegation of Goldsmiths had put some of their demands before him on the 11th August, 1973 ; and

(b) the main points thereof and the action taken or roposed to be taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) A delegation of goldsmiths met the Minister of State in the Ministry of Finance on 11-8-1973 to put before him some of their demands.

(b) A statement is laid on the table of the House. [**Placed in the Library See No. L. T. 5934/73**]

Price List of Essential Commodities

***393. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is proposed that a price list of all essential commodities of common use may be made available in the entire country ;

(b) if so, the time by which this will be available or use in the market ;

(c) whether this will not provide relief to the general public ;

(d) whether the price list is proposed to be prepared for big cities only ; and

(e) what objections and difficutties will Government have in preparing price list ?,

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (e) While the Central Government does have responsibility for directing the overall price policy of the country sufficient powers under the Essential Commodities Act and the Defence of India Rules have been delegated to the States to take such action as they consider necessary.

While the Central Government has issued orders regulating the price of some commodities, such as drugs and sugar, the preparation of a comprehensive list laying down retail prices of all essential commodities on an All India basis would not be practicable. Such action is best lett to the various State Governments.

अन्तर्राष्ट्रीय ऊन विपणन एजेन्सी का बनाया जाना

*394. **श्री सरजू पांडे :**

श्री मान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन का उत्पादन करने वाले मुख्य देश संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय ऊन विपणन एजेन्सी बनाने की योजना बना रह हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और

(ग) भारतीय ऊन मार्किट पर इसका क्या प्रभाव होगा?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रूई का आरक्षित भण्डार बनाना

*395. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के मूल्य को स्थिर रखने के लिए रुई का आरक्षित भण्डार बनाए जाने के सुझाव पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो रुई का आरक्षित भण्डार चलाये जाने की योजना का व्यौरा क्या है

वाणिज्य मंत्रालय मे उप मंत्रा (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यद्यपि सरकरा मानती है कि कीमत स्थिरीकरण के उपाय के रुप में समीकरण भण्डार बनाना उपयोगी हो सकता है, परन्तु इस संबंध में कोई विशिष्ट विनिश्चय नहीं किया गया है। भारतीय रुई निगम के खरीद कार्यकलापों का उद्देश्य एक ऐसा स्टाक बनाना है जिससे कि कीमतों को स्थिर करने में लाभप्रद प्रभाव पढ़ सकें।

अमरीका द्वारा भारत को सूती धागा दिये जाने का प्रस्ताव

*397. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने भारत सहित कुछ देशों को सूती धागा देने का प्रस्ताव कया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा करारकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूत की सप्लाई के संबंध में अमरीका सरकार से भारत सरकार की कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता :

पश्चिम जर्मनी द्वारा दीर्घावधि सहायता का वचन

*398. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी भारत को दीर्घावधि सहायता का वचन देने को तैयार है ताकि भारत सरकार उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सके;

(ख) क्या यह संकेत पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री द्वारा उस समय दिया गया था जब वह नवम्बर, 1973 में प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से मिले थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता तथा इसके प्रयोग के ढंग के बारे में कोई अन्तिम समझौता हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के आर्थिक सहयोग मंत्री डा० एरहर्ड एपलर ने हमारे निमंत्रण पर 11 से 19 नवम्बर, 1973 तक भारत का दौरा किया था। उनके प्रवास के दौरान परस्पर-हित के विभिन्न विषयों विशेषत : आर्थिक सहयोग से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। उनकी यात्रा के अन्त में प्रेस प्रकाशनी के रुप में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें उनके साथ की गयी बातचित का सारांश दिया गया था। उसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। [**ग्रंथालय मे रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 5935/73**] यात्रा से निकलने वाले विशेष परिणामों की बात करना समय पूर्व होगा।

डा० एपलर ने अपनी बातचीत के दौरान यह बताया कि जर्मन संघीय गणराज्य अपने सहभागी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने और सहायता संबंधी अपने साधनों को यथासम्भव लचिला बनाने के सर्वाधिक उपयुक्त उपाय ढूढने के लिए उत्सुक है। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारतीय सरकार के कई वर्षो तक के विकास कार्यक्रमों का पूर्णत: अथवा अंशत: वित्तपोषण करने की किसी नयी प्रणाली पर विचार कर सकती है।

(ग) जर्मनी संघीय गणराज्य द्वारा भारत को आगामी वर्षों में दी जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में कोई विशिष्ट चर्चा नहीं की गयी इसलिए इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम समझौता होने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

आयकर विभाग द्वारा बाह्य सर्वेक्षण

*400. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में बाह्य सर्वेक्षण कार्यों को स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है और उसका राजस्व प्राप्ति पर या प्रभाव पड़ा है;

(ग) 1970 से 1972 के दौरान किये गये बाह्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष के बारे में तथ्य क्या है और क्या सरकार प्राप्त परिणामों से संतुष्ट है;

(घ) क्या प्रभावशाली ढंग से कर प्राप्त करने की पद्धति को मजबूत करने के लिए समूची बाह्य सर्वेक्षण पद्धति पर पुनर्विचार किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । चुनींदा आधार पर बाह्य सर्वेक्षण का काम जारी है ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1970–1971 में 2,32,090 परिसरों का सर्वेक्षण किया गया जिसके परिणामतः 53,942 नये आयकर निर्धारितियों और 17,527 नये धन–कर निर्धारितियों का पता लगा । 1971–1972 में सर्वेक्षण किये गये परिसरों की संख्या 3,99,287 थी और सक्रिय रुप से आयकर तथा धन–कर के जिन मामलों का पता लगा उनकी संख्या क्रमशः 74,797 और 8,911 थी ।

प्राप्त परिणामों से सरकार संतुष्ट है ।

(घ) तथा (ङ) जून 1972 से पूरी सर्वेक्षण पद्धति की समीक्षा की गई है और इसमें अब जोर उन बड़े बड़े कर अपवंचकों का पता लगाने में दिया जाता है जिनका अभी तक कर-निर्धारण नहीं किया गया है । इसलिए चुनींदा सर्वेक्षण इन मामलों में किया जा रहा है–वेतनभोगी और व्यावसायिक वर्ग, जिन्होंने हाल ही में अचल सम्पत्तियों का निर्माण अथवा अर्जन किया है आमतौर पर बड़े-बड़े सम्पत्ति स्वामी बड़े–बड़े पालिसी धारक पेट्रोल पम्प लाइसेंस धारी तथा अन्य ऐसे अन्य स्रोत जिनका अभी तक पता नहीं था ।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ब्याज की भिन्न दरें लागू करने के कार्य में हुई प्रगति

*401. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर व्याज की भिन्न दरें लागू करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सबन्ध में आन्ध्र प्रदेश में नगण्य सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

7 दिसम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 401 के उत्तर में लोक सभा की मेज पर रखा जाने वाला विवरण।

निम्नलिखित सारणी में विभेदी व्याज दर योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति दिखाई गई है।

(लाख रुपयों में)

	खातों की संख्या	बकाया शेष
सितम्बर, 1972 के अन्त में	3,770	13.05
दिसम्बर, 1972 के अन्त में . . .	26,202	87.26
मार्च, 1973 के अन्त में	55,536	207.35
जून, 1973 के अन्त में	1,08,178	432.74

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, इस योजना के अन्तर्गत जून, 1973 के अन्त में ऋणकर्ताओं की संख्या 7,841 थी, बकाया अग्रिम 26.29 लाख रुपये के थे। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यह योजना अभी तैयार हो चुकी है, आन्ध्र प्रदेश में उपलब्धि नगण्य नहीं मानी जा सकती।

Smuggling of Chinese Opium

3740. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports to the effect that Chinese Opium is being smuggled into the border areas of India by the secret agents and smugglers of Pakistan ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check it particularly in the parts near Khemkaran ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Although there have been a few cases when opium coming from Pakistan has been seized, the Government has no information that Chinese Opium is being smuggled into India by the secret agents and smugglers of Pakistan.

(b) The following steps have been taken to prevent smuggling of Narcotic Drugs and other goods on the Indo-Pak border including areas around Khemkaran :—

(i) Frequent meettings are held at high levels between officers of Customs, Narcotic Department, State Police, State Excise and Border Security Force for mutual exchange of information and devising of effective measures for prevention of smuggling ; and

(ii) Crash programme has been chalked out for training of officers engaged in anti-smuggling work. In addition, the customs authorities have undertaken traffic checking, "Nakabandi" and Road block at strategic points. With the deployment of Army and Border Security Force on the border the smuggling is automatically kept under check.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का कार्यकरण और गैर सरकारी इमारतों के लिये दिया गया किराया

3742. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कितनी शाखाएं बहुत अधिक किराए पर ली गयी गैर-सरकारी इमारतों में स्थित है और उनके लिये दिये जा रहे वार्षिक किराए का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त सभी गैर-सरकारी इमारतों को अपने नियन्त्रण में लेने और उनका अधिग्रहण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) स्टेट बैंक द्वारा देश के सभी शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के लिए किराये पर ली गयी सभी निजी इमारतों के संबंध में दिये गये वार्षिक किराये के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपनी शाखाओं के लिए किराये पर ली गयी इमारतों के अभिग्रहण के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Capital invested by Financial Institutions for the Development of Industries in Madhya Pradesh

3743. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the capital invested by the financial institutions, such as the Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India and the Industrial Development Bank for the development of industries in Madhya Pradesh as compared to the capital invested by them for the industrial development of Maharashtra, Gujarat and Orissa ; and

(b) the amount given to face the drought conditions in Madhya Pradesh as compared to that given to Maharashtra, Gujarat and Orissa from the year 1971-72 to 1973-74 and the amount likely to be given in future in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The all-India term financial institutions like the Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. and Industrial Development Bank of India give financial assistance to industrial concerns and industrial co-operatives located in different States for setting up of new industries and for expansion/modernisation of existing industries including industrial co-operatives. They do not render assistance to the States to meet drought conditions.

The total financial assistance sanctioned and disbursed by the Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the Industrial Credit and Investment Corporation of India limited (ICICI) and the Industrial Development Bank of India (IDBI) to the

industrial concerns located in the States of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Orissa is as under :—

(Rs. in lakhs)

Name of the State	Financial assistance by					
	IFC (as on 30-9-1973)		ICICI (as on 30-9-1973)		IDBI (as on 31-8-1973)	
	S.	D.	S.	D.	S.	D.
Madhya Pradesh .	1,090.00	918.00	742.00	508.00	2,841.00	2,331.00
Maharashtra. .	10,150.00	8,162.00	14,807.00	11,254.00	20,550.00	17,126.00
Gujarat . . .	3,394.00	2,580.00	5,320.00	3,918.00	8,438.00	5,918.00
Orissa . . .	1,305.00	951.00	843.00	574.00	1,617.00	695.00

S—Sanctioned.
D—Disbursed.

Financial assistance given by Reserve Bank to Co-operative, Agricultural and Industrial Sectors

3744. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the financial assistance given by the Reserve Bank during the current year to the co-operative, agricultural and industrial sectors, separately in the State of Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi). The Reserve Bank of India does not provide any direct financial assistance to any of the sectors but extends only refinance facility. For 1973-74, the Reserve Bank of India sanctioned credit limits of Rs. 4,420 lakhs as short-term loans for seasonal agricultural operations, Rs. 10.30 lakhs for financing production and marketing activities weavers' cooperative societies, medium-term loans of Rs. 315 lakhs for agricultural development purposes to the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank on behalf of various central cooperative banks in the State.

Another amount of Rs. 200 lakh has also been sanctioned under Section 17 (4A) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

Besides, the Industrial Development Bank of India (a subsidiary of Reserve Bank of India), since it inception upto 30th June 1973, has sanctioned Rs. 2,811 lakhs to various indutsrial units in Madhya Pradesh.

Loans advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

3745. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether loans have been given by nationalised banks in Madhya Pradesh to adivasis and other applicants belonging to scheduled castes; and

(b) if so, the break up thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b) As part of the accepted policy, since nationatisation it has been the endeavour of the banks to increasingly reach the sectors that were neglected in the past. Thus banks in Madhya Pradesh as also in other States and regions have been trying to provide credit facilities to categories such as Scheduled Castes, Scheduled tribes' adivasis etc. Those of them that satisfy the elegibility criteria indicated in the Differential interest Rate Scheme,

are entitled to receive bank funds for productive schemes at 4 per cent rate of interest. However, the statistics maintained by the banks do not provide for indicating separately the amount of advance to different castes or to such detailed categories as Scheduled Castes and Tribes, iadivasis etc. and hence it is not possible to indicate the amount lent to them.

1972 में नष्ट किये गये खराब नोटों की कीमत

3746. डा० **हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 और 1973 में अब तक कितनी कीमत के खराब नोट नष्ट किये गये हैं ;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या है कि सभी खराब तथा अप्रयुक्त नोट नष्ट किये जाते है और वह पुन: परिचालन में नहीं आते हैं ; और

(ग) क्या प्रक्रिया में हाल में कोई संशोधन किया गया है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) और (ग) बैंक ने गन्दे नोटों को नष्ट करने के लिए हाल में कोई नया तरीका नहीं अपनाया है । बैंक द्वारा गन्दे नोटों को नष्ट करने के संबंध में अपनायी जाने वाली सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत, बैंक के कार्यालयों में प्राप्त होने वाले अथवा उन कार्यालयों में दिए जाने वाले सभी नोटों की नोट-परीक्षकों द्वारा उनकी अलग-अलग जांच तथा गणना की जाती है और उसके बाद उनके काम के कुछ निश्चित प्रतिशत को सत्यापन किया जाता है । हाल के वर्षों में प्रचलित नोटों की संख्या में भारी वृद्धि होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक, नोटों की शीघ्र जांच करने, प्रचलन से वापस आने वाले गन्दे तथा कटे-फटे नोटों को हमेशा के लिए चलन से वापस लेने और उनके निपटारे की व्यवस्था करने में काफी कठिनाई महसूस कर रहा है । इस काम को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर विशेष अनुदेश जारी करता रहा है कि 100 रुपये और उससे अधिक मूल्यों के जांच के नोटों की सभी प्रेषणाओं के सम्बन्ध में सामान्य प्रणाली को जारी रखते हुए विस्तृत जांच के लिए प्राप्त होने वाले कम मूल्यों के कुल नोटों के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित जाए । सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त उपाय करने के अलावा दिसम्बर, 1964 लें बैंक द्वारा अपनायी जाने वाली इस विशिष्ट प्रणाली में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

स्वर्ण सम्बन्धी करार के समाप्त होने का उसके मूल्य तथा रुपये की कीमत पर प्रभाव

3747. डा० **हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और यूरोप के छ: देशों के बीच पांच वर्ष पुराना करार समाप्त हो गया है जिसके अनुसार उन्हें खुले बाजार में सोना बेचना मना था ;

(ख) यदि हां, तो करार की समाप्ति का भारत में तथा विदेशों में सोने के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हां । मार्च 1968 में, संयुक्त राज्य अमरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली, बैल्जायम, नीदरलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड के बीच, बाजार से सोना न खरीदने तथा लंदन या किसी अन्य स्वर्ण बाजार या मुद्रा प्राधिकरणों को, प्राइवेट बाजारों में बेचे गये सोने का प्रतिस्थापन करने के लिए, सोना न बेचने का जो करार हुआ था, वह 14 नवम्बर, 1973 को समाप्त कर दिया गया ।

(ख) हालांकि, करार की समाप्ति की घोषणा के तुरन्त बाद लंदन के बाजार में सोने का मूल्य कुछ गिरा था परन्तु उसके बाद से सोने के बाजारों में कोई ज्यादा गति-विधि नहीं दिखाई दी और सोने के मूल्यों में स्थिरता आ गई । भारत में सोने के मूल्यों की प्रवृत्ति, लंदन के बाजार के अनुसार ही रही ।

(ग) उपर्युक्त निर्णय से, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि देश के विदेश मुद्रा संबंधी सभी अधिकृत लेन-देन रुपये की केन्द्रीय दर से, जो 18.9677 रुपये = 1 पौण्ड स्टर्लिग है, 2.25 ऊपर या नीचे के स्वीकृत मार्जिन के अन्दर की दरों के अनुसार किये जाते है ।

चाय व्यापार निगम द्वारा चाय के निर्यात को बढ़ावा देना

3748. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय व्यापार निगम के प्रयासों के फलस्वरूप किन मंडियों को चाय निर्यात की गई है और वर्तमामंडियों को चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इस निगम के आरम्भ होने के समय में इस निगम द्वारा क्या विशेष प्रयास किये गये हैं और यह प्रयास गत वर्ष चाय के निर्यात के लिए किये गये प्रयासों की तुलना में कितने हैं ; और

(ग) इस निगम की स्थापना के बात के वर्ष में इस से पहले वर्ष की तुलना में चाय के निर्यात से कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम ने अभी चाय का निर्यात करना शुरू नहीं किया है परन्तु उसे इस वर्ष इराक सरकार के लिए क्रय एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया है ।

निगम ने द्विपक्षीय व्यापारिक देशों तथा भारत में अन्य देशों के व्यापार प्रतिनिधिओं से सम्पर्क किया है तथा भावी विदेशी खरीदारों और विदेशों में विभिन्न भारतीय राजदूतावासों के साथ सक्रिय रूप से पत्र व्यवहार हो रहा है । एक पूर्ण विकसित चाय टेस्टिंग कक्ष स्थापित किया गया है । निगम ने अपने आपको कलकत्ता तथा गुहाटी निलामियों में खरीदार के रूप में दर्ज करवाया है तथा कलकत्ता नीलामी में भाग लेना शुरू कर दिया है । उन्नत विदेशी बाजारों में चाय थैलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये टी बैग मशीनरी स्थापित करने का कार्य चल रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय जूट निगम की स्थापना करने पर पूंजी-व्यय

3749. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के सहरसा और पूर्णिया जैसे पूर्वी जिलों में जूट की खरीद में बहुत अधिक अनियमितताएं हो रही हैं ;

(ख) क्या स्थानीय अधिकारियों ने जूट के पुराने व्यापारियों से सांठगांठ की है और वे उत्पादकों से जूट खरीदने के स्थान पर विचोलियों के माध्यम से बहुत ऊंचे मूल्यों पर खरीद करके सरकारी धन का अपव्यय कर रहे हैं,; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के] लिये किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारतीय पटसन निगम की क्रय कार्य-विधियों में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई हैं तथापि उपजकर्ताओं से सीधे क्रय करने के लिये निगम की असमर्थता के बारे में सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह मुख्यत: भारतीय पटसन निगम की अवस्थापना अनुपयुक्त होने तथा सहकारी ढांचे के अप्रभावशाली होने के कारण है। बिहार में सहकारी संगठनों ने इस वर्ष कोई पटसन नहीं खरीदा है। स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार उपाय कर रही है ।

करों, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की वसूली

3750. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निगम कर, आय कर, सम्पदा शुल्क और धन कर के रूप में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार कितना राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सम्बन्धित आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार वर्ष 1972-73 में आय कर, निगम कर, सम्पदा शुल्क और धन-कर की वसूली के आंकड़ों का विवरण पत्र (अनुबन्ध-I) और राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार 1972-73 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली के आंकड़ों का एक अन्य विवरण पत्र (अनुबन्ध-II) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5963/73**]

मध्य प्रदेश में बुनकरों को धागे का वितरण

3751. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वितरण पद्धति के कारण बुनकरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से अधिकांश, विशेषत: मध्य प्रदेश राज्य में अपना पूर्ण कोटा खरीदने में असमर्थ रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) धागा नियंत्रण योजना के आरम्भ में इसके बारे में रिपोर्टें मिली थीं। नियंत्रण योजना के अन्तर्गत, धागे का वितरण राज्य सरकारों के मनोनीत व्यक्तियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि वे ही बुनकरों के लिये आवश्यक ऋण सुविधाओं का प्रबन्ध करेंगे। अत:, सभी राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे बुनकरों द्वारा अपेक्षित ऋण सुविधाओं का प्रबन्ध करें।

जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश म सहकारी गृह निर्माण समितियों को वित्तीय सहायता दिया जाना

3752. **श्री मार्तंड सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य में सहकारी गृह निर्माण समितियों को कोई ऋण, सहायता अथवा वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या सरकार ने वास्तविक व्यय और लक्ष्यों कि प्राप्ति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । मध्य प्रदेश में सहकारी गृह निर्माण समितियों को नीचे लिखे अनुसार ऋण मंजूर किये गये हैं :--

(लाख रुपयों में)

1971-72		1972-73	
स्वीकृत	वस्तुतः दिये गये	स्वीकृत	वस्तुतः दिये गये
कुछ नहीं	कुछ नहीं	57.14	5.77

(ख) वर्ष 1972-73 में मंजूर किये गये 57.14 लाख रुपये के ऋण में से 50 लाख रुपये के ऋण मध्य प्रदेश राज्य सरकार सहकारी गृह निर्माण वित्त पोषण समिति लिमिटेड(मुख्य समिति) को और 7.14 लाख रुपये के बंधक ऋण जीवन बीमा निगम की मध्य प्रदेश में स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिय गये हैं । पूर्व उल्लेखित ऋणों में से 8 लाख रुपये की किस्त उक्त समिति को 28 मई, 1973 को और 20 लाख रुपये की दूसरी किस्त 20 दिसम्बर 1973 को वस्तुतः दी गई । बाद में उल्लेखित ऋणों में से 5.77 लाख रुपये की रकम आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाने के बाद उपयुक्त किस्तों में वर्ष 1973-74 में वस्तुतः दी गई । जिस प्रयोजन से ऋण लिये जाते हैं उन के संबंध में ऋण लेने वालों को जीवन बीमा निगम की तसल्ली करनी होती है, इसलिए सरकार द्वारा अलग-अलग कोई सर्वेक्षण आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

देश में टाइगर सफारी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव

3753. **श्री मार्तंड सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में टाइगर सफारी पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) फिलहाल हमारे पास हैदराबाद और बोरिविली (महाराष्ट्र) में दो 'लायन सफारी पार्क' परियोजनायें है 'टाइगर सफारी पार्क' विषयक कोई परियोजना नहीं है ।

जनता से धन जमा करने वाली लिमिटेड कम्पनियों पर सरकार का नियंत्रण

3754. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता से अत्यधिक ऊंचे दर पर धन प्राप्त करने वाली लिमिटेड कम्पनियों पर सरकार का नियंत्रण पर्याप्त नहीं है और उनमें से कई कम्पनियां अपना दिवाला घोषित कर देती हैं और जिसके फलस्वरूप जमाकर्ताओं को हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय रिजर्व बैंक का उन पर किस तरह का नियंत्रण है और क्या सरकार इन कम्पनियों पर अपना नियंत्रण और अधिक कड़ा करने के उद्देश से कोई कानून बनाने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय लिमिटेड कंपनियों के जमा की रकमें स्वीकार करने के क्रियाकलाप पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिज़व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय iii (ख) के अधीन बैंक में निहित शक्तियों के प्रयोग में जारी किये गये कुछ निदेशों के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। ये निदेश इस प्रकार है :

(i) छः महीनों से कम की अवधियों के लिए अल्पावधिक जमा की रकमें स्वीकार करने की मनाही (गैर वित्तीय कम्पनियों की दशा में, तीन महीनों से कम की अवधि के लिए, उपर्युक्त (ii) में वर्णित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, उनकी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि के 10% तक जमा की रकमें स्वीकार की जा सकती हैं) ।

(ii) भाड़ा खरीद कम्पनियां और आवासन वित्त कंपनियों से भिन्न सभी कम्पनियों की दशा में चुकता पूंजी और शुद्ध निर्बाध प्रारक्षित निधि के योग के 1.25% की अधिकतम सीमा तक जमा रकमों की स्वीकृति सीमित रखना ।

(iii) ऐसे अप्रतिभुत ऋणों के संबंध में (इसके निदेशकों के ऋणों को छोड़ कर) जिनकी गारंटी निदेशकों, अभिकर्ताओं या सचिवों और अध्यक्षों ने दी हों, बकाया राशियों को उस राशि तक सीमित रखना जो कंपनियों की चुकता पूंजी और शुद्ध निर्बाध प्रारक्षित निधि के योग के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। यह अधिकतम सीमा, उपर्युक्त (ii) में वर्णित जमा की रकमों के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी। पहली जनवरी, 1972 को जिन कंपनियों के ऋण अधिकतम सीमा से जादा हो, उन्हें इस प्रकार की अधिक राशियों को विभिन्न चरणों में समायोजित करने के लिए 31 मार्च 1975 तक का समय दिया गया है (यदि सरकारी या गैर-सरकारी लिमिटेड कंपनियों के निदेशक अथवा गैर-सरकारी लिमिटेड कंपनियों के शेयर होल्डर लिखित रूप में यह घोषित करें कि धन अन्य व्यक्तियों के ऋणों या जमा रकमों से प्राप्त किया गया है तो उनमें प्राप्त ऋणों को छूट होगी) ।

(iv) अपने क्षेत्राधिकार से पारस्परिक लाभ पहुंचाने वाली ऐसी कम्पनियों को मुक्त रखना जो केवल अपने सदस्यों से जमा की रकमें स्वीकार करती हैं और जिनकी अधिसूचना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 620 'क' के अन्तर्गत दी जाती है।

(v) गैर-बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे विज्ञापनों में, जिनके द्वारा वह जमा की रकमें आमंत्रित करती है, अपने प्रबन्ध, व्यापार, लाभ, लाभांश पूंजीगत प्रारक्षित निधियां, जमा की राशियां और दायित्वों की घोषणा करेंगे।

(vi) यह व्यवस्था करना कि 1-4-1973 से जमा की रकमें, रकमें जमा करने कराने वालों से केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर स्वीकार की जाएं जो कंपनी द्वारा मुहैया किये गये फार्मों पर दिये गये हो। इन फार्मों में भी वे सब ब्यौरे होने चाहिये जो जमा की रकमें आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों के संबंध में विशिष्ट किये गये हैं।

(vii) यह व्यवस्था करना कि जमाकर्ताओं को उचित रसीदें दी जाएं और निर्धारित न्यूनतम ब्यौरों सहित जमा रकमों के रजिस्टर रखें जाएं ।

(viii) यह व्यवस्था करना कि वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी अतिदेय जमा कि राशियों से संबंधित ब्यौरे शामिल किये जाएं जो लगातार ज़ारी हैं ;

(ix) ये व्यवस्था करना कि वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी अतिदेय जमा की राशियों के संबंध में, जो चुकानी रही हुई हैं यदि अतिदेय राशि कुल मिलाकर 5 लाख रुपयों से अधिक हो ब्यौरे शामिल किये जाएं ;

(x) ये व्यवस्था करना कि, भाड़ा खरीद और आवासन वित्त कंपनियों की दशा में नकदी या नकदी जैसी परिसंपत्तियों को बकाया जमा राशियों के 10 प्रतिशत के बराबर रखा जाए ;

(xi) ये व्यवस्था करना कि उन कंपनियों की दशा में जो भाड़ा खरीद व्यवसाय करती हैं, भाड़ा खरीद ऋण उचित अवधि में एकत्रित किये जाएं ;

(xii) ये व्यवस्था करना कि वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने क्रियाकलापों के संबंध में तथा गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनी जमा राशियों और भाड़ा खरीदने के लेनदेनों के संबंध में पर्याप्त ब्यौरों सहित सूचना प्रदान की जाएं और लाभ तुलन पत्र तथा हानि और लाभ के लेखें प्रस्तुत किये जाएं ; और

(xiii) समय से पूर्व दुबारा चुकायी गयी जमा की राशियों पर अदा किये जा सकने वाले ब्याज के लिए अधिकतम दरें निर्धारित करना ।

जमा की रकमें प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का विनियमन करने के संबंध में बैंकिंग आयोग द्वारा दी गयी कुछ सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के वतन से आयकर की वसूली

3755. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आय पर पहले तो आम स्त्रोत से ही आयकर की कटौती कर ली जाती है और तत्पश्चात् शिक्षण शुल्क के रूप में प्रतिपूर्ति की राशि की आय दिखाया जाता है उस पर फिर से आयकर काटा जाता है ;

(ख) सरकार ने इस मामले पर विचार किया है कि क्या एक आय पर दो बार आयकर कटता है जो अयुक्तिसंगत तथा अवांछनीय है; और

(ग) क्या इस बारे में कानूनी राय ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत देने के लिए समग्र मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) (iv) के उपबन्धों के अन्तर्गत जो रकमें शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में है वे वेतनेतर लाभ हैं और वे सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनों के अंश के रूप में है । इस बात को देखते हुए, यह रकम आयकर लगने योग्य है । यदि प्रतिपूर्ति किये जाने के समय स्त्रोत पर कर काट लिया जाता है तो नियमित निर्धारण के समय कोई कर नहीं लगाया जाता । यदि स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता तो वह रकम नियमित-कर-निर्धारण के समय कर के अधीन होती है । यह बात सही नहीं है कि उसी रकम पर दोबार कर लगाया जाता है ।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

बिजली फेल होने के कारण पालम हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों की देशी और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का बन्द होना

3756. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पालम हवाई अड्डे पर बिजली फेल हो जाने के कारण हवाई जहाजों की देशी और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने बन्द करनी पड़ी ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क), (ख) और (ग) 16 अक्तूबर, 1973 को सायं लगभग 8.15 बजे पालम विमानक्षेत्र के धावनपथ की बत्तियों आदि को बिजली पहुंचाने वाले 'कंट्रोल पेनल' में 'शार्टसर्किट' द्वारा लगी आग से एक लघु 'सर्किट ब्रेकर' के जल जाने के कारण धावनपथ की बत्तियां बुझ गयी । बत्तियां रात्रि 11.30 बजे तक पुनः चालू कर दी गयीं थी । तथापि, धावनपथ और टैक्सीपथ के लिए हंसग्रीवा प्रदीपों की व्यवस्था होने के कारण उड़ानों को निलम्बित नहीं किया गया था ।

दोषपूर्ण 'सर्किट ब्रेकर' को बदल दिया गया था तथा पेनल और सर्किटों की पूर्णतया जांच कर ली गयी थी ।

मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव

3757. **श्री० एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान-सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां, एक निजी परिचालक जामेयर कम्पनी को दैनंदिन आधार पर कलकत्ता-पोर्टब्लेयर-मद्रास मार्ग पर एक वापसी अननुसूचित सेवा के परिचालन की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Central Team's visit to Eastern Districts of U.P. for making assessment of Loss due to droughts and Floods

3758. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any team of the Central Government was sent to the Eastern Districts of U.P. (particularly Ballia) for making an assessment of the damage caused by floods and droughts; and

(b) if so, the main features of the report submitted by the said theam?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) Central Teams visited U.P. to assess the drought and flood situation in the affected areas of the State.

(b) The Central Teams had recommended a ceiling of expenditure of Rs. 12.11 crores on account of floods and Rs. 3.73 crores on account of drought. In addition there to, expenditure incurred on drought relief works as reviewed by the team, from time to time, also qualify for Central assistance.

औषधियों का बड़ी मात्रा में आयात

3759. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के बड़ी मात्रा में आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 2 अप्रैल, 1973 को घोषित 1973-74 के लिये नीति के अनुसार कतिपय औषधियों के बल्कि आयातों के लिये उनका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है । तब से नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

दिल्ली के एक नगर पार्षद के घर पर राजस्व प्रासूचना अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाना

3760. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री वी० मयावन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1973 को दिल्ली में एक नगर पार्षद के घर पर राजस्व प्रासूचना अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) यह प्रश्न सम्भवतः उस तलाशी के बारे में है जो राजस्व आसूचना निदेशालय और आयकर विभाग के अधिकारियों ने 1 नवम्बर 1973 को उन निवास स्थानों की ली थी, जो श्री फूलचन्द जेन के कब्जे में है । श्री फूलचन्द जैन का पुत्र दिल्ली नगर निगम पार्षद है और ऐसा समझा जाता है कि वह अपने पिता के साथ उसी मकान में रहता है । उस मकान की तलाशी में सोने की दस दस तोला वजन की दो छड़ें और 61 ग्राम वजन की आधी छड़ (जिनके बारे में खयाल है कि वे सब विदेशों से आई हुई है) शुद्ध सोना 151 ग्राम, 376 अमेरिकी डालर 30 पौण्ड तथा 9,300 रुपये और 4,95,500 रुपये मूल्य की हुंडियों सहित कुछ कागजात पकड़े गये थे । इसके अलावा, वहां पर 45,687 रुपये मूल्य के जेवरात भी पाये गये जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 132 (3) के अन्तर्गत मुहरबन्द कर दिया गया है ।

सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अदक्ष व्यक्तियों की योग्यता की जांच करना

3761. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच्चर आयोग के अनसार उस विमान दुर्घटना का कारण विमान-चालक तथा सहायक विमान-चालक की अयोग्यता थी, जिस में श्री कुमारमंगलम् की मृत्यु हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार में तथा इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अयोग्य व्यक्तियों को निकालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सच्चर आयोग की रिपोर्ट ने दुर्घटना का कारण विमानचालक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दृश्यता से भी कम कथित दृश्यता में यांत्रिक अवतरण के प्रयास के गलत निर्णय तथा उड़ान व अवरोहण की दोषपूर्ण तकनीक बताया है । आयोग ने आगे यह भी कहा है कि प्रधान विमानचालक को सह-चालक से एप्रोच की अन्तिम स्टेज में यथापेक्षित सहायता प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है केवल योग्य विमान चालकों को ही भर्ती करने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं और उनका नियतकालिक जांच और परीक्षण किया जाता है । अन्य प्रबंधकवर्गीय पदों पर भी भर्ती नियमों में केवल योग्य व्यक्तियों के ही चयन की व्यवस्था की गई है ।

पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा असहयोग

3762. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नई दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर एयर कस्टम्स क्लीयरिंग एजेंटों के कारण नये व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और अधिकारी उनकी सहायता नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां के सभी कर्मचारियों को बदलेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार को इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली है कि निकासी ऐजण्टों द्वारा जनता को तंग किया जा रहा है अथवा सीमाशुल्क अधिकारी जनता की सहायता नहीं करते । जब किसी को तंग किये जाने का कोई मामला सरकार के नोटिस में आयगा तो संबंधित सीमाशुल्क कर्मचारियों अथवा निकासी एजेंटों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

डाकखानों में लाटरी योजना

3763. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखाने के खाते के बारे में नई लाटरी योजना की घोषणा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जैसा कि 16 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है सरकार ने डाकघर बचत बैंक के खाताधारियों के लिए एक नयी पुरस्कार योजना की घोषणा की है ।

(ख) यह योजना काफी लोकप्रिय रही है लेकिन अब तक खोले गये नये खातों की सही संख्या तथा जमा के लिए प्राप्त अतिरिक्त राशियों की सूचना अभी उपलब्ध होनी है ।

(ग) पुरस्कार योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(i) 1973-74 के बाद से डाकघर बचत बैंक के वे खाताधारी, जिनकी किसी एक पूरे वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 रुपये की राशि जमा रहेगी, इनामी लाटरी में भाग लेने के पात्र होंगे ।

(ii) लेकिन 1973-74 के वित्तीय वर्ष में वे खाते, जिनमें पहली दिसम्बर, 1973 तथा 31 मार्च 1974 के बीच की अवधि में कम से कम 200 रुपये की राशि जमा रहेगी, इनामी लाटरी में भाग लेने के पात्र होंगे ।

(iii) इसमें 50 रुपये से ले कर 2,50,000 रुपये तक के 11,116 इनाम होंगे हर साल इनामों की कुल राशि 32,50,000 रुपये की होगी ।

(iv) जिन व्यक्तियों का एकल या संयुक्त खाता होगा वे व्यक्ति तथा नाबालिगों के नाम खोले गये खाते इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं ।

हस्तशिल्प विकास निगम

3764. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कोई हस्तशिल्प विकास निगम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी राज्य शाखाएं भी हैं और उस राज्य का नाम क्या है जहां कोई शाखा नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं । तथापि, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम जैसे संगठन पहले ही हस्तशिल्पों के विकास, उत्पादन तथा निर्यात संवर्धन में लगे हुए हैं बोर्ड ने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलोर तथा लखनऊ में अपने क्षेत्रीय कार्यालय, डिजाइन केन्द्र स्थापित किये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Supply of Newsprint from USSR

3765. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the rate and the annual quota of newsprint supplied so far and to be supplied in future by Russia ;

(b) whether there was an opportunity to enter into a long term deal to purchase the newsprint at the rate of $ 175 per tonne but Government rejected that deal; and

(c) the facts in this regard and the policy proposed to be followed by Government in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The STC has entered into a contract with the USSR for supply of 28,000 tonnes of newsprint in July-December, 73 at the rate of Rs. 1,856.25 per metric tonne plus Rs. 57.25 Suez Surcharge. Of the contracted quantity about 20,000 metric tonnes of newsprint has already been received. A further contract for supply of 22,000 tonnes of newsprint for delivery in Jan.-May 74 is being negotiated.

(b) No, Sir. The STC had entered into three long term contracts with the Canadian and Scandivasian manufacturers for supply of 35,000 metric tonnes of newsprint (with 65,000 metric tonne as optional quantity) at the initial price of 170 per tonne c.i.f. payable for the first year of the contract *i.e.* 1971-72. In view of the world wide shortage of newsprint and consequential price escalation, STC has had to re-negotiate the contract at higher prices for supplies in 1973.

(c) Regarding future requirements the STC has been authorised to enter into long term contracts and negotiate supplies from all available sources. The STC has made some progress in this direction.

विशेष रोजगार योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देन के बारे में शिकायतें

3766. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या विशेष रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के बारे में पक्षपात करने की कोई शिकायते प्राप्त हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस संबंध में उसे कोई शिकायत नहीं मिली ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए पंजाब की सहायता देना

3767. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंक पंजाब सरकार को औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उद्देशों के लिए सहायता दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) क्या ये बैंक राज्यों को ऋण सुविधाओं का वितरण समान रूप से कर रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और पंजाब सरकार के सहायक निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश करने के अलावा, राज्य के सहायक निकायों को भी ऋण प्रदान करते हैं । अप्रैल 1973 के अन्तिम शुक्रवार को इस प्रकार के संगठनों की बकाया ऋणों की राशि निम्न प्रकार थी :—

निम्न कार्यों में लगे हुए पंजाब सरकार के सहायक उपक्रमों को अग्रिम	बकाया रकम लाख रुपयों में
(1) निर्माण कारी उद्योग	145
(2) परिवहन और बिजली	611
(3) कृषि और कृषि उद्योग	123
(4) अन्न वसूली	470
	1349

(ग) तथा (घ) बैंकों द्वारा सरकार उपक्रमों को दिये गये अग्रिमों की रकम प्रत्येक राज्य में भिन्न होती हैं। यह प्रत्येक राज्य में स्थित उपक्रमों की संख्या पर और उनके कार्य पर निर्भर करती है।

जापान को झींगा मछली का निर्यात करने वाली एक फर्म द्वारा कम राशि के बीजक बनाया जाना

3768. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कम्पनी ने जापान को झींगा मछली के निर्यात के लिये उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से 2 डालर प्रति किलो के कम के हिसाब से कम राशि के बीजक बनाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं; और भविष्य के लिए क्या सावधानी बरती गयी है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

विदेशों में प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान के लिए छात्रों की मुद्रा विनिमय के जाली परमिट दिया जाना

3769. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान करने के लिये जानेवाले छात्रों को मुद्रा विनिमय के जाली परमिट देने के मामले में अन्तर्ग्रस्त अपराधी पकड़ लिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो कुछ मामले की जांच कर रहा है जिन में कुछ व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा के जाली परमिटों के आधार पर रकमें प्राप्त की हैं। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पूरी हो जाने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है।

Burden on Madhya Pradesh due to drought and Central Assistance therefor

3770. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether financial burden on the Government of Madhya Pradesh has increased due to the drought conditions in the State; and

(b) the total amount of funds provided by the Central Government to overcome this financial difficulty?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) and (b) On the basis of the recommendations made by the Central Team a ceiling of expenditure of Rs. 1.44 crores on relief expenditure has been adopted as qualifying for Central assistance. In addition thereto, expenditure incurred on drought relief works, as reviewed by the Team from time to time, would also qualify for Central assistance. Central assistance would be released to the State Government on the basis of progress of expenditure and in the light of the ceilings adopted by the Government.

आम का निर्यात

3771. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम का निर्यात बढ़ाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार आम उत्पादकों तथा व्यापारियों का दल नई मंडियों का पता लगाने के लिये मध्य पूर्व तथा यूरोप के देशों में भेजने पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ब्रिटेन, पश्चिम यूरोपिय महाद्वीप तथा जापान को अपना निर्यात बढ़ाने के लिये फलों के निर्यातों पर, जिसमें आम भी शामिल है, दिये गये हवाई भाड़े के 50 प्रतिशत नकद सहायता दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा जहाज पर मूल्य के 20 प्रतिशत के भीतर होनी चाहिए । इसके अलावा राज्य व्यापार निगम ने आमों का निर्यात बढ़ाने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं जैसे कि आकर्षक विवरणिकाओं, आकर्षक पैकिंग आदि के माध्यम से प्रचार करना ।

(ख) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

देश में बने ट्रैक्टरों पर से उत्पादन शुल्क हटाया जाना

3772. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बने ट्रैक्टरों पर से उत्पादनशुल्क हटाने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने ट्रैक्टरों पर बिक्री कर कम करने के बारे में केन्द्रिय सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) देश में बने ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क माफ करने के प्रश्न पर विचार किया गया है किन्तु यह महसूस किया गया है कि देश में बने ट्रैक्टरों पर उत्पादनशुल्क माफ करने का कोई पर्याप्त औचित्य विद्यमान नहीं है ।

(ग) अधिकांश राज्य सरकारों ने उनके द्वारा लगाए जाने वाले विक्रय-कर को कम करना स्वीकार नहीं किया हैं । किन्तु, उडीसा तथा आसाम जैसें कुछ राज्य विक्रय-कर को कम करने के प्रस्ताव पर अभी भी विचार कर रहे हैं ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, केरल के अधीन सहकारी संस्थाओं का कार्यकरण

3773. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया केरल के अधीन कितनी कृषि सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ; और

(ख) पिछले दो वर्ष में उन्हें कितनी राशि के ऋण दिये गये तथा चालू वर्ष में कितनी ऋण राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय म उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी कोई भी नहीं । यह योजना राज्य सरकार की सहमति से राज्य में आरम्भ नहीं की गयी है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Alleged sale of property of Globe Motors, Ram Bagh, Delhi

3774. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Globe Motors, Rambagh, Delhi have to pay Rs. 12½ lakhs as Income-tax arrears;

4—33 LSS/73

(b) whether their property cannot be sold unless all the payments are made to the persons concerned as per orders of the Delhi High Court; and

(c) whether their property has since been sold for Rs. 10 lakhs on the basis of a clearance certificate issued by the Income-tax Officer and if so, the action taken against him for issuing the wrong certificate?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) The income-tax arrears outstanding as on 1st December, 1973, against M/s. Globe Motors Limited, New Delhi, amount to Rs. 28,000. The Company claims to have made a payment of Rs. 64,000 which is being verified.

(b) The property of the company can be sold only with the permission of the Delhi High Court and the sale proceeds thereof are required to be disbursed in accordance with the High Court's orders. The Company is functioning under a Scheme of Arrangement in accordane with the provisions of the Companies Act, 1956, and the management of its affairs is vested in a Managing Committee appointed by the Delhi High Court.

(c) Satisfactory provision for payment of taxes under the Scheme referred to at (b) above had been made. Therefore, a tax clearance certificate was issued by the Income-tax officer on 5th January, 1973, for the sale of the assessee's property situated at 10 Rambagh, Subzi Mandi, Delhi, for total a consideration of Rs. 9.65 lakhs. As such, the question of taking any action against the Income-tax Officer does not arise.

शिवमोनी स्टील ट्यूब, बंगलौर के शेयर

3775. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवमोनी स्टील टचूब बंगलौर के, जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, शेयरों का देश के किसी शेयर बाजार में सौदा नहीं हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कोन से शेयर बाजार है जहां यह शेयर बेचे या खरीदे जाते है तथा 31 अक्टूबर, 1973 को इन शयरों की बाजार दर क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) शिवमोनी स्टील टचूब्स लिमिटेड बंगलौर के दस दस रुपये के सामान्य शेयर और सौ सौ रुपये के मोचनीय संचयी 9.5 एतिशत वाले तरजीही शेयर सूचीबद्ध शेयर है और बम्बई तथा बंगलोर के स्टाक एक्सचेंजों में उनका लेन देन किया जा सकता है। बंगलोर स्टाक एक्सचेंज मैं सामान्य शेयरों का (7.50 रुपये चुकता) लेन दन किया जाता रहा है और 31-10-73 तक ऐसा अन्तिम लेनदेन 30.10.73 को 8.20 रुपये के भाव पर हुआ था। लेकिन बम्बई स्टाक एक्सचेंज में इस कम्पनी के शेयरों का कोई लेनदेन नही हुआ।

बम्बई के गोदामों में पड़े अखबारी कागज के रोल

3776. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के गोदामों में कई महीनों से अखबारी कागज के 500 रोल पडे हं;

(ख) क्या नई दिल्ली में अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है; और

(ग) इतने लम्बे समय से इन्हें गोदामों से न हटाने के क्या कारण हैं और इस जमा अखबारी कागज का प्रयोग कैसे किया जा रहा है अथवा किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुछ अवधि से विभिन्न माल खपों में कम माल होने के परिणामस्वरूप बम्बई में लगभग 145 मी० टन अखबारी कागज जमा हो गया था।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने इन कमियों के विरुद्ध दावे किये थे तथा माल को उठाने के लिये लगातार प्रयत्न कर रहा था।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने दावों पर अपना हक न छोड़ते हुए अब इस जमा स्टाक को ले लिया है।

स्टाफ कारों के प्रयोग क बारे में भारत सरकार के विभागों को निर्देश जारी करना

3777. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत सरकार के विभिन्न विभागों को स्टाफ कारों के प्रयोग को सीमित करने सम्बन्धी कोई निदश जारी किये है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इसमें क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) जी हां स्टाफ कार नियमों का कठोर पालन कराने के अलावा मंत्रालयों को पेट्रोल की खपत सीमित करने को भी कहा गया है। अब तक प्राप्त परिणामों का वास्तविक अन्दाजा लगाना अभी सम्भव नहीं है क्यों कि सम्बन्धित अवधि के लिए व्यय के तस्दीक शुदा आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हो सकते, वे चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही उपलब्ध हो सकेंगे।

पालम हवाई अड्डा स्थित सीमाशुल्क के जनसम्पर्क अधिकारियों द्वारा जनता के साथ कथित असहयोग

3778. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे स्थित सीमा शुल्क के जनसंपर्क अधिकारी यात्रियों की सहायता नहीं करते है और इसके बदले वे उनको क्लियरिंग एजेंटों के पास भेजे देते है है जो पालम हवाई अड्डे के सीमाशुल्क अधिकारियों को कमीशन दते है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, किन्तु यदि कोई ऐसी बात सरकार के ध्यान में आयगी तो अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायगी।

उत्पादकों से पटसन की निश्चित मात्रा में खरीद

3779. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री भागिरथ भवर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन मिलों को उत्पादकों से निश्चित मात्रा और समय में पटसन खरीदने के आदेश दिये है, और

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे आदेश का औचित्य इस वर्ष भारी फसल को देखते हुए उपजकर्ताओं से नियमित उठाने को सुनिश्चित करना और बाजार कीमतों में स्थिरता लाकर कृषको को अपने उपज के लिये उचित प्रतिलाभ देना है ।

मैसर्ज कोरस इण्डिया लिमिटेड, द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी

3780. **डा० लक्ष्मीनारायन पांडेय** : क्या वित्त मंत्री मैसर्ज कोरस इण्डिया लिमिटेड दुबारा उत्पादन शुल्क की चोरी के बारे में 17 अगस्त, 1973 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3486 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या अपेक्षित सचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) वास्तविक उत्पादन और दिये गये उत्पादन शुल्क में अन्तर क्या है ;

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ) उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल की निकासी के समय ही सामान्यत: उत्पादन शुल्क की अदायगी की जाती है । मेसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड टेलीप्रिंटर रोलों का निर्माण करते है । टेलीप्रिंटर रोलों / टेपों पर 7 फरवरी, 1973 से शुल्क लगाया जाने लगा । बताया जाता है कि मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड ने विभाग के इस तर्क का प्रतिवाद किया है कि उनके द्वारा उत्पादित टेलीप्रिंटर रोल शुल्क लगाय जाने योग्य है । बाद में उन्होनें लाइसेंस ले लिया और 20 मई, 1973 से शुल्क अदा करने पर उत्पादन शुल्क लगने योग इन मालों की निकासी कर रहे है । क्षेताधिकारी साह सहायक समाहर्ता द्वारा जारी किये गये अपील योग्य आदेश के अनुसार, पार्टी पर अब 30,572.07 रु० की मांग बकाया है । रिपोर्ट मिली है कि पार्टी ने इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई के समक्ष अपील दायर की है, जिस पर अभी निर्णय किया जाना है । इसी बीच, चूंकि पार्टी न कोई स्थान आदेश प्राप्त नहीं किया है, अत: विभाग इस मांग की वसूली के लिये कार्यवाही कर रहा है ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा ईक्विटी शेयरों को जारी करना

3781. **श्री सतपाल कपूर** :

श्री शशी भूषण :

क्या वित्त मंत्री विदेशी व्यापारियों के व्यापारिक नामों का प्रयोग करने के लिये भारतीय कम्पनियों को अनुमति देने के बारे में 31 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोका कोला निर्यात निगम को 'फेंटा ग्रेप' बनाने के लिय अपना विस्तार करने की अनुमति देने से पूर्व कहा गया था कि वह भारतीय राष्ट्रिक को अतिरिक्त ईक्विटी शेयर जारी करे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा फेंटा ग्रेप तैयार किया जाना कम्पनी का विस्तार है या नहीं और उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है या नहीं ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विदेशों को भेजी गई धनराशि

3782. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री शशी भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान कार्यालय के लाभ और क्षेत्र कार्यालय के खर्चों के रूप में वर्ष 1973 मे अब तक कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विदेशी को भेजी कई धनराशि क्या है;

(ख) क्या 31 दिसम्बर, 1972 को 4.06 करोड रुपये की धनराशि विदेशों को भेजी जानी थी और यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन यह धनराशि विदेशों को भेजी जायेगी अथवा भेजने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) क्या आम अथवा इसके उत्पादों का निर्यात करने मे 80 प्रतिशत फार्मूला लागु किया जायेगा जिसे कोका कोला निर्यात निगम निर्यात करने का विचार रखता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को 1973 के दौरान 1971 के लाभों के रूप में 76.10 लाख रुपये की रकम विदेशों में भेजने की अनुमति दी गयी थी उसके अलावा प्रधान कार्यालय के खर्चों/क्षेत्रीय कार्यालय के खर्चों के रूप में 1973 में अब तक कोई अन्य रकम भेजने की अनुमति नहीं दी गयी है ।

(ख) और (ग) कम्पनी के 31 दिसम्बर 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तैयार किए गए तुलनपत्र के अनुसार चालू खाते में प्रधान कार्यालय को देय रकम 2.49 करोड रुपये तथा लाभ हानि खाते की अधिशेष रकम 1.57 करोड रुपये थी। इस प्रकार कुल रकम 4.06 करोड रुपया बैठती है किन्तु कम्पनी द्वारा लगभग 212 लाख रुपये की रकम बाहर भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को जो प्रार्थना पत्र भेजे गए हैं और जो बेंक के विचाराधीन है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) लाभ (1972)	81.37 लाख रुपये
(ख) प्रधान कार्यालय । क्षेत्रीय कार्यालय व्यय (1969 से 1971 तक 14,29,424.43 अमरीकी डालर)	104.06 लाख रुपये
(ग) सेवा प्रभार (1969 तीसरी और चौथी तिमाही 1970 और 1971 पहली तिमाही) : 3,63,684.36 अमरीकी डालर) ।	26.48 लाख रुपये
	211.91 लाख रुपये

कारपोरेशन द्वारा विदेशों में रकमें भेजने के सबंध में दिए गए विचाराधीन प्रार्थना पत्रों और भविष्य में दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार विचार किया जायेगा : –

(*i*) जनवरी 1969 से मार्च 1972 तक सभी मामलों (आयात लाभ प्रधान कार्यालय खर्च, विदेशी शाखाओं के सेवा प्रभार आदि) उन वर्षों के दौरान निर्यात की कुल आमदनियों के 88 प्रतिशत के हिसाब स प्रेषण संबंधी सुविधाओं की अनुमति दी जायेगी ।

(*ii*) पहली अप्रैल 1972 के बाद से सभी मामलों में कम्पनी के अपने उत्पादन के निर्यात के 80 प्रतिशत तक की राशि के लिए प्रेषण की सुविधाएं दी जाएंगी ।

भारत व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य वर्ग के व्यापारियों की सहायता करना

3783. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडे व्यापारियों की तुलना में मध्य वर्ग की व्यापार कम्पनियों की सहायता करने में भारत व्यापार विकास प्राधिकरण सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक सफल रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) व्यापार विकास प्राधिकरण एक सेवा संगठन है जिसके 500 से अधिक क्लायंट है जिससें से लगभग 60 प्रतिशत छोटे पैमाने के क्षेत्र तथा 34 प्रतिशत मध्यम पैमाने के क्षेत्र से सम्बन्धित है। इस लिये व्यापार विकास प्राधिकरण की गतिविधियां मुख्य रूप से छोटे तथा मध्यम पैमाने के एककों की सहायता के लिये है । व्यापार विकास प्राधिकरण ने अन्य तरीकों के अलावा, निम्नोक्त प्रकार से उनकी सहायता की है :–

(1) विदेशी सहयोग से अथवा उसके बिना निर्यातोन्मुख उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिये जहां अपेक्षित है औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने में।

(2.) निर्यात उत्पादन के लिये तथा क्षमताओं के विस्तार के लिये पुंजीगत माल, कच्चे माल आदि के लिये आयात लाइसेंसो के प्राप्त करने में ।

(3) स्वदेशी स्त्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने में ।

(4) उत्पाद विकास के लिये नमूने, ड्राइंग, तकनीकी साहित्य तथा विशिष्टियां आदि आयात करके इन्हें दिलाकर ।

(5) विदेशी क्रेताओं के दोरों के माध्यम से निर्यात क्रयादेश प्राप्त कर के ।

(6) बाजारों उत्पादों तथा उनकी विशिष्टियों टैरिफ दरों, आयात विनियमों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान करके।

दिल्ली में पकड़ा गया आयतित कपडा

3784. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में कई लाख रुपये के मूल्य का आयातित कपडा जब्त किया गया है ;

(ख) कितने व्यक्ति गिरप्तार किये गये; और

(ग) किस प्रकार का कपडा पकडा गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) : दिल्ली में जनवरी, 1973 से नवंबर 1973 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर लगभग 29 लाख रुपये मूल्य के चोरी छिपे लाये गये वस्त्र पकडे गए जिनमें नाइलोन साडियों स्ट्रेचलान, सूटों के कपडे तथा पोलि-एस्टर का कमीजों का कपडा शामिल था। इस संबंध में 25 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं

दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बन्द होने की आशंका

3785. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बन्द होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के कारण क्लबों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड गया है। दिल्ली फ्लाइंग क्लब व कुछ अन्य क्लबों ने आवेदन किया है कि यदि सरकार उनकी सहायता नहीं करेगी तो उन्हें अपने परिचालन बन्द करने पड सकते है। मामले की जांच की जा रही है।

अपरिष्कृत जूट का निर्यात

3786. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :

श्री राम भगत पासवान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अपरिष्कृत जूट का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) हमारी जूट मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पडेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार का विचार भरी पूरी फसल को देखते हुए इस वर्ष कच्चे पटसन के बडी मात्रा में निर्यात करने का है। ठीक-ठीक मात्रा बाजार स्थितियों पर निर्भर करेगी। आशा है कि इस निर्यात से घरेलू कीमतों में स्थिरता लाने और उसके फलस्वरूप उत्पादकों को लाभ पहुचाने में सहायता मिलेगी।

Expenditure on Foreign Tours of Ministers

3787. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 5413 on the 30th March, 1973 regarding the delegations sent abroad and state :

(a) whether the required information has since been collected; and

(b) if so, a gist thereof?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No, Sir. The information is still awaited from several Ministries/Departments. They are being expedited.

(b) Does not arise.

Construction Work on Airport at Rewa (Madhya Pradhesh)

3788. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) The progress made on the construction of an airport at Rewa (M.P.), which was started nearly four years ago;

(b) the reasons for the delay; and

(c) the time by which this work is likely to be completed?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The Civil Aviation Department is not constructing any aerodrome at Rewa (Madhya Pradesh).

(b) or (c) Do not arise.

Proposal for Export of Coal and Gas to European Countries

3789. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some European countries have proposed for immediate import of coal and gas from India for facing their winter season in view of the shortage of oil and petrol there:

(b) if so, the names of those countries;

(c) whether Government have accepted this proposal in order to make up the shortage of foreign exchange; and

(d) whether it would not affect the coal and gas supply in India?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do (e) not arise.

चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए क्रैश फायर टेन्डरों और बचाव गाड़ियों का खरीदा जाना

3790. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे की अग्निशामक सेवाओं में सुधार करने के लिये क्रैश फायर टण्डर और बचाव गाडियां खरीदी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी लागत का हवाई अड्डे-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) 93.20 लाख रुपये के कुल मूल्य के 8 क्रैश फायर टेंडरों का (ट्रैक टाइप) कनाडा को क्रयादेश दिया गया है, जो कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास हवाई अड्डों के लिए दो-दो होंगे। इन में से चार पहले ही बम्बई बन्दरगाह पर पहुंच चुके है, तीन के लिये 26-11-1973 तक कनाडा से पोत द्वारा रवाना कर दिये जाने की आशा थी तथा आठवें की 1974 में किसी समय आने की सम्भावना है ।

20 क्रैश फायर टेंडरों (व्हील टाइप) की खरीद के लिए भी टेंडर प्राप्त हो चुके है। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा इन की जांच-पडताल की जा रही है ।

चार बचाव गाडियों के लिए क्रयादेश दिये गये है, प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए एक एक । अनुमान है कि इन की कीमत 16.80 लाख रुपये होगी तथा अप्रैल 1974 तक इन के प्राप्त हो जाने की आशा है ।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि

3791. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किये गये अधिकृत थोक मूल्य सूचकांक में 12 नवम्बर, 1973 को वित्त मंत्री द्वारा इस आशय के दावे से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वित्त मंत्री द्वारा दी गयी सूचना 13 अक्टूबर, 1973 को समाप्त हुए सप्ताह के थोक मूल्यों के सरकारी सूचकांक पर आधारित थी जो उस समय उपलब्ध सबसे हाल का सूचकांक था ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

भारत-अमरीकी व्यापार पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना

3792. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 के भारत पाक संघर्ष के बाद से भारत-अमरीकी व्यापार पर लगे प्रतिबन्धों के बावजूद, संयुक्त राज्य अमरीका भारत के व्यापारिक भागीदारों में सबसे बडा देश है; और

(ख) क्या व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिये उन्होंनें संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की है अथवा वहीं इस उद्देश्य से उसके जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971 के भारत पाक संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत-अमरीकी व्यापार पर कोई अंकुश नहीं रहे है । इस समय संयुक्त राज्य अमरीका हमारा अकेला बडा व्यापारिक साझीदार है ।

(ख) वाणिज्य मंत्री ने अभी तक संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा नहीं की है और यदि और जब भी संयुक्त राज्य अमरीका को हमारे निर्यातों को बढाने के लिये आवश्यक समझा जाएगा वे अमरीका की यात्रा पर जाएंगे ।

बैंक डकैतियां

3793. **श्री वसंत साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई डकैतियों की संख्या, उनका अलग-अलग विवरण, नगदी और मूल्यवान सामग्री का वर्गवार व्यौरा क्या है और पकडे गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों का अभी तक पता नहीं चल सका है और इन डकैतियों में कितनी धनराशि लूटी गयी;

(ग) क्या डकैतियों की बढती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी पुनरावृत्तिको रोकने के लिये सरकार ने विशिष्ट उपाय किये है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) 19 सितम्बर, 1969 से 30 अप्रैल 1972 तक सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में राष्ट्रीयकृत बेंकों मे लूटमार, डाकेजनी तथा बटमारी की 12 घटनाएं हुई जिनमें 9,08,266 रुपये की राशि अंतर्निहित थी। क्यों कि बेंक की लूटमार की घटनाओं सहित सभी दण्डय् अपराध, कानून और व्यवस्था से संबंधित होते है, जो राज्य सरकारों के लिए आरक्षित विषय है। अतः पकडे गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई या अब भी लापता व्यक्तियों की संख्या या राज्य सरकारों द्वारा किये गये विशेष उपायों के संबंध में, यदि कोई ये गये हों सरकार के पास कोई ब्यौरेवार सूचना नहीं है।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है उनके अपने-अपने सुरक्षा प्रबन्ध है, जिनकी उनके अनुभवों की दृष्टि से और कुछ मामलों में स्थानीय पुलिस के परामर्श से, समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

हशीश की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगना

3794. श्री वसन्त साठे :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक प्राइवेट घर में हशीश की तस्करी करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तर्गस्त स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंन्सियों के नाम, पकडे गए माल की कीमत, जालसाजों के काम का तरीका और हशीश की तस्करी रोकने के लिये जांच-पडताल के परिणामस्वरूप पता लगे महत्वपूर्ण सुरागों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक भारतीय राष्ट्रिक श्री अशोक सालोमन को उस समय पकडा जब वह 10 नवम्बर, 1973 को बम्बई से पालम हवाई अड्डे पर उतरा और तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 2.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की गयी थी। बाद में, श्री अशोक सालोमन के निम्नलिखित परिसरों तथा उसके संदिग्ध साथियों की तलाशी ली गयी थी :–

(i) इन–30, नयी दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन भाग ।

(ii) सं० 119–120, माडल बस्ती, पुलिस थाना, सदर बाजार, दिल्ली।

(iii) एफ–90, ग्रीन पार्क, नयी दिल्ली ।

(iv) नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बेंक, कनाट सर्कस, नयी दिल्ली के सेफ डिपाजिट वाल्ट में एक लाकर जो श्रीमती एफ० एच० सालोमन के नाम में है ।

(v) पुलिस थाना सराय गोहिला के अन्तर्गत लारेन्स रोड के डी० डी० ए० फ्लैटों में श्री रमेश चन्द्र का गोदाम ।

निम्नलिखित वस्तुएं पकडी गयी है :—

(क) 151.45 कि० ग्रा० हशीश (चरस) ।

(ख) 3,67,428 रुपये की विदेशी मुद्रा ।

(ग) 11,970 रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा ।

(घ) 12 बोर के 30 कारतूस, 30.06 राइफल के 20 कारतूस, एक किरपान एक छूरा तथा एक चाकू ।

(ड) लगभग 2 कि० ग्रा० सोना तथा सोने के आभूषण जिसमें 16 गिन्नियां तथा प्राथमिक सोने की लगभग 116.5 ग्राम के वजन की एक छड शामिल है ।

इस सम्बन्ध में अभी तक निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है :—

(i) श्री अशोक सालोमन ।

(ii) श्रीमती चन्द्र लेखा सालोमन ।

(iii) श्री आर० सी० शर्मा ।

(iv) श्रीमती चांद शर्मा ।

(v) श्री रमेश चंद ।

(vi) श्री अनिल मैकारथर ।

(vii) श्री नस्सीम जानिव ।

(viii) श्री एन्थोनी जी० डेविस ।

(ix) श्री प्रताप चन्द नाग ।

दिल्ली पुलिस ने इस सम्बन्ध में फौजदारी के चार मामले दर्ज किये है और आगे जांच-पडताल जारी है ।

आयकर एकत्रित करन के संबंध में स्वयं कर निर्धारण की प्रणाली

3795. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर एकत्रित करने के संबंध में वर्तमान स्वयं कर निर्धारण प्रणाली की असफलता के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भारत में आयकर एकत्रण के संदर्भ में अमरीकी प्रणाली की संभावित सफलता की जांच की है;

(घ) क्या सरकार के गुप्तचर डिविजन ने धोखाधडी के मामलों की खोज कर दाताओं को जानकारी देने की व्यवस्था को लागू करने तथा कर अपवंचकों को कठोर दंड देने के लिये प्रभावशाली सतर्कता को अपनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चहाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3796. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1973 को दिल्ली के आयकर आयुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या आयकर विभाग, दिल्ली में कार्य कर रही किसी युनियन अथवा एसोसिएशन ने कुछ सुझाव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली आयकर अराजपत्रित कर्मचारी संस्था ने कोई सुझाव नहीं भेजे परन्तु उसने 19 सितम्बर, 1973 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें विभिन्न मांगे की गई थी।

(ग) बहुत-सी मांगे तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग के निर्देश पदों के अन्तर्गत सामान्यत: आ गयी थीं। श्रेणी ii, iii तथा iv के कर्मचारियों के बारे में आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सरकार के निर्णय की घोषणा पहले हो की जा चुकी है और उन्हें कार्यवित किया जा रहा है ।

कर्मचारियों के विशेषाधिकारों, पदोन्नति मार्गों, सुविधाओं आदि से संबंधित मांगे तथा असामानताओं को दूर करने के संबंध में उनकी मांगे ऐसे मामले है जिन्हें संयुक्त परामर्श दाया तंत योजना के अन्तर्गत उपयुक्त परिषद में विचारार्थ उठाया जा सकता है। आयकर विभाग में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की एक बडो संख्या को नियमित संस्थापन में पहले ही लाया जा चुका है जिसके लिये मांग की गई थी।

कुछ गे, जिनका संबंध सभी केन्द्रीय कर्मचारियों से है, विशिष्ट नहीं है ।

कई ऐसी मांगे भी की गई जिनका संबंध विशेषकर आयकर कर्मचारियों से था । फालतु कर्मचारी एकक के कर्मचारियों को पदोन्नति पदों पर नियुक्ति को पूरी तरह रोकने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती । ऐसे कर्मचारियों को आयकर विभाग में स्थायी बनाए जाने के प्रश्न पर पहले ही से सहानुभूतीपूर्वक विचार किया जा रहा है। नोटिस सर्वरों को डाकियों के वेतन-मान से ऊंचे वेतनमान दिये जाने की मांग को तृतीय वेतन आयोग ने

स्वीकार नहीं किया है । श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए सुलभ पदोन्नति मार्गों मे सुधार लाने के प्रश्न पर आयोग की शिफारिशें ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है । विभिन्न वर्गों के पदों के बनाये जाने तथा विद्यमान पदों की संख्या को बढाये जाने की अनेक मांगें है । इन मामलों की जांच की जा रही है। कर निर्धारण तथा करों की वसुली की प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ नीति निर्णय को बदलने के बारे में भी मांगे की गई है। इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों के आवासीय स्थानों की समस्या पर भी ध्यान दिलाया गया है सरकार को इस समस्या की पूरा ध्यान है। तथापि इसे सुलझने के लिये बनाये गये कार्यक्रम के कार्यान्वियन को, सरकारी काम में मितव्ययता के कारणसे हाल स्थगित कर दिया गया है ।

1974 के लियें भारत-सोवियत व्यापार समझौता

3797. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 के लिये भारत सोवियत व्यापार समझोते पर दोनों देशों ने हस्ताक्ष किये है, और

(ख) यदि हां, तो इस समझोते के अन्तर्गत कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है और यदि नहीं, तो इसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1974 के दौरान दोनों देशों के बीच जिन वस्तुओं का विनिमय होना है उन्हें निर्दिष्ट करने वाली भारत सोवियत व्यापार योजना का अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । आशा है कि इस दिसम्बर, 1973 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

अन्य देशों में भारतीय बैंकों की शाखायें

3798. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन किन भारतीय बैंकों की भारत से बाहर शाखायें है और ये शाखायें कहां कहां स्थित हैं, और

(ख) इन शाखाओं के ऊपर रिजर्व बेंक आफ इण्डिया किस प्रकार नियन्त्रण करता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 7 भारतीय बैंकों की भारत से बाहर शाखाएं है । 30 सितम्बर, 1973 को उन बेंकों के नाम जिनकी भारत से बाहर शाखाए हैं और उन जगहों के नाम जहां शाखाएं है । अनुबन्ध में दिये गये हैं [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5937/73**]

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक उस देश के स्थानीय कानूनों को छोड कर जिस जगह पर विशिष्ट शाखा स्थित है, कई प्रकार से इन शाखाओं के कार्यचलन पर नियंत्रण करता है । ये निम्नलिखित है:–

शाखा खोलने से पुर्व भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता प्रत्येक बैंक द्वारा भारत से बाहर स्थित अपने सारे कार्यालयों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को एक मासिक विवरण भेजना तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा इन शाखाओं का समय समय पर निरीक्षण करवाना।

रत्नागिरी (महाराष्ट्र) की हवाई पट्टी का अधिग्रह

3799. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त हवाई पट्टी का प्रबंध संभालने और आन्तरिक विमानन के लिये इसका प्रयोग करने के लिये इण्डियन एयर लाइन्स से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के बारे में इण्डियन एयर लाइन्स की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन एयर लाईंस को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हवाई अड्डों पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाने के बारे में की गई कार्यवाही

3800. **श्री शंकर राव सामन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान चालन में सहायता करने के लिये बडे और छोटे हवाई अड्डों पर किन किन रक्षा उपकरणों का लगाया जाना आवश्यक है;

(ख) हमारे बडे और छोटे हवाई अड्डों पर इनमें से कौन से उपकरण उपलब्ध है;

(ग) इनमें से कौन से उपकरण कार्य कर रहे है और कौन से उपकरण कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) हवाई अड्डों पर आवश्यक सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध करने और उन्हें ठीक हालत में रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) किसी विमान क्षेत्र पर प्रदान की जाने वाली दार्ष्टिक और रेडियो दिक्चालन साधनों और वैमानिक संचार सुविधाओं की आवश्यकतायें वहां पर होने वाले विमान परिचालनों की प्रकृति पर निर्भर करती है । परिचालनात्मक आवश्यकताओं व साधनों की उपलब्धता के सापेक्ष आधुनिकतम प्रकार के उपकरण प्रदान करने तथा कार्य निष्पादन में सुधार करने के लगातार प्रयत्न किये जाते है । विमान कम्पनियों से परामर्श किया जाता है और आंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव सीमातक साधन/सुविधायें उपलब्ध की जाती है ।

उपकरणों के निर्धारण कार्य की देख भाल के लिए विभिन्न विमान क्षेत्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक नियुक्त किये जाते हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के स्वतंत्र कार्यकरण के लिए टाटा समिति को ज्ञापन

3801. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन कमर्शियल पायलट्स ऐसोसिएशन की मांग है कि एयर इंडिया तथा इण्डियन एयर लाइंस नागर विमानन मंत्रालय से स्वतंत्र रह कर कार्य करें;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सरकार द्वारा नियुक्त की गई टाटा समिति को इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने नागर विमानन विभाग के संघठनात्मक ढांचे और उसके क्रिया-कलापों का पुनरीक्षण करने के लिये श्री जे0 आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में गठित समिति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया है कि इण्डियन एयर लाइन्स व एयर इण्डिमा को एक पृथक मंत्रालय के अधीन रखा जाये। निःसंदेह समिति संघ के इस ज्ञापन पर विचार करेगी। तथापि समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने और सरकार को उस पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

भारत का विदेश व्यापार

3802. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने विदेश व्यापार पर नए सिरे से विचार करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या द्विपक्षीय व्यापार करारों के स्थान पर एक पक्षीय व्यापार क्षेत्र प्रणाली लागू की जायेगी; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में भारत का निर्यात संतोषजनक नहीं रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) देश के विदेश व्यापार, विशेषतः निर्यातों का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है तथा सभी आवश्यक उपाय किये जाते है जिसमें द्विपक्षीय व्यापार करार कराना, उनकी अवधि बढाना या अवधि का बीत जाना शामिल है ।

(ग) विगत कुछ वर्षों में विश्व निर्यातों में हमारे हिस्से में गिरावट की जो प्रवृत्ति देखने में आई है, जो कि मुख्यतः ऐसे कारणों से आई है जो हमारे नियत्रण के बाहर है वह 1972 के दौरान देश से निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि के फलस्वरूप रुक गई है ।

भारत और सुरीनाम के बीच व्यापार

3803. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सुरीनाम उपमंत्रियों ने सितम्बर, 1973 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) क्या इस वार्ता के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार की पर्याप्त नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सुरीनाम के उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (उपमंत्री नहीं) श्री हैरी एस० राधाकृष्ण सितम्बर, 1973 के तृतीय सप्ताह में नई दिल्ली आये थे। उन्होंने विदेश कार्य मंत्री, विदेश कार्य राज्य मंत्री और वाणिज्य उपमंत्री के साथ विचार विमर्श किये।

(ख) तथा (ग) विचार विमर्श सामान्य स्वरूप के थे और उनमें मुख्य रुप से दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के सुदृढीकरण की गुंजाइश संबंधी विषय शामिल था ।

नेपाल सीमा पर तस्करी में कमी

3804. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के दौरान बिहार के निकट भारत नेपाल सीमा पर विशेष कर चम्पारन जिले की रक्सौल सीमा पर अपेक्षाकृत कम तस्करी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) गुप्त सूचना संबंधी रिपोर्टों से पता चलता है कि चम्पारन जिलेसे सहित भारत नेपाल सीमा पर तस्कर-व्यापार में गिरावट आई है।

(ख) दोनों देशों के बीच खुली सीमा, सीमा के आर पार आने जाने वाले दोनों देशों के नागरिकों पर यात्रा संबंधी प्रतिबन्धों का नहीं होना, सीमा के आरपार मुद्राओं का लगभग अप्रतिबन्धित रूप से प्रवाहित होना तथा दोनों देशों के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी विनियमनों का लागू नहीं होना आदि कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से तस्कर व्यापार को पूरी तरह समाप्त करना अव्यवहार्य है ।

किन्तु, इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई है ।

(i) व्यापार के अपवाहन और तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भारत नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि, 1971 में विशेष उपबन्ध किए गए हैं।

अपवाहन को रोकने के लिए नेपाल के महामहिम की सरकार से अपनी व्यापार विषयक ीतियों को विनियमित करने के लिए सहयोग मांगा गया है,

(ii) पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में भारत नेपाल सीमा के निकटवर्ती महत्वपूर्ण स्थानों पर पटना के सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) के अधीन 9 सहायक समाहर्ता, 31 अधीक्षक, 359 निरीक्षक, 22 उप निरीक्षक 42 जमादार, 643 सिपाही तथा 27 महिला खोजकर्ता तैनात की गई हैं।

सीमा तथा शहरों में जोरदार गश्त लगाने के लिए कर्मचारियों को जीपें भी दी गई है। हमारे कर्मचारियों पर आक्रमण की कई घटनाएं हुई है। अतः कर्मचारियों को शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है।

(iii) सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का सशोधन किया गया है। अधिनियम के नए उपबंध तस्कर आयात की गयी वस्तुओं का पता लगाने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को बहुत लाभदायक सिद्ध हुए है।

(iv) भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों के तस्कर विरोधी उपायों का समन्वय करने के लिए राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय में एक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने से संबंधित मामलों में सीमाशुल्क समाहर्ता पटना को सलाह देने के लिए एक प्रादेशिक सलाहकार समिति भी गठित की गई है।

मुजफ्फरपुर की विमान सेवा सुविधा से वंचित किया जाना

3805. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर को विमान सेवा सुविधा वाले स्थानों पर की सूची से निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर के लिये विमान सेवा इडियन एयरलाइंस के विमान-बेडे की तंग स्थिति के कारण समाप्त कर दी गई है।

आयकर को बकाया राशि

3806. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री के० के० बिडला, सर्वश्री जी० डी० बिडला, एम० पी० बिडला और आर० पी० गोयन्का की ओर मार्च, 1973 तक आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्हाण) : (क) 31 मार्च, 1973 को सर्वश्री जी० डी० बिडला, एम० पी० बिडला और आर० पी० गोयन्का की तरफ आयकर की कोई बकाया नहीं थी। तथापि, उक्त तारीख को श्री के० के० बिडला की तरफ 98,000 रु० की आयकर की बकाया थी।

(ख) श्री के० के० बिडला की तरफ बकाया को उनको देय 2,75,000 रु० की वापसी में समयोजित किया जा रहा है।

5—33 LS.S./73

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को 1972–73 में दिया गया समयोपरि भत्ता

3807. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइंस के कर्मचारियों को वर्ष 1972–73 के दौरान समयोपरि भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) क्या कर्मचारी यूनियन ने समयोपरि भत्ते की मांग न किये जाने के बारे में इण्डियन एयर लाइंस के प्रबंधकों से कोई प्रस्ताव किया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) वर्ष 1972–73 के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी के वेतन को मिला कर समयोपरि भत्ते के रूप में 362.46 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

व्यापक राष्ट्रीयकृत बैंक नीति का अपनाया जाना

3808. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम धनराशि ऋण संबंधी शर्तें तथा क्षेत्र प्रत्येक बैंक में भिन्न-भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभी बैंकों के लिये एक व्यापक राष्ट्रीयकृत बैंक नीती निर्धारित किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) यद्यपि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए बनायी गयी शर्तें मूल रूप से लगभग समान है, परन्तु ब्यौरे के मामले में विशेष करके गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए उपलब्ध किये गय ऋणों के सम्बन्ध में भिन्नता है । जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का सम्बन्ध है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अब समुचित उदार शर्तों की समान नीति को अपनाते हैं, और उन का दृष्टिकोण अब प्रयोजन और उत्पादन प्रधान ऋण देने का है न कि प्रतिभूति प्रधान ऋण देने का जैसा कि पहले किया जाता था । नीति का उद्देश्य अब सभी सुपात्र उत्पादक प्रयत्नों के लिए ऋण उपलब्ध करने का है और प्राथमिकता के आधारपर कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यापार सड़क परिवहन, शिक्षा आदि जैस क्षेत्रों की सहायता करना है और प्राथमिकता के आधार पर यह नीति सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एक समान आधार पर अपनायी जा रही हैं ।

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सैल

3809. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छठे वित्त आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिये सरकार ने वित्त मंत्रालय में एक सैल नियुक्त करने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के विषय में कार्रवाई करने से सम्बद्ध कार्य करने और आवश्यक कानून के प्रवर्तन सहित बाद की कार्रवाई करने के लिए पांच महीने की छोटी सी अवधि के लिए कुछ अस्थायी पदों का निर्माण किया गया है ।

भारतीय पटसन निगम को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा धन प्रदान करना

3810. **श्री वेकारिया** : क्या वित्त मंती यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम को पटसन की खरीद करने के लिये धन देने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया सहमत हो गया है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में गठित प्रत्येक पटसन व्यापार निगम को भी यही सुविधाएं उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत इसने चालू मौसम के लिए भारतीय जूट निगम द्वारा जूट-प्राप्ति के लिये किये जाने वाले कार्यों के विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कुछ वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के प्राधिकृत किया है।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक बैंकों को, योग्यता के आधार पर जूट व्यापार निगम अथवा ऐसे ही किसी संस्थान के, जो किसी भी राज्य में स्थापित है, ऋण सुविधाएं देने की छूट है ; यदि संबंधित संस्थान इस उद्देश्य के लिए बैंकों के पास जाएं।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना

3811. श्री सी० जनार्दनन :

श्री रानन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को जाने वाली वस्तुओं के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कुछ टेस्ट हाउस स्थापित किए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इनके स्थान, अनुमानित लागत आदि को बताये हुये तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। देश में विद्यमान पोत-लदान पूर्व निरीक्षण प्रणाली फिर से चालू करने के लिए, 5 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बम्बई में एक मार्गदर्शी परीक्षण सदन स्थापित करने का विचार है। इस परीयोजना पर, जिसे अनन्तिम रूप से 5 वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है, लगभग 310 लाख रु० की लागत आने का अनुमान है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की फालतू धनराशि

3812. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास पर्याप्त फालतू धनराशि है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समाज के कमजोर वर्ग तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक ऋण सुविधाएं दिये जाने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) जब से राष्ट्रीयकरण आरम्भ हुआ है, यह नीति रही है कि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों को–विशेष तथा कृषि, छोटे उद्योगों सड़क तथा जल परिवहन, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापार, आत्म-नियोजन आदि का अवसर प्रदान करने वाले विभिन्न व्यवसायों और कामधंधों में लगे लोगों को अधिकाधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को ऋण स्वीकार करना न तो निष्क्रिय पड़ी निधि की उपलब्धतासे जुड़ा हुआ

है और नही इस पर निर्भर करता है ; यदि बैंकों को व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं तो वे प्राथमिकता के आधार पर उनका समर्थन करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इन क्षेत्रों की सहायतार्थ कई योजनाएं बनाई हैं, इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण के समय जबकि इन क्षेत्रों को कुल अग्रीम का 14.9 प्रतिशत दिया गया था, जून 1973 तक यह अनुपात बढ़ कर 23.8 प्रतिशत हो गया ।

जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को दिया गया ऋण

3813. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने किन किन कम्पनियों को एक करोड़ रुपया और इससे अधिक राशि का ऋण दिया है ;

(ख) क्या एक करोड़ रुपये का ऋण देने पर अथवा शेयर खरीदने पर अथवा किसी अन्य प्रकार सहायता करने पर जीवन बीमा निगम को ऐसी कम्पनियों के निदेशक मण्डल में अपने निदेशक नियुक्त करने का हक है ;

(ग) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने ऐसी कितनी कम्पनियों में अपने निदेशक नियुक्त किए हैं ; और

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अब तक एक करोड़ रुपये और उससे अधिक रकम के सावधि ऋण निम्नलिखित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियोंको मंजूर किए गए हैं और वस्तुतः दिए गए हैं :—

कम्पनी का नाम	स्वीकृत रकम	वस्तुतः दी गई रकम
	(लाख रुपयों में)	
1. अशोक पेपर मिल्स लि०	100.00	
2. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०	200.00	200.00
3. बेयर इण्डिया लि०	175.00	175.00
4. इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन एण्ड इक्विपमेन्ट कं० लि०	100.00	95.00
5. गुजरात स्टेट फर्टिलायजर्स कं० लि०	200.00	200.00
6. इंण्डिया सीमेंट लि०	150.00	150.00
7. इण्डियन डायस्टफ इन्डस्ट्रीज लि०	150.00	150.00
8. इण्डियन एक्सप्लोसिवज लि०	300.00	300.00
9. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	250.00	..
10. मद्रास एल्युमीनियम कं० लि०	100.00	100.00
11. मोदी रबर लि०	150.00	
12. मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	150.00	..

कम्पनी का नाम	स्वीकृत रकम	वस्तुतः दी गई रकम
13. नेशनल आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लि० .	200.00	200.00
14. पान्यम सीमेन्ट एण्ड मीन० इण्डस्ट्रीज लि० . .	135.00	60.00
15. प्लास्टीक रेजिन्स एण्ड केमिकल्स लि० . .	100.00	100.00
16. पोल्योलेफिन्स इण्डस्ट्रीज लि० . . .	140.00	140.00
17. श्रीराम फाइबर्स लि०	100.00	..
18. सदर्न पेट्रोकेम इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० . .	250.00	..
19. स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	115.00	75.00
20. स्वदेशी पोलिटेक्स लि०	120.00	100.00
21. टाटा आइरन एण्ड स्टील कं० लि० . . .	250.00	..
22. टिनप्लैट कं० आफ इण्डिया लि० . . .	100.00	..

(ख) जून 1971 में भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए जाने के पहले जीवन बीमा निगम जिन कम्पनियों को ऋण सहायता देता था उनके प्रबन्धक बोर्ड में जीवन बीमा निगम के अपने हितों की रक्षा के लिए अथवा सार्वजनिक हितों में निगम द्वारा नामजद प्रतिनिधि की नियुक्ति किए जाने के लिए जीवन बीमा निगम विशिष्ट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में करार करवाने का आग्रह नहीं करता था। परन्तु ऋण सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियां के साथ बाद में जो ऋण सहायता सम्बन्धी करार किए गए है उन सब में उक्त कम्पनियों के प्रबन्ध बोर्ड में वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के नामान्कन की शर्त रखी गई है। जिन 77 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को बाजार में शेयर खरीदने से भिन्न निवेश मंजूर किए गये हैं उनके सम्बन्ध में किए गए करारों में इस प्रकार की शर्त रखी गयी हैं।

(ग) और (घ) इस प्रकार की कम्पनियों के 21 मामले हैं जिन के नाम नीचे दिए गए है :—

1. अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कं० लि०
2. एल्युमीनियम इण्डस्ट्रीज लि०
3. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०
4. भारत कार्बन एण्ड रिबन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०
5. बम्बई सबरबन इलेक्ट्रीक सप्लाई लि०
6. कूपर इंजीनियरिंग लि०
7. एस्कार्टस लि०
8. इंचेक टायर लि०
9. इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
10. इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लि०

11. इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रकशन कारपोरशन आफ इण्डिया लि०

12. जेन्सन एण्ड निकोल्सन (इण्डिया) लि०

13. जेसप एण्ड कं० लि०

14. लार्सन एण्ड टोब्रो लि०

15. नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि०

16. यू० टी० कम्पनी लि०

17. प्रीमियर आटमोबाइल्स लि०

18. सूरत इलक्ट्रीसिटी कं० लि०

19. टैक्स टूल कं० लि०

20. थाना इलक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०

21. वालचन्द नगर इण्डस्ट्रीज लि०

छोटे दुकानदारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

3814. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे दुकानदारों को ऋण दिए जाने की व्यावहार्यता की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देने की स्वीकृत नीति के अनुसार राष्ट्रीय बैंक फुटकर व्यापार और छोटे व्यापारों जिनमें छोटे दुकानदार भी शामिल हैं, के लिए ऋण दे रहे हैं। इन वर्गों को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा फुटकर व्यापार और छोटे व्यवसाय के लिए दिए गए ऋण :—

श्रेणी		जून 1971 के अन्त में		जून 1972 के अन्त में*		जून 1973 के अन्त में*	
फुटकर व्यापार		खातों की संख्या	शेष राशि	खातों की संख्या	शेष राशि	खातों की संख्या	शेषराशि
फुटकर व्यापार	.	753,72	44.69	89,667	51.37	1,56,218	81.55
छोटे व्यापार	.	32,306	5.61	40,278	6.56	75,443	13.47
जोड़	.	1,07,678	50.30	1,29,945	57.93	2,31,661	95.02

*अनन्तिम

काजू की गिरी के निर्यात में कमी

3815. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महिनों में भारत से काजू की गिरी के निर्यात नें कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में गत छः महीनों में देशवार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के संबंध में व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1973 के छः महीनों की अवधि में काजू की गिरी की देशवार निर्यात आय वर्ष 1972 की इसी अवधि की तुलना में निम्नोक्त प्रकार है :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

देश	अप्रैल से सितम्बर के दौरान निर्यातों का मूल्य	
	1972	1973
आस्ट्रेलिया	98.66	101.75
बेल्जियम	6.47	7.02
कनाडा	425.01	252.38
चैकोस्लोवाकिया	60.26	77.82
फ्रान्स	16.10	5.59
जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य	81.33	27.13
जर्मन संघीय गणराज्य	39.02	57.45
हांगकांग	54.20	59.32
हंगरी	0.79	4.12
इटली	3.06	7.96
जापान	125.29	317.80
कुवैत	6.88	14.65
नीदरलैण्डस	55.96	67.67

देश	अप्रैल से सितम्बर के दौरान निर्यातों का मूल्य	
	1972	1973
रुमानिया	17.72	11.41
सिंगापुर	20.22	28.49
ब्रिटेन .	105.66	89.55
अमरीका . .	1367.11	1419.37
सोवियत संघ .	1416.47	2048.09
अन्य	63.71	24.30
योग .	3963.92	4621.87

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच शीघ्र वाणिज्य सहयोग करार किये जाने की आवश्यकता

3816. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान यूरोपिय आर्थिक समुदाय के नेताओं से भारत और उन के बीच शीघ्र ही वाणिज्य सहयोग करार किए जाने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्यिक सहयोग करार के सम्बन्ध में अभी वार्ता चल रही है।

Forward Trading in Neem Oil

3817. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether forward trading is going on in Neem Oil in Agra and Hapur of Uttar Pradesh and in various other parts of the country;

(b) whether there is a ban on forward trading in Delhi;

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Some reports to this effect have been received by the Forward Markets Commission

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में विद्युतिकरण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने के लिये सिंडीकेट बैंक का प्रस्ताव

3818. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में विद्युतीकरण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सिंडीकेट बैंक ऋण सहायता देने संबंधी योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) कितनी राशि के ऋण की मांग की गई है और यह निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने बहुत से जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और सिंडीकेट बैंको को धन देने के लिये कहा है। बकों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (प्रतिष्ठानों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 के उपबन्धों के अनुसार बैंकों के पृथक-पृथक से संबधित सूचना बताई नहीं जाती।

लौह अयस्क के निर्यात की समस्याएं

3819. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये लोह आयस्क को विशाखापत्तनम् में जमा करना एक समस्या बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या, यदि वहां पर और अधिक लौह-अयस्क डाला गया, तो डम्पयार्ड के नीचे की नर्म भूमि धस जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अप्रैल-जून, 1973 के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन पर पत्तान क्षेत्र में मिट्टी धसकन के कारण स्टाकधारिता क्षमता में अकस्मात कमी हुई थी परन्तु उसे इस बीच ठीक किया जा चुका है।

किराये पर लिये गये विभिन्न भवनों का रिजिर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिया गया किराया

3820. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री रामचन्द्रन कठनापल्ली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किराये पर लिये गये विभिन्न भवनों के किराये के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बंबई में अपने भवन के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई भूमि को वापस कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और बम्बई में रिजर्व बैंक के भवन के निर्माण के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने, किराए पर ली गई अपनी विभिन्न इमारतों के लिए 1970-71 से 1972-73 तक के 3 वर्षों के दौरान 112.80 लाख रुपये की अदायगी की है। इस राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

वर्ष	लाख रुपयों में
1970–71	34.85
1971–72	37.43
1972–73	40.52*

*1972–73 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि खर्च में कमी करने के लिए उसने बैंक रिक्लेमेशन क्षेत्र में पूर्वतटीय भूमि को, जो इसने महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की थी, वापस कर दिया है और केन्द्रीय सरकार से मिण्ट कम्पाउन्ड में जमीन ली है जो सुविधाजनक स्थान पर स्थित है और अधिक अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध है। बैंक एक बहुमंजली इमारत बनाना चाहता है जिसका आसन क्षेत्र 2,56,000 वर्ग फुट होगा और इसमें दो बेसमेन्ट एक ग्राउन्ड फ्लौर एक मैजेनाइन फ्लौर और पच्चीस अपर फ्लौर होगी। इमारत की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये होगी और आशा है कि इमारत 1970 तक पूरी हो जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को ब्याज की भिन्न भिन्न दरों संबंधी योजना के अन्तर्गत धन का दिया जाना

3821. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 31 मार्च 1973 तक छोटे किसान तथा समाज के कमजोर वर्गों को देश के सभी पिछड़े जिलों में ब्याज की भिन्न भिन्न दरों संबंधी योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर कितनी धनराशि दी; और

(ख) औसतन ऋण की राशि कितनी है और यदि ऋण लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई हैं तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना इस प्रकार है—

निम्न तारीख को	ऋण लेने वालों के खातों की संख्या	शेष राशि	प्रति खाता औसत (करोड़ रुपयों में)
सितम्बर 1972	3,770	0.13	346
दिसम्बर 1972	26,202	0.87	333
मार्च 1973	55,536	2.07	373

आंकड़े अनन्तिम हैं।

भारत और गुयाना के बीच व्यापार करार

3822. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुयाना और एक भारतीय फर्म के बीच 60 बसें सप्लाई करने के लिए जार्जटाउन हाल में एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय निर्यात गृह द्वारा यह अपनी किस्म का पहला सौदा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। जहां तक गुयाना को निर्यात का संबंध है, यह अपनी किस्म का पहला सौदा है।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

3823. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार विश्व बैंक से विदेशी सहायता प्रबन्धों को कितने समय तक जारी रखने का है; और

(ख) क्या सहायता मांगते समय जनसंख्या, रोजगार, आय के वितरण, स्वास्थ्य और कुपोषण सहित आर्थिक विकास के विशेष पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आशा है कि विश्व बैंक से हमारी आयोजनाओं की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरुप साधन प्राप्त होते रहेंगे।

(ख) जी, हां।

औद्योगिक मजदूरों को दिये जाने वाले छंटनी के मुआवजे पर आयकर में छूट

3824. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत उन मजदूरों को जिनकी सेवा से सदा के लिए छंटनी कर दी जाती है, दिये जाने वाले छटनी मुआवजे पर आयकर में छूट देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत उस छटनी–मुआवजे की और है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत छटनी किये गये कर्मचारियों को देय है। सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय छंटनी मुआवजे को क़रमुक्त करने के बारे में प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर इस समय विचार कर रही है।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3825. **श्री मान सिंह भौरा** :

श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योम का राष्ट्रीयीकरण करने के मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति

3826. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण संबंधी नीति में मूल परिवर्तन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में जो आम तौर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कहलाते है, उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपनी ऋण नीतियों में काफी परिवर्तन किया है। जिसके परिणामस्वरुप जबकि राष्ट्रीयकरण के समय इन क्षेत्रों को बैंकों के कुल अग्रिमों का केवल 14.9 प्रतिशत दिया जाता था, उसके बाद अब 23.8 प्रतिशत दिया जाता है। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर ऋण देते हैं ताकि वे अपनी आय और रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सकें। बैंकों में भी अपने धन की सुरक्षा की भावना नहीं है और उनकी ऋण देने की नीतियों का झुकाव उत्पादन की ओर है तथा ऋण देने के कारण ऋण भोक्ता को आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋण की वापसी अदायगी की क्षमता में फेर बदल भी देखा जाता है।

जो क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त नहीं है न उनके सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण की उपलब्धता को नियमित करने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निदेशित की गई नीतियों का पालन करते हैं, ताकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और उनके काले बाजार को रोका जा सके तथा सरकार की नीति के अनुसार ही बड़े ऋणकर्ताओं के लिए ऋण की उपलब्धता को नियमित किया जा सके।

अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी फेडरेशन

3827. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी फेडरेशन के बन जाने के बारे में पता है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई संकल्प प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को एक परिपत्र की प्रति प्राप्त हुई है। जो उन कर्मचारी-संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में तैयार किया गया था जिन के बारे में बताया गया है कि अब उनका आयकर कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध नहीं रहा है। परिपत्र के अनुसार, बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ एक अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ बनाने का और इसे "अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ" के नाम से पुकारे जाने का निश्चय किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन

3828. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी कम्पनियों, शाखाओं और विदेशी बैंकों सहित सहायक कम्पनियों पर भारतीय करों के अपवंचन जैसे कदाचारों का आरोप लगाया गया है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या क्या निश्चित आरोप है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक आरोप पर अगर कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

पश्चिम बंगाल में किसानों को बैंक से अग्रिम धन

3829. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, पश्चिम बंगाल में किसानों को बैंकों द्वारा कुल कितना अग्रिम धन दिया गया है ;

(ख) इसमें से चाय बागानों का भाग कितना है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक बोर्ड के एक सदस्य ने 24 सितम्बर 1973 को कलकत्ता में कहा था कि बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये कुल 80 करोड़ रुपयों में से 70 करो रुपये पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) संभव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी ।

75 बड़े व्यापारगृहों से सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियों का उल्लंघन और करापवंचन

3830. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 75 बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रणाधीन उन कम्पनियों के नाम और अन्य ब्यौरे क्या हैं जिन पर पिछले तीन सालों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन और करापवंचन के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रणाधीन कम्पनियों के उन निदेशकों के नाम और अन्य बातों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त अवधि के दौरान कर–अपवंचन, विदेशी मुद्रा–विनियमों के उल्लंघन और धोखाधड़ी पूर्ण लेनदेन करने के आरोप हैं;

(ग) प्रत्येक कम्पनी और व्यक्ति के विरुद्ध क्या–क्या निश्चित आरोप हैं; और

(घ) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और अगर कार्यवाही की जा चुकी है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन–पटल पर रख दी जाएगी ।

गत तीन वर्षों में भारतीय पटसन निगम द्वारा अर्जित आय

3831. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, पटसन उद्योग द्वारा कुल तथा शुद्ध कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) उद्योग को कच्चे पटसन की खरीद के लिये 30 करोड़ रुपए दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कच्चे पटसन की खरीद और बिक्री के मामले में भारतीय पटसन निगम की भूमिका क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कच्चे पटसन व्यापार को पूर्णतया अपने हाथ में न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश में 65 पटसन मिल कम्पनियां हैं इसमें से 49 मिल कम्पनियों का जिसमें में से 7 मिल कम्पनियों ने पटसन के अलावा अन्यों में भी हित हैं, वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान कुल तथा निवल लाभ निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

	1969-70	1970-71	1971-72
कुल लाभ (मूल्यह्रास तथा व्याज से पूर्व)	+12.66	+19.76	+30.66
निवल लाभ (कर भुगतान से पूर्व) . .	—0.15	+5.51	+16.30
लाभ (कर व्यवस्था के पश्चात्)	—0.72	+4.01	+12.30

(ख) पटसन माल का उत्पादन और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अभी हाल में मिलों को अपने कच्चे पटसन की खरीदों को अधिकतम करने तथा स्टाक रखने की अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिये अधिक से अधिक 4 मास की खपत तक के कच्चे पटसन के स्टाक के आधार पर पटसन मिलों को वित्त उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दे कर पटसन उद्योग से संबंधित साख नीति में ढील दे दी है ।

(ग) पटसन निगम का कार्य पटसन उपजकर्ताओं के लिये उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए कच्चे पटसन के विपणन में ढांचे से संबंधित सुधार करना, कच्चे पटसन की कीमत तथा सप्लाई स्थिर करना, समीकरण भंडार बनाने के लिए कीमत समर्थन तथा वाणिज्यिक खरीद कार्य करना, तथा आवश्यकतानुसार कच्चे पटसन के आयात एंव निर्यात व्यापार में सीधे भाग लेना है ।

(घ) भारतीय पटसन निगम के पास कच्चे पटसन का समस्त व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए आवश्यक अवस्थापन तथा विशेषज्ञता नहीं है । तथापि, यह व्यवस्था की गई है कि कुछ समय पश्चात् कच्चे पटसन का बल्क व्यापार भारतीय पटसन निगम द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल आयकर कर्मचारी संघ

3832. **श्री रानेन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल आयकर कर्मचारी संघ ने प्रत्यक्षकरों के केन्द्रीय बोर्ड से यह मांग की है कि उन्हें मान्यता दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मान्यता दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ से मान्यता के लिए उसके दावे से संबंधित कुछ ब्यौरे देने को कहा गया है। ब्यौरों की अभी प्रतीक्षा है । संघ से उत्तर प्राप्त होने पर वास्तविक मान्यता देने के मामले की जांच की जाएगी ।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के नान-आपरेशनल कर्मचारियों पर लागू करना

3833. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 4 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9203 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को, जो भारतीय पर्यटन विकास निगम के आपरेशन युनिट पर लागू है; इसके मुख्यालय के नान आपरेशनल कर्मचारियों पर भी लागू होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम सभी संस्थानों पर लागू होता है तथा कारपोरेशन के उन सभी युनिटों पर भी लागू होता है जिन पर अधिनियम में प्रयुक्त 'संस्थान' शब्द की परिभाषा लागू होती है ।

Reaction of Government to the Resolution adopted in the Meeting of Class I Officers of L.I.C. held in Bombay

3834. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have received copies of the Resolution adopted at the meeting of Class I Officers of the Life Insurance Corporation held in Bombay on the 14th April, 1973;

(b) whether the attention of Government has been drawn towards Resolution No. 3; and

(c) if so, the main features thereof and the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Dr. Sushila Rohatgi) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) (1) The main features of the Resolution No. 3 are that it totally disapproves the Corporations "Craze for figure oriented high pressure business resulting into arbitrary and absolutely unrealistic fixation of business targets for branches and divisions", and urges upon the management of LIC.

(i) to scrap the present quota system of fixing business target for Branches and Divisions; and

(ii) to evolve a rationale based on minimum norms accepted by the corporation from the field workers. The Resolution also directs all the Class I Development Officers not to accept" the arbitrarily fixed up business quota" for the current year.

(2) New business target for the L. I. C. as a whole and at Divisional and Branch levels are fixed after series of discussions with the Divisional and Branch Managers concerned. Targets are fixed taking into account the capacity of the existing field organisation to develop and potential for growth of business and care is taken to ensure that arbitrary or unrealistic figures are not adopted. The minimum norms agreed to for Development Officers are the very least they should do without attracting disciplinary action and they cannot serve as a base for target.

No action was considered necessary either by L. I. C. or the Government.

Advancing of Loans by Nationalised Banks to weaker sections

3835. **Shri Ramavatar Shashtri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether after the nationalization of banks, Government had followed policy of advancing more loans to weaker sections;

(b) if so, the total amount of loans advanced to them during the year 1971-72 and 1972-73, separately; and

(c) the percentage of loans out of the total amount of loans disbursed, advanced annually to medium industries, farmers, unemployed engineers, graduates and others, separately?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) Since nationalisation the accent of policy has been on providing bank credit in increasing measure to weaker sections of the community such as agriculturists, persons engaged in small scale industries, small business and retail traders, road and water transport operators, professionals and self-employed persons, etc. In the past these sectors were neglected by the banks these are now treated by them as priority sectors. The attached statement I gives the position in regard to outstanding advances of public sector banks to agriculture and other neglected sectors as at the end of June 1969 and as at the end of June 1973. [**Placed in the Library See Ng. L.T.-5938/73**]. With a view to helping the weakest among the weak in their productive endeavours a scheme of Differential Interest Rates is in operation, under which loans to borrowers satisfying certain income and other criteria are made available at the rate of 4 per cent per annum. The information relating to lending under this scheme is given in Statement II. [Placed in the Library See No. L.T.-5938/73]

सोने की तस्करी में कमी

3836. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की तस्करी में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में तस्करी के आंकड़ों की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) देश में तस्कर आयात किये जा रहे सोने की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है। लेकिन, गुप्त सूचना संबंधी रिपोर्टों तथा वर्ष 1969 से 1972 तक सोना पकड़े जाने के निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश के अन्दर सोने का तस्कर आयात 1971 से घट गया होगा :

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)
1969	6280
1970	5076
1971	2051
1972	1789
1973 (सितम्बर तक)	584

अपरिष्कृत काजू के वितरण पर नियंत्रण को कठोर किया जाना

3837. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिष्कृत करने वाले कारखानों को अपरिष्कृत काजू के वितरण पर नियंत्रण को कठोर करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने 3 नवम्बर, 1973 से साधितकर्त्ता एककों को आयातित कच्चे काजू के आवंटन के संबंध में आयात व्यापार नियंत्रण नीति संशोधित की है ।

यह इस लिये किया गया है ताकि कच्चे काजू की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में उद्योग का स्वस्थ विकास तथा काजू गिरियों के निर्यात सुनिश्चित हो सके ।

इंडिया सिक्योरिटी पेपर मिल, हौशंगाबाद में उत्पादन

3838. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इंडिया सिक्योरिटी पेपर मिल्स, हौशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में कुल कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में मजदूर तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों को कितनी मजूरी दी गई; और

(ग) उत्पादन में बार बार कमी तथा मजूरी बिल में वृद्धि के कारण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों में हौशंगाबाद स्थित प्रतिभूति कागज कारखाने में हुए कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है

वर्ष	मात्रा (मैट्रिक टनों में)	मूल्य (रुपए)
1970-71	2,577	2,30,21,161.00
1971-72	2,629	2,60,46,315.00
1972-73	2,134	2,11,43,672.00

(ख) श्रमिकों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों को जो कुल वेतन आदि दिया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल वेतन (रुपए)
1970-71	31,13,997
1971-72	32,43,540
1972-73	36,88,798

(ग) 1972-73 में श्रम संबंधी समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी हुई है। पदोन्नतियों तथा सामान्य वार्षिक बिलों में वृद्धियों के अतिरिक्त वेतन बिलों में वृद्धि समय समय पर महंगाई भत्ते में हुई बढोतरी, समयोपरि भत्ते की बकाया अदायगी तथा बढ़े हुए समयोपरि भत्ते की अदायगी, ग्रुप प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अदायगी के कारण हुई है।

Money paid to hotels in foreign countries and in India by Air India and Indian Airlines

3839 **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of money paid to hotels in foreign countries and in India by the Air India and the Indian Airlines during the last one year upto October, 1973;

(b) the amount out of it paid for the employees of the two Corporations and that paid for the tourists;

(c) the names of the hotels in foreign countries and in India which have been paid the maximum money indicating the amount paid to each of them; and

(d) the amount usually allowed to a pilot and an air hostess for the night-stay in India and in foreign countries separately?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The figures of the amount paid to hotels in foreign countries by Air-India and Indian Airlines during the last one year upto October, 1973 are not available. However the approximate amounts paid during the last one year up to the months for which the figures are available are as follows :—

	In foreign countries	In India	Total
	(Rupees in lakhs)		
Indian Airlines	9.28	123.73	133.01
(For the period October, 1972 to September, 1973)			
Air-India	151.80	30.95	182.75
(For the period April, 1972 to March, 1973)			

(b) The amounts out of these paid for the employees and passengers are given below :—

	Employees	Passengers	Total
Indian Airlines	54.86	78.15	133.01
Air-India	117.05	65.70	182.75

(c) The undermentioned hotels have been paid the maximum money by Indian Air Lines.—

	Rs.
Hotel Soaltie, Kathmandu	4.96
Ritz Hotel, Bombay	10.17

The information is not available in respect of Air-India. The details required will be massive and their collection from hundreds of hotels spread over many countries will involve considerable time and expenditure in foreign exchange. The collection of this information will not therefore be commensurate with the expenditure involved.

(d) The amount allowed for night-stay of 16 to 24 hours is :—

Indian Airlines :—

	Stay-over Allowance	Meal Allowance	
Pilot	Rs. 24	Rs. 66	For a full complement of meals.
First Officer	Rs. 16	Rs. 54	

Air Hostess—Layover allowance of Rs. 60 for a stay of 16 to 24 hours.

Air-India :—

	In India (Rs.)	In Foreign Countries (In pounds sterling)
Commanders	67.50	5.60
Other cockpit crew	60.00	4.90
Cabin crew	60.00	4.20
(including Air-Hostesses)		

These amounts do not include the cost of hotel accommodation which is paid by the air lines.

राज्य व्यापार निगम द्वारा अरण्डो के तेल के निर्यातकर्ताओं/जहाज मालिकों को अधिक मूल्य दिये जाने के बारे में शिकायत

3840. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा अरण्डी के तेल के निर्यातकर्ताओं/जहाज मालिकों को अधिक मूल्य दिये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे तथा भारी मात्रा में माल खरीदने वालों को कम मूल्य पर उनकी आवश्यकता के अनुसार माल मिल सकता था;

(ग) यदि हां, तो भाग (क) और (ख) में उल्लिखित मूल्यों का ब्यौरा क्या है ।

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम के उच्च अधिकारियों तथा जहाज मालिकों के बीच सांठ गांठ के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, परन्तु पूछताछ किये जाने पर इन्हें ठीक नहीं पाया गया है ।

(ख) तथा (ग) रेलवे द्वारा दिये गए मूल्य और राज्य व्यापार निगम द्वारा दिए गए मूल्य में मामूली अन्तर है परन्तु यह अन्तर ग्रेड तथा क्वालिटी में अन्तर होने के कारण है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मारुति लिमिटेड के अंशधारियों तथा निदेशकों को ऋण तथा स्थान का दिया जाना

3841. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा मारुति लिमिटेड के अंशधारियों को दिये गये ऋण के बारे में 3 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मारुति लिमिटेड के प्रमुख अंशधारियों तथा निदेशकों को दिये गये ऋण और स्थान के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, फर्मों अथवा व्यक्ति विशेष को नहीं, अपितु केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सहकारी समितियों को ही ऋण देता है ।

31 जुलाई, 1973 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसे शेयर होल्डरों को, जो निगमित निकाय हैं और जिन्होंने मारुति लिमिटेड में 10,000 रुपए अथवा उससे अधिक राशि निवेश की है, औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कोई सावधिक ऋण नहीं दिया है, तथापि निगम ने मारुति लिमिटेड के निम्नलिखित शेयर होल्डर निगमित निकायों के शेयरों में, जो ब्रोकर से खरीदें हैं, निवेश किया हुआ है ।

ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

प्रतिष्ठान का नाम	निवेश बुक वेल्यू लाख रुपयों में	वर्षों का ब्यौरा जिनमें शेयर खरीदे गये अथवा बोनस शेयर प्राप्त हुए	
1. मोहन मीकीन ब्रेवरिज लि० . .	41.12	1956	7,000
(5/- रु० प्रति शेयर)		1961	12,824
		1961	8,400
		1962	14,571
		1962	31,295 (बोनस)
		1963	6,100
		1965	29,66

प्रतिष्ठान का नाम	निवेश बुक वेल्यू लाख	वर्षों का ब्योरा जिनमें शेयर खरीदे गये अथवा बोनस शेअर प्राप्त हुए	
		1965	7,631 (बोनस)
		1966	1,17,481 (बोनस)
		1968	2,34,962 (बोनस)
		1970	3,52,443 (बोनस)
2. भारत स्टील टयूब लि० . .	16.30	1964	5,000
(100/- रु० प्रति शेयर)		1972	1,300
(10/- रु० प्रति शेयर)		1964	1,00,000
3. ओटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इंडिया लि० .	9.70	1972	9,700
(50/- रु० प्रति शेयर)			
4. मधुसूदन लि० . . .	0.05	1967	14
(100/- रु० प्रति शेयर)			36 (बोनस)
5. हिंगर रामपुर कोल कम्पनी लिमिटेड .	2.29	1956	3,915
(50/- रु० प्रति शेयर)			(बीमा कं० से उत्तराधिकार में प्राप्त)
6. निरलोन सिन्थेटिक फाइबर्स एंड केमिकल लि०	11.00	1966	666
(100/- रु० प्रति शेयर)		1964	10,000
		1968	1,000 (बोनस)
7. जान ओक एंड मोहन लि० . .	0.62	1968	3,300
(10/- रु० प्रति शेयर)		1970	2,650
		1971	200

किराया-खरीद सौदों में प्रोपोजल फार्म की मांग के बारे में सरकार का निर्णय

3842. **श्री मधु लिमये : क्या वित्त** मंत्री 1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 5231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि किराया खरीद सौदों में प्रोपोजल फार्म की मांग आवश्यक नहीं है और यदि फर्म चाहे, तो इसे समाप्त किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त मामले में दिये गये उत्तर में इस शर्त को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त जीपों की वापसी पर सहमति को देखते हुए सरकार उक्त सौदे को वास्तविक तथा एक आदर्श सौदा मानती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सौदे में अन्तर्ग्रस्त पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं । सरकार के के लिये इस मामले में निर्णय लेने का कोई अवसर नहीं आया, क्योंकि इस बाबत सरकार के पास कोई दरख्वास्त नहीं आई है ।

(ख) उस मामले में इस प्रकार का निर्णय बीमा कंपनियों ने ही किया था क्योंकि उनकी समझ में मोटर-गाड़ी बीमा के अंतर्गत प्रस्ताव फार्म में दरख्वास्त लिये बिना ही नई जीपों का बीमा, मानक किस्म की जोखिम होने के कारण किया जा सकता था ।

(ग) ऐसे किसी करार का सरकार को पता नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विभाज्य संसाधनों में राज्य का हिस्सा

3843. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर से एकत्रित राशि में से राज्यों को 80 प्रतिशत राशि और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में से 20 प्रतिशत राशि मिलती है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन सिद्धांतों पर आधारित है; और

(ग) वर्ष 1972-73 में प्राप्त आयकर की धनराशि के वितरण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1969-70 से 1973-74 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आयकर की शुद्ध प्राप्तियों की विभाज्य राशि का 75 प्रतिशत और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का 20 प्रतिशत राज्यों के नाम कर दिया गया है ।

(ख) दोनों मामलों में विभाजन के सिद्धांत पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशो पर आधारित है ।

(ग) 1972-73 में, राज्यों को आयकर की शुद्ध प्राप्तियों की विभाज्य राशि में से जो रकमें दी गई उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	रकम (करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश . . .	38.57
असम	11.98

राज्य	रकम (करोड़ रुपयों में)
बिहार . . .	47.96
जरात . .	25.21
हरियाणा .	8.36
जम्मू और कश्मीर .	3.81
केरल . .	18.50
मध्य प्रदेश . .	34.09
महाराष्ट्र . . .	58.08
मैसूर . . .	26.15
नागालैंड .	0.38
उड़िसा .	18.01
पंजाब	12.32
राजस्थान . . .	20.87
तमिलनाडु	40.12
उत्तर प्रदेश	76.96
पश्चिम बंगाल	46.15
मेघालय . . .	0.86
हिमाचल प्रदेश	2.45
मणिपुर	0.62
त्रिपुरा	0.93

केरल में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

3844. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) कितनी शाखाओं के लिये मंजूरी दी गयी है और इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कब तक खोल दी जायेंगी और प्रत्येक शाखा किन किन स्थानों पर खोली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान (पहली जनवरी से सितम्बर के अन्त तक) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केरल में 23 कार्यालय खोले हैं। इस समय इन बैंकों के पास उस राज्य में 29 और कार्यालय खोलने के लाइसेंस/आबंटन हैं। सामान्यतया बैंकों से ग्रामीण/उप-नगरों से संबंधित लाइसेंसों के संबंध में छः महीने की और अन्य

केन्द्रों के लिय एक वर्ष की अवधि में क्रियान्वित करने की आशा की जाती है। केरल में उन स्थानों के नाम जिनके लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लायसेंस/आबंटन हैं इस प्रकार है :

जिले का नाम	केन्द्र
अलेप्पी . . .	अलेप्पी (2 कार्यालय) शेरटली अयरुर-चेरुकोलेपुजा
कन्नानोर . . .	चोयनकोडा करीबल्लुर कन्नानौर
अर्नाकुलम . . .	ऐलांजी, चित्तूर, सटना कदावूर, ओडाकल्ली, कोचीन एम० जी० रोड, चेगामन
कोट्टायम . . .	कोट्टायम (2 कार्यालय)
इडिक्की . .	मन्नार, राजाक्काडू, राजाकुमारी, सन्तनपाड़ा
कोजीकोड . . .	कोजीकोडे, बालुसरी, कोजीकोडे-पायम रोड
किलोन . .	पत्तनमतिट्टा, किलौन
त्रिचूर . .	गरुवयार, चलाकुड्डी चौटघाट
त्रिवेंद्रम . . .	त्रिवेंद्रम, गुरुवयार

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

3845. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री० ए० के० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो उक्त मामले में निर्णय लेने में क्या बाधाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिये कानूनी आधार अभी तक निश्चित नहीं हुआ है ।

केरल राज्य को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई धनराशि

3846. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक वित्त निगम ने केरल राज्य को कुल कितनी धन राशि दी ;

(ख) जिन योजनाओं के लिये उक्त सहायता राशि दी गई है, उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त निगम के पास कोई आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़ा है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जुलाई 1973 से 31 अक्तूबर, 1973 तक के चार महीनों के दौरान औद्योगिक वित्त निगम ने केरल राज्य में स्थित किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को नयी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की थी। तथापि, उक्त अवधि के दौरान, निगम ने केरल राज्य में स्थित निम्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनकी पहले मंजूर किये गए ऋणों के अन्तर्गत 20.82 लाख रुपए की रकम वितरित की। जिस प्रयोजन के लिये रकम दी गयी है वह प्रतिष्ठान के सामने बताया गया है।

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम	वितरित की गयी सहायता	प्रयोजन जिसके लिये स्वीकृत वित्तीय सहायता वितरित की गयी
1. दाकों केबल कम्पनी लि०	10.00	कागज चढ़ी दूर संचार केबलों के निर्माण की विविधिकरण योजना
2. स्टील कमप्लैक्स लि०	10.00	नरम, मध्यम कार्बन और कम्पनी इस्पात की छड़ों के निर्माण के लिये नयी परियोजना
3. एक्सल ग्लासेस लि०	0.82	सफेद कांच की खोखले पात्रों के निर्माण के लिये नई परियोजना
जोड़	20.82	

31 अक्तूबर, 1973 को निगम के पास वित्तीय सहायता के लिये केवल एक आवेदन पत्र अनिर्णित पड़ा था जो इसे एक स्कूटर निर्माण एकक की स्थापना के लिये जुलाई, 1973 में (अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर) एक औद्योगिक सहकारी समिति से 134.50 लाख रुपए के ऋण के लिये प्राप्त हुआ था। निगम इस समय इस आवेदन-पत्र पर कार्रवाई कर रही है।

समुद्र तटवर्ती किनारों (बीचेज) का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करने के लिये केरल सरकार से अनुरोध

3847. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्रतटवर्ती कुछ किनारों (बीचेज) का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र का अपनी ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) हाल में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) चौथी योजना में त्रिवेन्द्रम के समीप कोवालम में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समुद्र-तटीय विहार-स्थल का विकास किया जा रहा है।

(ग) विकास के प्रथम चरण में विहार-स्थल में 100 कमरों के एक होटल, 40 कुटीरों, एक समद्र तटीय केन्द्र, एक खुले (ओपन-एयर) रंगमंच, एक योग-व-मालिश केन्द्र तथा जल-क्रीड़ा सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण में वृद्धि

3848. **श्री रामभगत पासवान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों के ऋण लिए जाने में हाल में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) यह एक सामान्य बात है कि अधिक काम काज के मौसम की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से अधिक ऋण लेते हैं। 1972–73 के अधिक कामकाज के मौसम में, (अक्तूबर, 1972 के अन्त से अप्रैल, 1973 के अन्त तक) उधार ली गयी ये रकमें 16 मार्च, 1973 को बढ़कर अधिकतम 247 करोड़ रुपये हो गयी। इस वर्ष यह मौसम कुछ जल्दी शुरू हुआ प्रतीत होता है। अब तक उधार ली गयी सबसे अधिक रकमें नौ नवम्बर, 1973 को 120 करोड़ रुपये हो गयीं। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उधार ली जाने वाली रकमें अधिक न हो जाएं, रिजर्व बैंक ने 30 नवम्बर, 1973 को अनुदेश जारी किये हैं जिसमें ऋण की वह अधिकतम सीमा निर्धारित की है जो बैंक, कामकाज के मौसम के बाकी महीनों में ले सकते हैं।

एशियाई देशों को निर्यात में वृद्धि

3849. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशियाई देशों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई नई नीति बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पूर्व एशियाई देशों में स्थित भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की सितम्बर, 1973 में सिगापुर में हुई बैठक में पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ भारत के व्यापार का पुनर्विलोकन किया गया, समस्याओं का पता लगाया गया तथा संभव समाधानों के बारे में विचार किया गया। प्रत्येक देश के संबंध में तथा मुख्य वस्तुओं तथा उत्पादों के संबंध में चालू वर्ष तथा उसके बाद के तीन वर्षों के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों का उद्देश्य 1973–74 से 1976–77 की अवधि में निर्यातों में कुल 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर प्राप्त करना है।

Advancing of loans by Nationalised Banks

3850. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whethere the loans at concessional rates are not advanced by the banks in a fair manner;

(b) whether this facility is limitted only to nearby cities and villages; and

(c) if so, the steps taken by Government to ensure the maximum use of this facility by the villagers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The Reserve Bank of India has reported that there is no basis to suggest that loans at concessional rates are not advanced by public sector banks in a fair manner.

(b) & (c) No, Sir. Lending at concessional rate of interest under the Differential Interest Rate Scheme is extended to all eligible borrowers in the 265 industrially backward and SFDA/MFAL districts. Efforts are made to ensure that backward pockets in rural, semi-urban and urban areas in the selected districts receive particular attention of the banks.

Issuing of New Currency Notes

3851. Shri Onkar Lal Berwa :

Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue new currency notes in view of the rising prices ; and

(b) If so, the value of new currency notes printed by Government during the last three years ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) New currency notes are annually issued by the Reserve Bank of India having regard to the need for replacement of soiled notes and the additional monetary requirements to match the expansion of economic activities. The new currency notes are now printed at the Nasik Press on the basis of indents annually placed by the Bank. There is a proposal to print higher denomination notes of Ten Rupees and above in Intaglio Design on a sophisticated technology at the new Bank Note Press, Dewas, which is expected to be commissioned in April, 1974.

(b) The value of the currency notes printed at the Nasik Press during the last three years is indicated below :—

Year	Rupees (Crores)
1970	2253.255
1971	2663.454
1972	2907.630
1973	2621.800
(Upto November)	

Increase in rate of interest in Nationalised Banks Question

3852. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have increased the rate of interest in nationalised banks;

(b) if so, the reasons there for; and

(c) the extent to which Government revenue will go up there by ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) The credit policy of all scheduled commercial banks, including the nationalised banks, is governed by the directives issued to them from time to time by the reserve Bank of India, in exercise of powers vested in the Reserve Bank of India, under Section 21 of the Banking Regulations Act, 1949. Since the beginning of the urrent year. the accent of the credit policy pursued by the banks has been to ensure that the bank credit as such does not lead to accentuation of inflationary pressures. The Reserve Bank, in accordance with this policy, raised the bank rate, in May, 1973 from per cent to 7 per cent and asked all nationalised banks to review the rate of interest charged

by them on thier lendings. With effect from June 1, 1973, the Reserve Bank of India also prescribed a minimum lending rate of 10 per cent on bank advances except to some priority sectors which were specifically exempted. Effective from November 17, 1973, maximum rate of export credit, except on deferred payment basis was raised from 7% to 8% and the minimum discount rate on bill finance from 8% to 9%. Also the minimum lending rate in respect of advances covered by the selective credit controls was raised in most cases from 12% to 13%.

With effect from December 1, 1973 the minimum lending rate has been raised from 10% to 11% and the discount rate on bill finance from 9% to 9.5%.

(c) The upword adjustment in the spectrum of interest rates has been effected with a view to temper the pressure of demand for bank funds and not for increasing the revenues of the Government, although there may well be some increase in Government's revenue in indirect ways.

U. S. Aid

3853. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the fields in which America has stopped giving aid to India ; and

(b) the action being taken by Government to make up that deficiency ?

The Minister of Finance (Shri Yaswantrao Chavan) : (a) and (b) In December 1971 the U.S. had suspended a portion of their development loans to India and it was, reinstated by them in May 1973. There has been no new development loan from the U.S. during the years 1972 and 1973.

Following the suspension of US. Aid, steps have been taken to augment indigenous production, intensify import substitution and increase exports. To the extent that imports are inescapable, alternate sources of supply under other credits and from rupee payment areas are being located and where this has not been polssibe, allocation of free foreign exchange is being made to the extent possible.

Increase in the price of controlled cloth

3854. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the price of controlled cloth and, if so, when by how much, and

(b) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. Goerge) : (a) & (b) The question of revision of the existing system in regard to production, distribution and prices of controlled cloth, is under consideration.

मेवों का आयात व्यापार करने के लिये स्वतंत्र संगठन

3855. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में दीवाली के पहिले और बाद में फलों के व्यापारियों ने मेवों की बिक्री के सम्बन्ध में भारी मुनाफा कमाया ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार मेवों का आयात व्यापार करने के लिये एक स्वतंत्र संगठन गठित करने की स्थिति में है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उपभोक्ताओं को मेवों की सप्लाई उचित कीमतों पर हों, इसके आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गी कृत किये जाने की प्रस्थापना है।

बम्बई में एक होटल से निषिद्ध सोने का जब्त किया जाना

3856. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने 9 नवम्बर, 1973 को दक्षिण के एक शानदार होटल से लाखों रुपये मूल्य का निषिद्ध सोना जप्त किया था ;

(ख) क्या सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1973 के महीनों के दौरान देशके विभिन्न भागों से बड़ी मात्रा में निषिद्ध सोना तथा आभूषण जब्त किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कठोर कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। बम्बई में एक होटल से 9-11-73 को भारतीय बाजार दर पर लगभग 7.8 लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध सोना पकड़ा गया था।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर 1973 के महीने में पकड़े गये निषिद्ध सोने तथा जवाहिरात का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वस्तु	भारतीय बाजार दर पर मूल्य
	(लाख रुपये)
सोना . .	12.28
जवाहिरात	0.04

अक्टूबर तथा नवम्बर 1973 के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) देश में सोने के तस्कर-आयात को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा हवाई जहाजों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट एवं स्थल सीमाओं के आसानी से पार किये जा सकनेपर योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। ऐसे माल को कारगर रूप से मार्ग में रोकने तथा उसकी रोकथाम आदि के लिये समय समय पर अतिरिक्त लाचों तथा गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। तस्कर-विरोधी कार्य की अनन्य-रूप से देख-भाल करने के लिये सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। कतिपय वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने और उनका पता लगाने जाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिये 1969 में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी हैं। तस्कर – व्यापार सम्बन्धी अपराधों के लिये और अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दुर करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में, हाल ही में और संशोधन किया गया है। तस्कर-व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा समुद्र में तेजी से चलाने वाली लांचों को हासिल करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है

हवाई अड्डों के विकास के लिये कार्यवाही

3857. श्री एम० एम० जोजफ़ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में हवाई अड्डों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय की जायगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विमानक्षेत्रों का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं व साधनों की उपलब्धता के सापेक्ष उनके सुधार एवं अधिक अच्छी सुविधायें प्रदान करने के लगातार प्रयत्न किये जाते है। आवश्यकतानुसार विमान कम्पनियों मे परामर्श किया जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार यथासंभव सीमा तक सुविधायें प्रदान की जाती है।

(ख) लेखा-परीक्षा परिमण्डलवार सूचना दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया गया। देखिए, संख्या एल०टी०–5939/73**] प्रत्येक विमानक्षेत्र पर किये जाने वाले व्यय के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

नेपाल को सीमेंट और इस्पात का निर्यात

3858. श्री बनमाली पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल ने भारतीय इस्पात और सीमेंट का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या इस मामले पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)से (ग) भारत अनेक वर्षों से नेपाल को इस्पात तथा सीमेन्ट की सप्लाई करता रहा है। नेपाल ने हाल ही में भारत से विभिन्न वस्तुओं की सप्लाइयों में वृद्धि के लिये कहा है जिनमें इस्पात तथा सीमेंट भी शामिल है। सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है ।

Value of fake Currency recovered during the last two years

3859. Shri Hukam Chand Kabhwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the value in Indian currency of the fake currency notes recovered in the country during the last two years ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : The value in Indian currency of the fake currency notes recovered in the country during the last two years (1971 & 1972) was Rs. 4,26,073. In the current year (upto November) the value is reported to have been Rs. 2,13,516.

Value of Smuggled Goods Seized in Delhi

3860. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the value in Indian currency of the smuggled goods recovered in Delhi during the last five months ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : In all smuggled goods, worth about Rs. 24 lakhs were seized in Delhi during the five months June 1973 to October, 1973.

Employees working in the Ministry of Finance

3861. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) number of employees working in his Ministry at present; and

(b) the number of temporary employees out of them ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (b) The number of regular employees working in the Ministry of Finance proper at present is 4004. Out of this number 981 are temporary.

Seizure of Smuggled goods in Gujarat Question

3862. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** of pleased to state :

(a) The value ofsmuggled goods seized in Gujarat during the last three years;

(b) the action taken against the persons involved indicating the number thereof; and

(c) the value of gold in the Indian Currency out of the seized goods ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) the value of smugguled goods seized in Gujarat during the last three years is as under :—

	Rs.
1971	229 lakhs.
1972	251 lakhs.
1973 (upto November)	391 lakhs.

(b) The number of persons arrested in connection with the above mentioned seizures is :

1971	226
1972	81
1973 (upto November) . . .	107

Criminal prosecution and/or departmental action for imposition of personal penalties against these persons is taken having regard to the evidence available.

(c) The value of the seized gold at the Indian market rate is as follows:--

1971 . . .	Rs. 52.0 lakhs.
1972	Rs. 6.8 lakhs.
1973 (upto November)	Rs. 1.5 lakhs.

Gold ornaments recovered from a shop in Varanasi during raid by excise Department

3863. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Officers of the Excise Department had found gold ornaments worth about Rs. 8 lakhs during raid on the premises of some shopkeeper in Varanasi in November 1973; and

(b) the action taken against the person involved ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) On 11-11-1973 the Officers of Customs Preventive Division, Gorakhpur, seized from the business premises of M/s. Swarn Abhushan Bhandar, Varanasi, primary gold, gold ornaments, old and broken old ornaments, precious stones and Indian currency, totally valued Rs. 6,71,291. Imitation silver coins and ornaments worth Rs. 23,500 alongwith 5-paisa and 10-paisa coin weighing 5.8 Kilograms found in the said premises were taken under departmental custody pending appearance of the proprietor of the firm or any other claimant.

(b) The matter is under investigation.

बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई राशि

3864. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान बिहार राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा की गई ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार राज्य में बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण वितरित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दिसम्बर 1972 के अन्त में बिहार में सरकरी क्षेत्र के बैंकों की बकाया जमाराशि राशि और अग्रीम जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल है, क्रमश: 367 करोड़ रुपये और 110 करोड़ रुपये थी ।

तस्करी के आरोपों में विदेशियों की गिरफ्तारी

3865. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी गिरोहों के संबंध में सितम्बर, 1973 से नवम्बर 1973 तक की अवधि के दौरान कुल कितने विदेशियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) ये विदेशी किन किन देशों के है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तस्कर आयात-निर्यात के सम्बन्ध में सितम्बर से नवम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान 80 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) ये विदेशी निम्नलिखित देशों के है :—

बांगला देश – 31, पाकिस्तान–11, दुबई–8, श्री लंका–6, आस्ट्रेलिया–4, ब्रिटेन–3, जर्मनी–3 इटली–2, अमरीका–2, बेल्जियम–1, कनाडा–1, डेन्मार्क–1, ईरान–1, जापान–1, नेपाल–1, सिंगापुर–1, स्वीडन–1, स्विटजरलैंड–1 तथा तिब्बत–1 ।

3 विदेशियों को दोषी ठहराया गया है । 9 को अनिष्टकर औषधि-द्रव्य अधिनियम के अधीन उन पर मुकदमा चलाने के लिये पुलिस को सौंपा दिया गया है । शेष विदेशियों के विरूद्ध मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है ।

. चाय बोर्ड के ढांचे तथा कार्यप्रणाली में परिवर्तन

3866. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड, कलकत्ता के गठन तथा कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाया जा रहा है

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में जो परिवर्तन किए जाने हैं, उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चाय उद्योग के विकास तथा निर्यात के संवर्धन हेतु एक जीवनक्षम तथा दीर्घावधि नीति विकसित करने के लिए स्थापित किया गया चाय हेतु टास्क फोर्स, अन्य बातों के साथ साथ उन परिवर्तनों के संबंध में विचार कर रहा है जो चाय बोर्ड के कार्यकरण में आवश्यक है। इस संबंध में उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

कारखानों को आयातित कच्चे काजू का आवंटन

3867. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कारखानों को आयातित कच्चे काजू का कोई आवंटन न करने के बारे में भारतीय काजू निगम ने निर्णय किया है जो अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी के भुगतान से संबंधित कानून का पालन नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण नीति में अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि जो कोई भी उद्योग सुरक्षा, सेवा की शर्तों व कामगारों को मजुरी के निर्धारिण व भुगतान से संबंधित प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलता वह भारतीय काजू निगम से आयातित कच्चे काज के आबंटन का पात्र नहीं होगा।

"प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट" के अधिकारी

3868. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए भेजे गए केन्द्रीय अबकारी विभाग के प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कम संख्या से आग्नेयास्त्र, तेज चलने वाली लांचें, मोटर गाड़ियां और अन्य आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाते हैं;

(ख) क्या उन कर्मचारियों का कोई जोखिम बीमा किया जाता है; और

(ग) इस समय उन कर्मचारियों को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जाती है और ऊनमें सरकार का विचार और क्या सुधार करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) माल के तस्कर आयात-निर्यात की रोक-थाम के लिए जिन कर्मचारियों को भेजा जाता है उनके पास वाहन, लांच-नौकाएं, आग्नेयास्त्र और अन्य उपकरण पहले ही से होते हैं। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा बेहत्तर किस्म के अतिरिक्त उपकरण की व्यवस्था करने के निमित्त अपेक्षित उपाय किये जाते हैं। सामान्य सुख-सुविधाएं जो अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होती हैं, उन्हें भी उपलब्ध हैं। नियमानुसार समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त वे नकद पुरस्कार भी प्राप्त कह सकते है। उनके लिए जोखिम बीमे की व्यवस्था नही की गई है।

सीमाशुल्क अधिकारियों को पुरस्कार देने के लियें मानदण्ड

3869. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी की वस्तुओं को पकड़ने वाले सीमाशुल्क अधिकारियों को नकद पुरस्कार का भुगतान करने का वर्तमान तरीका क्या है।

(ख) पुरस्कार की राशि के अनुपात का निर्णय करने के लिए कौन से मानदंड अपनाये गए हैं; और

7—33 LSS/73

(ग) अधिकारियों में पुरस्कार की राशि की शीघ्रता से वितरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) असाधारण मामलों को छोड़कर, समाहर्ता अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनिर्दीष्ट सीमाओं तक पुरस्कार मंजूर करते हैं। श्रेणी 11 के राजपत्रित अधिकारियों के मामले में यह सीमा लगभग तीन महीने के वेतन तक बनती है और अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में लगभग चार महीने के वेतन तक। इन सीमाओं के बाद, असाधारण मामलों में पुरस्कारों की स्वीकृति केवल सरकार द्वारा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिकारियों को पुरस्कार के भुगतान के लिए उपलब्ध अधिकतम राशि, पासा-सोना पकड़े जाने के मामलों में प्रति तोला 20 रुपये तक तथा दूसरे मामलों में, पकड़ी गयी वस्तुओं के मूल्य का 10 प्रतिशत तक है। इन उच्चतम सीमाओं के भीतर, सीमाशुल्क के प्रत्येक अधिकारी को अदा किय जाने योग्य पुरस्कार की माला, अभिग्रहण के प्रत्येक मामले में उसके द्वारा निभाई गयी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, निश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत कठिनाइयां जिनका उनको सामना करना पड़ा हो, उसके द्वारा की गयी पहल, प्रेरणा, निपुणता, पटुता, सतर्कता, असाधारण आचरण के लिए प्रत्युत्पन्नमतित्व आदि जैसे कारणों को भी ध्यान रखा जाता है जिनकी कि उसे सौंपे गये कार्यों को करने में उससे आम तौर पर आशा नहीं की जाती है। साधारणतया, सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार की अदायगी के निमित्त कोई मामला तब परिपक्व होता है जब पकड़ी गयी वस्तुएं अंतिम रुप से सरकार के पास आ जाती हैं, अर्थात् पकड़ी गयी वस्तुएं जब्त की जाती हैं और यदि कोई अपील/नजरसानी अथवा न्यायालय में मामला दायर किया जाता है तो जब्ती के आदेश को बनाये रहने दिया जाता है किन्तु, कुछ विशिष्ट प्रकार के अभिग्रहणों के संबंध में, जिनमें माल को अन्त में जब्त किये जाने में कोई सन्देह नहीं होता है, उनमें न्याय-निर्णय के ऐसे आदेशों के बाद जो इन वस्तुओं को जब्त करने के लिए पारित किये गये होते हैं, केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर पुरस्कार की अदायगी की जा सकती है जिनको शहादत्त पर न्याय-निर्णय के लिए अथवा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिये विश्वास करना होता है।

ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं कि जैसे ही पुरस्कार मंजूर करने के निमित्त कोई मामला तैयार होता जाता है वैसे ही उसमें पुरस्कार की अदायगी की जाय। निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर पुरस्कार की स्वीकृति देने संबंधी समाहर्ताओं की शक्तियों और समाहर्ता-कार्यालयों सीमाशुल्क गृहों में निवारक-कार्य की देखभाल करने के लिए उप-समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं को भी शक्तियों में वृद्धि की गयी है।

दिल्ली और मद्रास के बीच उड़ रहे बोइंग विमान के इंजन में खराबी होना

3870 श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली और मद्रास के बीच उड़ रहे बोइंग विमान का इंजन खराब हो जाने से इन विमान का संतुलन बिगड़ गया था और भयभीत यात्री निराशा से चीत्कार कर उठे जब कि ट्रे, प्याले और खाना बिखर गया तथा विमान परिचारकायें गिर गई ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) से (ग) दिल्ली और मद्रास के बीच बोइंग उड़ान पर किसी प्रकार की इंजन की खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसा संभव है कि विमान किसी एयर-पॉकेट में प्रवेश करने अथवा गुज़रने के कारण एक झटका लगा हो जिस के परिणाम-स्वरूप उक्त प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई हो।

भारत में सोना चोरी छिपे लाया जाना

3872. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरीका तथा अन्य छः योरोपीय देशों द्वारा स्वर्ण मूल्य व्यवस्था की दोहरी प्रणाली समाप्त किए जाने से भारत में सोने के चोरी छिपे लाये जाने की गतिविधि में वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस करार के समाप्त कर दिये जाने के बाद कि इन देशों के केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर से ऊंचे मूल्य पर सोना नहीं बेचेंगे, विदेशों में सोने का मूल्य गिर गया था तथा लगभग एक पखवाड़े तक नीचा रहा। लेकिन 28 नवम्बर से यह फिर चढ़ गया है और वास्तव में, करार समाप्त किये जाने से पूर्व चालू मूल्य से अधिक ऊंचा रहा। इसलिये सोने के तस्कर-आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भविष्य में सोने के मूल्य के रूप को तथा सोने के आयात पर उसके परिणामी प्रभाव पर भविष्यवाणी करना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) फिर भी, देश में सोने के तस्कर-आयात को रोकने के निमित्त निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट और भू-सीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। ऐसे माल को कारगर तरीके से मार्ग में रोकने, उसकी रोकथाम आदि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। तस्कर-विरोधी कार्य की अनन्य रुप से देख-भाल करने के लिए सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिए और अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दूर करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में, हाल ही में और संशोधन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ सोने के आन्तरिक क्रय-विक्रय पर नियंत्रण की विस्तत प्रणाली और तस्कर-व्यापार विरोधी प्रयासों को अनुपूरित करने की दृष्टि से 1963 में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था ताकि तस्कर-आयात के सोने के परिचालन को अधिक कठिन बनाया जा सके। कतिपय अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए 1-9-73 से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन किया गया है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

Submission of report on Textile Industry by Bureau of Costs and Prices

3873. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Commerce be pleased to state whether government have implemented the recommendations of the Bureau of Costs and Prices on Textile Industry regarding the cloth prices and, if so, the benefits to the common man accrued therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : The recommendations of the Bureau of Industrial Costs and Prices on Textile Industry are still under consideration.

Implementation of Export Policy Resolution

3874. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state whether the Export Policy Resolution, laid on the Table of the House in July, 1970 has been fully implemented and, if so, the extent to which export trade has increased during 1972-73, respectively as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce(Shri A. C. George) : The implementation of the Export Policy Resolution is a continuous process and its progress is evaluated regularly. Recently the Government has set up a working Group under the Chairmanship of Prof. S. Chakravarty, Member, Planning Commission, to recommend a long-term strategy for the Fifth Five Year Plan and beyond. The terms of reference of this Working Group include a review of the Export Policy Resolution. The Group has not yet completed its deliberations and is yet to submit its Report.

Exports (including re-exports) from India during 1972-73 amounted to Rs. 1961 crores as compared to Rs. 1608 crores during 1971-72. This shows an increase in exports during the financial year 1972-73 of the order of Rs. 353 crores or about 22%.

केन्द्रीय करों की बकाया राशि

3875. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 की समाप्ति पर आयकर, धनकर तथा संपदा शुल्क की कितनी बकाया है; और इन वर्षों में कितनी राशि वसूल कि गई;

(ख) कर वसूली व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में सरकार ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1973 को किन-किन पार्टियों की ओर 5 लाख रुपया अथवा इससे अधिक राशि का आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5940/73**]

(करोड़ रु० में)

(क)

कर का स्वरूप	1971-72 के अन्त में शुल्क बकाया रकम	1972-73 के अन्त में शुल्क बकाया रकम	1971-72 में वसूल की गई बकाया रकम	1972-73 में वसूल की गई बकाया रकम
आयकर . . .	438.60	483.10	87.30	90.56
धनकर . . .	5.22	13.79*	3.33	3.94
सम्पदा शुल्क . . .	6.69	7.64*	2.15	2.16

* अनन्तिम आंकडे

(ख) सरकार द्वारा कर--वसूली तंत्र को कारगर बनाने में की गई प्रगति का ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5940/73**]

(ग) जिन पार्टियों की तरफ 31-10-1973 को आयकर की 5 लाख रु० या इससे अधिक रकम बकाया है उनके नामों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि जिन निर्धारितियों की तरफ 31-3-1973 को आयकर की 5 लाख रु० या इससे अधिक रकम बकाया है उनके बारे में सूचना अनुबंध 'ख' में दी गई है । [**ग्रंथालय म रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5940/73**]

सोने की दोहरी मूल्य प्रणाली के समाप्त किए जाने का भारत पर प्रभाव

3876. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका तथा 6 अन्य यूरोपीय देशों ने सोने की दोहरी मूल्य प्रणाली को तत्काल समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। बाजार से सोना न खरीदने और लंदन या किसी अन्य स्वर्ण-बाजार में सोना न बेचने या गैर-सरकारी बाजारों में बेचे गए सोने के पुनर्भरण के लिए मुद्रा प्राधिकरणों के हाथ सोना न बेचने के संबंधों में मार्च 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड के बीच हुए करार को 14 नवम्बर, 1973 को समाप्त कर दिया गया था।

(ख) सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में सोने के मूल्य को प्रभावित करता है। हालांकि करार की समाप्ति की घोषणा के तुरन्त बाद सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कुछ कमी हुई थी लेकिन इसके बाद सोने के बाजारों में कोई खास गतिविधि नहीं हुई और मूल्यों में स्थिरता आ गयी। गत तीन सप्ताहों में भारत में सोने के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप रहें।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जिन अन्य छः देशों ने सोने की द्वीस्तरीय प्रणाली के संबंध में 1968 का करार किया था उन्होंने अब इसे समाप्त करने का निर्णय किया है। इस कार्रवाई से भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय रुपये की विनिमय दर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु इस करार की समाप्ति के परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर भारत सरकार बड़े ध्यान से नजर रख रही है।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में प्रति बैंक द्वारा औसत जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करना

3877. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग, प्रति बैंक ने 30 जून, 1973 तक कितनी औसत जनसंख्या की आवश्यकता पूरी की है;

(ख) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में प्रति बैंक ने औसत कितने क्षेत्र की आवश्यकता पूरी की है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में प्रति बैंक द्वारा औसत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि में रखते हुए बैंकों की नई शाखाएं खोलने को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रयास किए गए है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में 30 जून 1973 के प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या और औसत क्षेत्र इस प्रकार था :—

	जनसंख्या प्रति बैंक कार्यालय	औसत क्षेत्र प्रति बैंक कार्यालय वर्ग किलोमीटर—
हिमाचल प्रदेश	25,000	409
पंजाब	18,000	65
हरियाणा	30,000	131

(ग) नेतृत्व बैंक योजना के अन्तर्गत, नेतृत्व बैंकों को अपने नेतृत्व जिलों में बैंकिंग सेवा के एकीकृत विकास को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ऋणों के अन्तर का मूल्यांकन करने और बक कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्तविकास केन्द्रों की जानकारी प्राप्त करने के विचार से नेत्तृत्व बैंकोंने जिलों का सर्वेक्षण किया है। पिछले चार वर्षों के दौरान, बैंक अब तक कम बैंकों वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कार्यालय खोलने की नीति का अनुसरण करते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या जून 1969 में 42 से बढ़कर अगस्त, 1973 के अन्त में 139 हो गयी थी। वाणिज्यिक बैंकोंके पास 36 केन्द्रों में बैंक कार्यालय खोलने के लिए और 37 लाइसेंस/आवंटन हैं।

केंद्रीय करों की वसूली

3878. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के वित्तोयि बर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा काश्मीर से, अलग अलग, आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, धन-कर, सम्पदा-शुल्क, उपहार शुल्क तथा सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत वसूल की गई राशि में से इन में से प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी धनराशि दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना के निम्नलिखित दो विवरण-पत्र संलग्न हैं : (i) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में पटियाला i तथा ii के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र से (पंजाब, हिमाचल, प्रदेश, हरियाणा, और जम्मू तथा कश्मीर राज्य भी जिन के अधिकार क्षेत्र में है) आय-कर, धन-कर, सम्पदा-शुल्क तथा दान-कर की वसूली के आंकड़ों का विवरण-पत्र (अनुबंध-i) तथा (ii) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों से सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की वसूली का विवरण-पत्र (अनुबंध ii) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-5941/73]**

(ख) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 मे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को आय-कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सम्पदा-शुल्क के संग्रह में से उन राज्यों के हिस्से की जो रकमें उनको दी गयीं उनका विवरण-पत्र अनुबंध-iii के रूप में संलग्न है। निगम-कर, धन-कर, दान-कर तथा सीमाशुल्क को राज्य सरकारों के साथ नहीं बांटा जाता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया ऋण

3879. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का कुल कितना धन ऋण के रूप में दिया है ;

(ख) इन बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औद्योगिक एककों को कितना ऋण दिया है; और

(ग) इस राज्य में उद्योगों के लिए ऋण देने संबंधी सुविधाओं का सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में, सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जिसम बड़े और छोटे पैमाने के दोनों उद्योग हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह) द्वारा स्वीकृत ऋणों और शेष ऋणों की राशि 317 लाख रूपये की थी ।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व के और राष्ट्रीयकरण के बाद के अन्य वर्षों के लिए संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । परन्तु 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह को छोड़कर) छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की शेष राशियां से संबंधित सूचना नीचे दी गई है .

निम्नलिखित अवधि में अंतिम शुक्रवार को	(लाख रूपयों में) हिमाचल प्रदेश में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि
जून 1969	2.39
मार्च 1971	4.69
मार्च 1972	10.15
*मार्च 1973	24.66

* अनन्तिम

(ग) हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक बैंक और अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाली संस्था औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत दृष्टिकोण अपना रही हैं । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अखिल भारतीय सावधिक ऋण संस्थाओं ने एक निदेशन समिति के व्यापक मार्गदर्शन के अधीन, राज्य का सर्वेक्षण किया । इस सवेक्षण से उभरने वाले मुख्य विषयों पर निदेशन समिति ने मई 1973 में राज्य सरकार के प्राधिकारियों से बातचीत की । राज्य सरकार, राज्यीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं, अखिल भारतीय सावधिक ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक बकों के प्रतिनिधियों के अंतर-संस्थात्मक दल ने विभिन्न जिलों में 'नेतृत्व' संबंधी जिम्मेदारी उठाई तथा भारतीय रिजर्व बैंक और बातों के साथ साथ इस सर्वेक्षण से संबंधित बाद की कारवाई देख रहा है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंक उदार शर्तों पर धन देते है वे इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकता पर नजर रखते हैं और ऋणकर्ताओं की योजनाओं के लिए उपयुक्त ऋण-योजनाएं चलाते हैं ।

पोटाशियम परमैंगनट के निर्यात के लिए नकदी सहायता

3880. **श्री एस० एल० पेंजे : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोटाशियम परमैंगनेट के निर्यात के लिए वर्ष 17970-72 के दौरान कोई नकदी सहायता दी है;

(ख) इस संबंध में कितनी कंपनियों ने इस नकदी सहायता रियायत का लाभ उठाया है और वर्ष 1970-72 के दौरान ऐसी कंपनियों को कितनी नकदी सहायता दी गई है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान इस प्रकार के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पोटाशियम परमैंगनेट के निर्यात पर सितम्बर, 1970 तक 15 प्रतिशत को दर से नकद सहायता दी थी। इसे अक्तूबर, 1970 से उठा लिया गया ।

(ख) नकद सहायता के भुगतान के बारे में जानकारी "रासायनिक पदार्थ तथा संबंध उत्पाद" वर्ग के संबंध में समग्ररूप से संकलित की जाती है न कि अलग-अलग वस्तुओं के संबंध में अलग-अलग ।

(ग) 1970—71 से 1972-73 तक के वर्षों के सम्बन्ध में पोटाशियम परमैंगनेट का निर्यात निम्न-प्रकार रहा :–

(मूल्य लाख रुपये में)

1970-71	1971—72	1972—73
24	10	1

बम्बई से रत्नागिरी तथा बम्बई से कराड और जलगांव तक विमान सेवा

3881. **श्री एस० एल० पेजे : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई से रत्नागिरी तथा बम्बई से कराड और जलगांव तक विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है;

(ख) क्या द्रुत विमान यात्रा की सुविधाओं के आरम्भ में इन क्षेत्रों का आर्थिक और औद्योगिक विकास पिछड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन सेवाओं को आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन विमान सेवाओं को चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को अनुमति देने का है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) से (घ) जी, नहीं । बम्बई व रत्नगिरी और बम्बई से कराड तथा जलगांव के बीच विमान सेवाओं के परिचालन के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, रत्नगिरी, कराड व जलगांव के विमानक्षेत्र, जिनका संधारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाता है, डी० सी०-3 विमानों के लिये ही उपयुक्त है और वह भी भी केवल साफ मौसम के दौरान ।

इन मार्गों पर निजी परिचालकों द्वारा परिचालन करने के बारे में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि परिचालक वायु नियम, 1937, की 11 वीं अनुसूची में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

घातक दुर्घटनाओं से संबंधित विचाराधीन बीमे के दावे

3882. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में न्यायाधिकरणों के सामने मुख्यतया घातक दुर्घटनाओं के विचाराधीन बीमे के कितने दावे विचाराधीन हैं, और वे कबसे विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार ने कोई अनुदेश दिये हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मोटर गाड़ियों की जिन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु ग्रस्त है, उनके कारण पेश होने वाले जो दावे मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा टिब्यूनल के यहां विचाराधीन हैं, उनकी संख्या मालूम की जा रही है और सूचना एकत्रित होते ही सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ख) ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि कस्टोडियनों की तरफ से कार्यवाही की क ी के कारण दावे न्यायाधिकरण में रुके पड़े हैं और इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार के लिए कस्टोडियनों को निदेश ारी करना आवश्यक नहीं है।

Loan Applications Received by S.B.I. Jahanabad (Gaya)

3883. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of applications received during eash of the last three years by the State Bank of India, Jahanabad (Gaya) under the scheme of financing the small entrepreneurs and the amount of money involved in the applications accepted; and

(b) whether some complaints have been received against the Agent of the aforesaid bank in regard to acceptance of the applicastion and if so, the nature thereof and the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Excise Duty and Other Taxes on Setainless Steel and Nylon Yarn

3884. **Shri Ishwar Chaudhary :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the element of Excise duty and other taxes in the price of stainless steel and nylon yarn at present ; and

(b) the extent to which Government propose to reduce the taxes with a view to provide some relief to the consumers ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The element of Excise duty in the price of the indigenous stainless steel and nylon yarn, presently levied, is indicated below :—

(i) *Stainless Steel* :

Stainless steel is liable to Central excise duty as "iron or steel products" falling under Tariff Item No. 26AA. The incidence of Excise duty on cold-rooled sheets is Rs. 325/- per metric tonnes (basic) plus Rs. 243.75 per metric tonne (auxiliary).

The element of Excise duty on stainless steel bars and rods is Rs. 165 per metric tonne (basic) plus Rs. 123.75 per metric tonne (auxiliary).

(ii) *Nylon yarn* :

Nylon yarn is assessed to duty under Central Excise Tariff Item No. 18. Whereas the rate of Central Excise duty on filament yarn varies from Rs. 5.85 to Rs. 38.50 per kg. depending on the denier group of the yarn, the rate of duty on spun yarn is Rs. 15/- per kg. in addition to the duty of Rs. 30/- per kg. at the fibre stage.

Sales Tax is administered by State Governments & the rates vary from State to State.

(b) There is no such proposal under consideration, at present.

सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा 10 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दिये गये ऋण

3885. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के संस्थानों ने गत दो वर्षों के दौरान 10 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को ऋणों के रुप में कितनी राशि दी; और

(ख) अन्य वर्गों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार 10 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की बकाया रकम मार्च, 1973 के अन्त में 109.31 करोड़ रुपये थी जबकि 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋणों को बकाया रकम 117.67 करोड़ रुपये थी।

भारतीय जीवन बीमा निगम कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए सीधे किसानों को ऋण नहीं देता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियां

3886. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत दो वर्षों के दौरान कितनी जमा राशियां थी;

(ख) क्या यह राशियां उपरोक्त अवधि में आय वृद्धि के अनुरुप हैं; और

(ग) जमा राशियों में वृद्धि के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) दो वर्षों में अर्थात् 1971-72 और 1972-73 (जूलाई-जून) में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशि में क्रमश: 703 करोड़ रुपये और 844 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है (इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 20 प्रतिशत बैठती है) यह वृद्धि इन वर्षों के दौरान होने वाली आय की दर की वृद्धि से अधिक थी। चूंकि बैंकों को जो जमा राशि संग्रह कर पाते हैं उसी से काम चलाना होता है, अत: वे समय समय पर भिन्न भिन्न श्रेणियों के बचत करने वाले लोगों की जरुरतों को पूरा करने की दृष्टि से तरह तरह की नवीन योजनाएं बनाते रहते हैं और उन्हे अपनाते रहते हैं। अपनी शाखा के कार्य को उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाने के अलावा, बैंक धन जुटाने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए विकासात्मक संवर्धन कार्यों की और अधिक ध्यान दे रहे हैं।

औद्योगिक श्रमिकों को दी गई उपदान एवं छंटनी मुआवजे की राशि पर आयकर

3887. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्स्टाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद ने सरकार से अनुरोध किया है कि श्रमिकों को दी जाने वाली उपदान एवं छंटनी मुआवजे की राशि पर आय कर से छूट होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

सभी किस्म के कपड़ों पर सांविधिक कपड़ा नियंत्रण लागू करना

3888. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किन कारणों से सभी किस्म के कपड़ों पर सांविधिक कपड़ा नियंत्रण लागू नही कर रही है;

(ख) स्वैच्छिक कपड़ा नियंत्रण योजना लागू करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त स्वैच्छिक नियंत्रण योजना के परिणामस्वरूप कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण लाभ कमाये हैं; और

(घ) कपड़े के असामान्य मूल्यों को घटाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कपड़े की सभी किस्मों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक अथवा उपयुक्त नहीं समझा जाता । कपड़े की सभी किस्मों पर नियंत्रण लगाने से वस्त्र उद्योग की लाभप्रदता तथा आधुनिकीकरण नवीकरण पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना है । इससे उत्पादन में गिरावट आ सकती है । उत्पादन का ढांचा, जिसमें संगठित तथा विकेन्द्रिकृत क्षेत्र दोनों शामिल है, ी ऐसा है कि जिससे पूर्ण नियंत्रण अव्यवहार्य हो जाता है ।

(ख) जब तक दीर्घावधि कानूनी उपायों पर विचार नहीं हो जाता तब तक के लिये मिल के बने सूती कपड़े के मध्यम तथा मोटे वर्गों की पहनने की किस्मों की कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए अन्तरिम उपाय के रूप में, स्वैच्छिक कीमत अवरोध योजना को लागू किया गया है ।

(ग) इस संबंध में कुछ आरोप लगाये गये हैं ।

(घ) सूती कपड़े को कोमतों पर नियंत्रण के लिये संशोधित योजना तैयार की जा रही है ।

विदेश भेजे गये शिष्टमंडल

3889. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 अगस्ट 1973 के मितव्ययिता आदेशों के लागू होने के उपरान्त से कितने सरकारी शिष्ट-मंडल विदेशों को भेजे गये हैं और उनके सदस्य कौन-कौन थे और उक्त शिष्टमंडल भेजने के उद्देश्य क्या थे; और

(ख) इन शिष्टमंडलों पर विदेशी मुद्रा व्यय सहित कुल कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

चौथी योजनावधि के दौरान नन्दन कानन (उड़ीसा) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

3890. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चौथी योजनावधि में नन्दन कानन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये कोई व्यवस्था की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) नन्दन कानन से टिकटों की बिक्री तथा अन्य आय के रूप में कितनी वार्षिक धनराशि प्राप्त होती है; और

(घ) नन्दन कानन सम्बन्धी और सुधार कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) नन्दन कानन को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चौथी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार के पर्यटन वन तथा कृषि विभागों द्वारा कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी थी।

(ख) राज्य कृषि विभाग ने वनस्पति उद्यान (बोटेनिकल गार्डन) के विकास के लिए 16.67 लाख रुपये की व्यवस्था की है जिस में से 11.91 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च होने की संभावना है। चालू वर्ष के अन्त तक वनस्पति उद्यान को विकसित करने के लिए प्रत्याशित अयोजनागत व्यय 4.96 लाख रुपये होगा। वन विभाग ने 1972-73 तक झील तथा चिड़ियाघर (जूलाजिकल पार्क) के विकास के लिए 14.71 लाख रुपये खर्च किये हैं तथा चालू वर्ष के अन्त तक 7.31 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) वन विभाग द्वारा एकत्रित वार्षिक आय के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	टिकटों की बिक्री से	अन्य स्त्रोतों से	योग
	रुपये	रूपये	रुपये
1969-70	30,119	6,805	36,924
1970-71	42,065	9,717	51,782
1971-72	44,035	24,570	68,605
1972-73	55,722	37,108	92,830

(घ) नन्दन कानन के चिड़ियाघर (जूलाजिकल पार्क) को विकसित करने के लिए एक पंचवर्षीय विकास स्कीम को केन्द्रीय पर्यटन विभाग की पांचवीं योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि विभाग का 23 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पांचवीं योजना के दौरान वनस्पति उद्यान (बोटेनिकल गार्डन) को विकसित करने का भी प्रस्ताव है। तथापि, पांचवीं योजना में सम्मिलित किये जाने वाली प्रयोजनाओ को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विदशी सहायता

3891. श्री सरदीश राय :

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में किन-किन देशों से ऋण तथा सहायता मांगी है; और

(ख) इस विषय में हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मित्र देशों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्धों के बारे में विचार-विमर्श किया गया है और हाल में पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और चेकोस्लोवाकिया के साथ ऐसे विचार-विमर्श किये गये हैं ।

(ख) पश्चिम जर्मनी के साथ हुई बातचीत का निष्कर्ष, पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री, डा० एप्पलर के दौरे के अन्त में जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में दिया गया है ।

फ्रांस के वित्त मंत्री के साथ हुई बातचीत में यह तय हुआ है कि दोनों देशों में अन्तर्मंत्रालयिक दल बना जायेंगे जो दीर्घकालीन आधार पर भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग के लिए योजनाएं तैयार करेंगे । फ्रांसने भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए 30 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (लगभग 50 करोड़ रुपये के ऋण की पेशकश भी की है ।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के साथ, दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग और व्यापार में और वृद्धि करने के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ हमारे आर्थिक विकास में सहायता देता रहेगा ।

चेकोस्लोवाकिया के साथ 80 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये है ।

दार्जिलिंग का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना

3892. **श्री रतनलाल ब्राह्मण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दार्जिलिंग का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) जी, हां ।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग 4.22 लाख रुपये की लागत से दार्जीलिंग के वर्तमान यात्री लॉज का विस्तार कर रहा है तथा 3.45 लाख रुपये की लागत से वहां एक युवा होस्टल का निर्माण भी कर रहा है । इन प्रायोजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

इस के अतिरिक्त, दार्जिलिंग की यात्रा करने वाले पर्यटकों के प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1.65 लाख रुपये की लागत से 2 मिनि बसें तथा 2 जीपें राज्य सरकार को प्रदान की हैं ।

पांचवीं योजना में भारत पर्यटन विकास निगम का सिलिगुड़ी में 45 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 50 कमरों का एक मोटल बनाने का प्रस्ताव है जो कि दार्जिलग तथा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सड़क से जाने वाले यातायात की आवश्यकता पूर्ति करेगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के फूलों और विग्स का निर्यात

3893. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलाब के फूलों एवं विग्स का निर्यात बढ़ाने के लिये राज्य व्यापार निगम के प्रयास असफल हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) निर्यात योग्य क्वालिटि के गुलाब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने तथा विदेशी बाजारों में तीव्र प्रतियोगिता होने की वजह से राज्य व्यापार निगम को गुलाबों का निर्यात बंद करना पड़ा ।

जहां तक विगों का सम्बन्ध है 1966—67 से 1968—69 तक निर्यातों में खास प्रगति हुई लकिन इसको बाद कम कीमत के संलिष्ट विगों से तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण उनके निर्यातों को भारी धक्का पहुंचा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों का आयात

3894. **श्री डी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने पुस्तकों के आयात की दिशा कोई प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो आयात के लिये पुस्तकों के चुनाव की कसौटी क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार **निगम** ने, भारत के 21 विश्वविद्यालयों, संस्थानों के लिए लगभग 7,000 पत्रिकाओं की सप्लाई **हेतु** लगभग 1,500 विदेशी प्रकाशकों को पहले ही क्रयादेश दे दिए थे । निगम अब, विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके विज्ञान और प्रोद्योगिकी संदर्भ पुस्तकें तथा कीमती पुस्तकें आयात **करने** की कार्यवाही कर रहा है ।

अभ्रक के निर्यात द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

3895. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या** वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले **तीन** वर्षों में अभ्रक के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक तथा **अभ्रक** उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित थी:—

	करोड़ रुपये
1970—71	17.16
1971—72	17.57
1972—73	19.82

केरल में 1972 में पर्यटन सप्ताह समारोह

3896. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1972 में पर्यटन सप्ताह समारोहों पर केरल सरकार द्वारा **किये** गये व्यय की पूर्ति के लिये उपयुक्त केन्द्रीय अनुदान का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुदान की राशि दे दी गई है और यदि नहीं, तो उसके **क्या** कारण हैं; और

(ग) अनुदान की राशि के कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, **नहीं** । किन्तु केरल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने जून 1973 में इस वर्ष के ओनम् पर्व के **अवसर** पर पर्यटन सप्ताह समारोह के आयोजन के लिये पर्यटन विभाग से सहायता-अनुदान का **अनुरोध** किया था ।

(ख) और (ग) पहले भी अनेक राज्यों द्वारा ऐसे समारोहों का आयोजन किया जा चुका है और उनको व्यय पूर्ति उन्होंने अपने साधनों से ही की थी। केन्द्रीय पर्यटन विभाग के बजट में इस प्रयोजन के लिये राज्यों को अनुदान देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अतः केरल पर्यटन विकास निगम के उक्त अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

केरल में मछली पकड़ने के ट्रालरों के आयात लाइसेंस का कथित विक्रय हस्तांतरण

3897. **श्री ए० के० गोपालन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंस से मछली पकड़ने के ट्रालरों का आयात करके उन्हें अन्य व्यक्तियों को बेचा अथवा हस्तान्तरित किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में केरल में कितने व्यक्तियों ने लाइसेंस अन्य व्यक्तियों को बेचे अथवा हस्तान्तरित किये ;

(ग) ऐसे पक्षों के नाम क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों में अपने लाइसेंस बेचे अथवा हस्तांतरित किये हैं;

(घ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात की भारी मांग को पूरा करने के लिये काश्तकारों से कच्चे पटसन की विशिष्ट मात्रा में वसूली

3898. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन लाइसेंसिंग नियंत्रण आदेश के अंतर्गत आदेश जारी किये है और समस्त देश की पटसन मिलो से कहा है कि वे निर्यात की भारी मांग को पूरा करने के लिये काश्तकारों से विशिष्ट मात्रा में कच्चा पटसन खरीदें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पटसन मिलों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पटसन आयुक्त ने अक्तूबर, तथा नवम्बर, 1973 के दौरान पटसन (लाइसेंसिंग नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार मिलों को क्रमशः 12.54 लाख गांठें तथा 12.50 लाख गांठें खरीदने का निदेश दिया गया। मिलों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे उक्त आदेश के अन्तर्गत इन महीनों के दौरान क्रमशः 12.47 लाख गांठें तथा 21.88 लाख गांठों का निर्धारित न्यूनतम स्टाक बनाए रखें। अक्तूबर माह के 67 मिलों में से 64 मिलों से मिले विवरण से ज्ञात होता है कि अक्तूबर के दौरान इन मिलों ने कच्चे पटसन की 11.20 लाख गांठों की कुल मात्रा खरीदी है जबकि उनका कोटा 11.58 लाख गांठों का है। अक्तूबर, के अन्त में इन मिलों के पास 12.78 लाख गांठों का स्टाक था जबकि निर्धारित सीमा 11.96 लाख गांठें है। ये उपाय वास्तव में कच्चे पटसन की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए थे।

आगरतला में इंडियन एअरलाइन्स के सिटी बुकिंग आफिस का स्थान बदला जाना

3899. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला –इंडियनएयरलाइंस के सिटी बुकिंग आफिस को वर्तमान भवन से बदला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर बिमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : जी, हां। वर्तमान स्थान अपर्याप्त है। जिसके अतिरिक्त, मकान मालिक इमारत की आवश्यक मरम्मत करने से इनकार कर रहा है और उसने कार्पोरेशन को इमारत खाली कर देने का नोटिस भी दे दिया है।

भटकल हवाई अड्डे का विकास

3900. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह को बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली के स्थान पर, जहां क्रमानुसार 50 और 100 मील की हवाई दूरी पर बेलगांव और कोल्हापुर में दो हवाई अड्डे हैं, भटकल हवाई अड्डे के विकास को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ख) हवाई उड़ान की दृष्टि से हुबली, बेलगांव, कोल्हापुर और डेबोलिम में कितनी दूरी है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) दूरियों का विवरण इस प्रकार है:—

हुबली–बेलगाव	40 नाटिकल मील
हुबली–कोल्हापुर	92 नाटिकल मील
हुबली–डेबोलिम	72 नाटिकल मील

रूस में अत्यधिक लोकप्रिय भारतीय वस्तुएं

3901. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस भारत की वस्तुओं को सबसे अधिक खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रूस भारत से कौन-कौन सी वस्तुएं ले रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972–73 के दौरान सोवियत संघ को भारत के निर्यात 304.82 करोड़ रु० मूल्य के हुए थे जो कि किसी अकेले देश को उच्चतम थे।

(ख) इससे भारत तथा सोवियतसंघ के बीच व्यापार के विकास का संकेत मिलता है।

(ग) काजू गिरी, पटसन निर्मित वस्तुओं, खालें व चमड़ियों, सूती वस्त्रों, चाय, काफी, अरण्डी का तेल, तेल रहित खली, तम्बाकू, मसाले आदि जैसी वस्तुओं के अलावा सोवियत संघ गैरेज उपस्कर, एल्यूमिनियम पावर केबल्स, सिले सिलाये परिधान, फुटवियर, औषधियां तथा दवाइयां वायर एनेमल, शल्यचिकित्सा संबंधी उपकरण, ऊनी निटवियर, स्टोरेज बैटरियां आदि जैसा विनिर्मित माल भी खरीद रहा है।

स्वतंत्र वायु सुरक्षा संस्था सम्बन्धी निर्णय

3902. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्र वायु सुरक्षा संस्था बनाने के किसी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे और उसके क्रिया-कलापों का पुनरीक्षण करने के लिये गठित समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है । समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने और सरकार को उस पर निर्णय लेने में अभी कुछ समय लगेगा ।

कलकत्ता-अगरताला मार्ग पर मालवाहक विमान चलाया जाना

3903. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस से कलकत्ता अगरतला मार्ग पर मालवाहक विमान चलाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन [illegible]रलाइंस को कलकत्ता-अगरतला मार्ग पर विशुद्ध रूप से मालवाही सेवा के परिचालन [illegible]बारे में कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । बहरहाल, अपने विमान-बेड़े की तंग स्थिति [illegible]रण कारपोरेशन के लिये ऐसी सेवा का परिचालन करना संभव नहीं होगा ।

बिहार में पटसन की एक आधुनिक मिल स्थापित करना

3904. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पटसन की आधुनिक मिलें स्थापित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मेसर्स बिहार स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को राज्य में 16,000 मैं० टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली एक पटसन मिल स्थापित करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है । आशय पत्र जारी किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम का कारोबार बढ़ जाने के कारण पालिसीधारियों को दिये जाने वाले बोनस की दर में वृद्धि

3905. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसीधारियों को लाभ के रुप में दिये जाने वाले बोनस की राशि वही रही है;

8—33 LSS/73

(ख) 1969, 1971 और 1973 में जीवन (होल लाईफ) और सावधिक एंडोमेंट बीमों पर दिए गए बोनस की दरें क्या थी; और .

(ग) क्या बढते हुए कारोबार को देखते हुए सरकार का विचार बोनस की दर बढ़ाने या प्रिमियम की दर घटाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) बोनस पाने वाली पालिसियों के बोनस की दर, निगम के कारोबार की वित्तीय स्थिति के दो साल के बीमा मूल्यांकन से मिलने वाली अतिरिक्त रकम पर निर्भर करती है। जोवन बीमा निगम के मूल्यांकनों पर घोषित बोनस का सारांश नीचे दिया गया है :–

मूल्यांकन निम्नलिखित दिनांक को।	बीमाकृत राशि के प्रति हजार पर वार्षिक दर	
	आजीवन पालिसियां	सावधि पालिसियां
	रु0	रु0
31–12–57	14.00	12.80
31–12–59	14.00	12.80
31–12–61	14.00	12.80
31–3–63 . .	17.50	14.00
31–3–65 . .	20.00	16.00
31–3–67 . . .	20.00	16.00
31–3–69 . . .	22.00	17.60
31–3–71	22.00	17.60

निगम के कारोबार की 31-3-73 की स्थिति का बीमा–मूल्यांकन किया जा रहा है और उक्त मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर घोषित की जाने वाली बोनस की दर निश्चित की जायगी।

प्रीमियम की दरों को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।]

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में जीवन बीमा पालिसियों के बकाया दावे

3906. **श्री सत पाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 अक्तूबर 1973 को भारतीय जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में जीवन बीमा पालिसियों के कितने दावे तीन, छः, नौ मास, एक वर्ष और एक वर्ष से अधिक समय से अलग अलग बकाया थे;

(ख) उन्हें शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं और उन्हे कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रत्येक दावा भविष्य में 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :

(क) अवधि	दिल्ली मंडल कार्यालय में 31-10-73 को बकाया रहे दावों की संख्या	
	मृत्यु दावे*	परिपक्वता दावे
तीन महीने से अधिक परंतु छः महीने से कम । . .	299	482
छः महीने से अधिक परंतु एक वर्ष से कम । .	215	688
एक वर्ष से अधिक । . . .	487	692

6 से 9 महीने की अवधि से बकाया दावों के संबंध में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है ।

*भारत और लक्ष्मी बीमा कंपनियों के संबंध में मृत्यु दावों के बाबत जो सूचना ऊपर आंकड़ों में शामिल की गयी है वह 30 सितम्बर 1973 की स्थिति को दर्शाती है ।

(ख) और (ग) दावों के निपटान के लिये कोई मियाद नियत करना संभव नहीं है क्योंकि दावों के बकाया रहने के लिए ऐसे बहुत से कारण होते है जिन पर जीवन बीमा निगम का कोई नियंत्रण नहीं होता जैसे रसीद के फार्म/पालिसी के दस्तावेज, आयु के प्रमाण, मृत्यु दावों के मामले में हक का प्रमाण आदि समय से पेश नहीं किये जाते है । पालिसीधारकों को मिलने वाली सेवा में सुधार करने और दावों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता का जीवन बीमा को पूरा–पूरा अहसास है । इसके अलावा यदि कोई परिपक्वता दावा निगम के कार्यालय में 30 दिन से अधिक समय के लिए पड़ा रहता है और मृत्यु दावे का कोई मामला 60 से अधिक दिनों के लिए रुका रहता है तो जीवन बीमा निगम 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज अदा करता है ।

बलदेव बैंक आफ ग्वालियर में अनियमितताओं की शिकायतें

3907. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बलदेव बैंक आफ ग्वालियर में अनियमितताओं की कुछ विशिष्टि शिकायतें मिली है ।

(ख) यदि हां, तो उन का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैंक का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को एक शिकायत मिली है जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष को सम्बोधित है । इसमें कृष्ण राम बलदेव बैंक लिमिटेड के विरुद्ध दुर्व्यवहार और कुप्रबन्ध के बारे में सामान्य ढंग से आरोप है ।

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अधिनियम की धारा 35 के अधीन स्टेट बैंक आफ इण्डिया कृष्ण राम बलदेव बैंक लिमिटेड का अभिग्रहण करना चाहता है । दोनों बैंक के निदेशकों ने योजना को स्वीकृति दे दी है जिसकी अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाच की जा रही है । स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कृष्ण राम बलदेव बैंक लिमिटेड के व्यापार के अभिग्रहण के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है ।

Decline in export of Wool and Woollen materials during 1973-74

3908. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether during the first five months of the financial year 1973-74, the exports of wool and woollen materials have gone down to a substantially low figure of Rs. 19.75 crores, whereas this figure for the corresponding period of the last year was Rs. 22.06 crores;

(b) if so the reasons therefor; and

(c) the measures contemplated by Government to make up the shortfall during the remaining period of this financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Abnormal rise in the international price of raw wool and the inability of exporters to get fair unit realisation of the goods exported have adversely affected the export of woollen knitwears and ready-made garments, while the steep rise in the prices of raw wool in the domestic market has adversely affected the export of carpets.

(c) Government have raised the ceiling prices of various woollen items which would enable the exporters to get better unit realisation against export of woollen products. With a view to ensure availability of raw wool at economic prices to exporters of carpets, export duty of 25% has been imposed on raw wool, export of which has also been subjected to a ceiling.

Development work of passenger Terminal Complex of Delhi Airport

3909. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some land has been acquired in order to develop 'Passenger terminal complex' at Delhi airport ;

(b) if so, the total land acquired for the purpose ; and

(c) the progress made in the development work ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) The International Airports Authority of India has so far acquired 2735.46 acres of land for development of the Delhi airport which includes construction of a passenger terminal complex. The designs and plans for the complex are under preparation.

आगामी तीन वर्षों में बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली जाने वाली नई शाखाएं

3910. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगामी तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी; और

(ख) ये शाखाएं कहां कहां खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखा विस्तार के लिए वाणिज्यिक बैंकों को त्रिवर्षीय आवर्ती आयोजनाओं को तैयार करने के लिए कहा था। प्रथम वर्ष की आयोजना अधिक विस्तृत बनायी जानी है जबकि बाद के वर्षों के लिए सामूहिक आधार पर बनायी जानी है। बैंकों की 1973–1975 की आयोजना के अनुसार 1973 के दौरान कार्यालय खोले जाने के लिए उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर पहल ही विचार किया जा चुका है और परिशिष्ट के अनुसार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास बिहार में 120 और कार्यालयों के लिए लाइसेंस/आवंटन है। [**ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी0–5942/73**] बैंकों को अभी आगामी वर्षों के लिए विस्तृत शाखा विस्तार की आयोजनाएं बनानी है।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

3911. **श्री वसंत साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता मिलने का अनुमान है; और

(ख) अब तक विश्व बैंक ने जो सहायता देने का वचन दिया है उसका उद्योग-क्षेत्रवार व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अनुमान है कि पांचवी आयोजना की अवधि में, उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ समेत उक्त बैंक समूह से लगभग 1825 करोड़ रुपये से 2,200 करोड़ रुपये तक (250 करोड़ डालर से 300 करोड़ अमरीकी डालर तक) की विकास सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5943/73**]

किसी संस्था के माध्यम से पुस्तकों का आयात

3912. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों का किसी संस्था के माध्यम से आयात करना, जैसा कि चालू वर्ष की आयात नीति से व्यवस्था है, बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ग) नीति में कथित परिवर्तन होने के कारण पुस्तक व्यापारियों और खरीददारों को कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973–74 के दौरान पुस्तकों के आयात को सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत करने हेतु कोई विनिश्चय नहीं किया गया था।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लाभ समवायों (बैनिफिट कम्पनीज) द्वारा लाभ/चिट फण्ड व्यापार

3913. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ लाभ समवाय (बैनिफिट कम्पनीज) "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड़े बिना ही लाभ/चिट फण्ड व्यापार का कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा व्यापार करने वाली पार्टनरशिप फर्मों और समूचे स्वामित्व वा संस्थानों के विरुद्ध सरकार क्या आवश्यक कार्यवाही कर रही है; और

(ग) सारे देश में ऐसी कम्पनियों के नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके नोटिस में ऐसे कोई उदाहरण नहीं आये है जहां कंपनी अधिनियम के अधीन प्राइवेट लि० कंपनी के रुप में पंजीकृत कम्पनियां अपने नामों के साथ "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड बिना चिट फण्ड का व्यवसाय कर रही हों।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का संबंध कंपनियों की जमा रकमें स्वीकार किये जाने के कार्यों से है और साझेदारी की फर्मों और स्वामित्व वाली कंपनियों के कार्यों से नहीं। इस प्रकार की कंपनियों द्वारा किये जाने वाले चिटफंड कारोबार का विनियमन, आन्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु और दिल्ली तथा पांडीचेरी संघीय राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्यीय कानूनों के अन्तर्गत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्य-सरकारों को परामर्श दिया है कि यदि उनके राज्यों में चिटफंड कारोबार का विनियमन करने के लिए कोई कानून नहीं है तो वे उन दूसरे राज्यों के कानून अपनाने की वांछनीयता पर विचार कर सकते है जहां ऐसे कानून है। बैंकिंग आयोग ने चिट फंडों के विनियमन के लिए कुछ कानून बनाने कि सिफारिश कि है जिन पर सरकार विचार कर रही है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अनुत्पादक व्यय पर रोक

3914. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के लिये मुद्रा तथा वित्त के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिवेदन में दिये गये अन्वेषण तथा सुझावों के संदर्भ में सरकारी खर्च में 450 करोड़ रुपये की कटौती करने के लिये किये गये तदर्थ निर्णय के अतिरिक्त सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुत्पादक व्ययों पर रोक लगाने के संबंधी अन्य कार्यवाही करने के बारें में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) उक्त प्रतिबंधो की सीमा तथा स्वरूप क्या होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) और (ख) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया सुझाव इस सम्बन्ध में सरकार के अपने विचारों के अनुरुप ही है और सरकार द्वारा अपने अनुत्पादक व्यय पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है ताकि वह अपरिहार्य सीमाओं से आगे न बढ़ सके। किन्तु इस प्रकार के खर्चों के सम्बन्ध में हाल में किय गये सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले अगस्त में बजटगत खर्चा में जो प्रस्तावित कमी करने की घोषणा की गयी थी उससे अधिक किफायत करने की गुंजाइश बिल्कुल सीमित है। फिर भी, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि होने पर, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को हिदायत की गयी है कि वे इस मूल्य-वृद्धि का समायोजन, बजट में पहले से की गयी व्यवस्था में ही करें, जिसका अर्थ यह होगा कि पेट्रोल की खपत में कमी की जाय। इसी प्रकार, जहां सम्भव है वहां सरकार अनुत्पादक खर्चों में वृद्धि को सीमित रखने का प्रयत्न कर रही है।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, राजस्व और मुद्रा के क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रणों सहित जो विभिन्न उपाये किये गये हैं उनका उद्देश्य फजूलखर्ची को कम करना है। पेट्रोल के उत्पादन-शुल्क में हाल में जो वृद्धि की गयी है वह इसका एक उदाहरण है जिसके जरिये गैर-सरकारी क्षेत्र में की जाने वाली एक किस्म की फजूलखर्ची पर रोक लगाने की कोशिश की गयी है।

विलास–वस्तुओं पर लगे मौजूदा सीमा–शुल्कों और उत्पादन–शुल्कों का उद्देश्य भी इन वस्तुओं की खपत को हतोत्साहित करना है।

अमरीका द्वारा भारत को सूती कपड़े और धागे के अतिरिक्त आयात की अनुमति देने की पेशकश

3915. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को भारतीय आयात की कुल अधिकतम सीमा के पांच प्रतिशत के बराबर सूती कपड़े और धागे का अतिरिक्त आयात करने के लिये अनुमति देने की पेशकश की है ;

(ख) अमरीका की उस पेशकश पर सरकार तथा उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ये अतिरिक्त आयात कितनी कीमत और मात्रा के होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अमरीकी सरकार ने हमारे सामने अक्तूबर 1973 से सितम्बर 1974 तक की अवधि के लिए सूती वस्त्रों और धागे के कुल कोटे पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त आबंटन का प्रस्ताव रखा है। इस अतिरिक्त आबंटन का स्वागत है क्योंकि इससे भारत सं० रा० अमरीका को सूती वस्त्रों की अतिरिक्त मात्राओं का निर्यात कर सकेगा। अतिरिक्त कोटे का परिमाण 63.67 लाख वर्ग गज निकलता है और मूल्य के अनुसार अतिरिक्त निर्यात लगभग 1.5 करोड़ रु० के होंगे।

जाली नोटों का परिचालन

3916. श्री अचल सिंह :

श्री समर गुह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खुले बाजार में एक, पांच, दस रुपये की मुद्रा के जाली नोट चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जाली करेन्सी नोट पेश करने वाले/चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामलों की जांच राज्यों की पुलिस द्वारा की जाती है और उनके द्वारा जालसाजी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जाती है। केन्द्रीय जांच कार्यालय (सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन) भी, जाली नोट बनाने के लिए अपनायी जाने वाली विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रख कर और जाली नोटों की घटनाओं की समय समय पर समीक्षा करके, इस समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है, इस कार्यालय ने जारी नोटों के गम्भीर मामलों की जांच करने और विभिन्न राज्यों में की जाने वाली जांच में तालमेल बैठाने के लिए, अपने आर्थिक अपराध स्कन्ध में एक 'कक्ष' स्थापित किया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के निष्क्रांतों को दी गई अनुग्रह क्षति पूर्ति

3917. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आये निष्क्रान्तों को वर्ष 1965 के भारत–पाक युद्ध के पश्चात् उनकी सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिये जाने के पश्चात् बदले में कितनी कितनी अनुग्रह क्षतिपूर्ति दी गई;

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान की और से सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए आए तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी कितनी है;

(ग) इन आवेदनपत्रों पर कार्यवाही करने में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं और इन आवेदनों में किये गये दावों के बारे में अन्तिम रुप से निर्णय करने में संभवत: कितना समय लगेगा ;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए नए आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जायेगा ;]

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी कर दी गई है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण] है;

(च) क्या वर्ष 1971 के बाद पाकिस्तान तथा बंगलादेश में छोड़ी गई सम्पतियों के लिए भी इसी प्रकार का लाभ दिया जायेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और यदि नहीं तो इसके क्या कारग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जिन भारतीय राष्ट्रिकों की परिसम्पति पाकिस्तान सरकार ने भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान में जब्त कर ली थी, उन्हें 142,11,636.14 रुपय तथा जिनकी भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान में जब्त की थीं उन्हे 1,04,94.7,44.39 रुपये की राशि कर भुगतान का दिया गया है ।

(ख) लगभग 5,000 आवेंदन पत्रों पर अभी कार्यवाही करना बाकी है, जिनमें से 80 प्रतिशत भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से संबंधित है तथा 20 प्रतिशत भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से हैं ।

(ग) विलम्ब का कारण यह है कि दावेदार पाकिस्तान में खोई हुई अपनी सम्पत्ति के सम्बंध में प्रत्यक्ष दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं । तथापि, दावों की यथासम्भव शीघ्रता से जांच की जा रही है ।

(घ) तथा (ङ) अनुग्रह योजना के संबंध में एक संकल्प 10 अप्रैल 1973 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । इस तारीख के पश्चात् प्राप्त कोई भी दावा तभी स्वीकार किया जाएगा यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि इससे पहले दावा प्रस्तुत न करने के ठोस कारण हैं ।

(च) तथा (छ) दिसम्बर 1971 के भारत युद्ध संघर्ष के दौरान खोई हुई परिसम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

गत अन्त:सत्रावधि के दौरान वाणिज्य मंत्री द्वारा किये गये विदेशों के दौरे

3918. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा की गत अन्त:सत्रावधि के दौरान उनके द्वारा विदेशों के कितने दौरे किये गये और किन किन स्थानों के दौरे किये गये ;

(ख) विदेशों के इन दौरों के दौरान उनके साथ कितने अधिकारी गये;

(ग) इन दौरों पर मंत्रालय का कितना व्यय हुआ; और

(घ) विदेशों के इन दौरों का प्रयोजन क्या था और क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लोक सभा की गत अन्त:सत्रावधि के दौरान वाणिज्य मंत्री ने दो विदेश यात्रायें की । उन्होंने टोकियो और पश्चिम युरोप (लन्दन, कोपनहगन, पैरिस, एमस्टरडम, ब्रुसेल्स तथा फ्रैंकफुर्त) की यात्रा की ।

(ख) इन विदेशी यात्राओं के दौरान उनके साथ तीन अधिकारी गये थे।

(ग) 90936.00 रुपये ।

(घ) (i) वाणिज्य मंत्री ने टोकियो की यात्रा भारत के निर्यात के लिए बातचीत करने तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 12 से 14 सितम्बर, 1973 को हुई गाट की मंत्री स्तरीय बैठक के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए की थी। इन यात्राओं से भारत की समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थाओं संबंधी समस्याओं को समझने में मदद मिली।

(ii) उन्होंने 27 अक्तूबर, 73 से 8 नवम्बर, 73 तक पश्चिम यूरोप की यात्रा की। पश्चिम यूरोप को उनकी यात्रा मुख्यतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों से वाणिज्यिक सहयोग करार के लिए समर्थन प्राप्त करने के बारे में थी जिसके संबंध में इस समय समुदाय के साथ वार्ता चल रही है। उनकी यात्रा के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तारण से भारत के व्यापार के लिए उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल निकालने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया।

ब्रुसेल्स को उनकी यात्रा के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ पटसन तथा कायर संबंधी करारों पर आद्याक्षर किये गए।

चावल, गेहूं तथा पटसन व्यापारियों को बैंक ऋण देने के बारे में बैंकिंग संस्थानों को निदेश जारी करना

3919. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग संस्थानों को चावल, गेहूं और पटसन व्यापारियों को बैंक ऋण न देने के अनुदेश दिये गये हैं ताकि ये व्यापारी इन वस्तुओं को मूल उत्पादकों से कम मूल्य पर न खरीद सकें; और

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये निर्देशों का मुख्य विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) खाद्यान्न पर रिजर्व बैंक द्वारा शासित ऋण नियंत्रण उपायों के अनुसार बैंक ऋण दिये जाते हैं। ये काफी कठोर हैं और इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऋण का दुरुपयोग न हो। चावल और गेहूं के सम्बन्ध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण की मुख्य बातें संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है :—

(1) **गेहूं** : गेहूं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के परिणामस्वरुप थोक व्यापारियों को बैंक ऋण नहीं दिये जा सकते, लेकिन खुदरा व्यापारियों और अन्य अधिकृत दुकानदारों (रोलर फ्लोर मिल सहित) को उनके द्वारा रखे गये स्टाक पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिगन्धों के अनुसार ऋण मंजूर किए जा सकते हैं। गेहूं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की घोषणा के तत्काल बाद रिजर्व बैंक ने मई 1973 में वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चियन करने के लिये कहा था कि जहां कहीं लाइसेंस प्रणाली निर्धारित हो, उन व्यापारियों को छोड़कर जिनके पास स्टाक रखने के सम्बद्ध राज्य सरकार के लाइसेंस हों, गेहूं की प्रतिभूति पर दिया गया ऋण किसी थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी पर बकाया न रहे।

17 नवम्बर, 1973 से, रोलर फ्लोर मिलों को अनुज्ञेय ऋणों के संबंध में 25 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन लागू कर दिया गया है।

(2) **चावल** : चावल और धान पर दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की न्यूनतम दर 13 प्रतिशत होती है। पार्टीवार ऋण लेने की अधिकतम सीमा भी निश्चित है जो पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1972–73, 1971–72 और 1970–71 में लिये गये अधिकतम ऋणों के स्तर पर आधारित है, वर्ष

नवम्बर से अक्टूबर तक माना जाता है। न्यूनतम मार्जिन निश्चित करने के लिये (i) व्यापारियों और (ii) प्रक्रिया एककों अर्थात् चावल मिलों के बीच भेद किया जाता है। व्यापारियों के लिए निश्चित न्यूनतम मार्जिन 60 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, व्यापारी बैंक के पास बन्धक या दृष्टिबन्धक रखे गये अपने स्टाक के मूल्य के केवल 40 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है।

असम में धान और चावल का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद से रिजर्व बैंक ने धान और चावल का व्यापार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यापारियों को छोड़कर असम राज्य में धान और चावल पर व्यापारियों को ऋण देना मना कर दिया है।

वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिये हिदायतें दी हैं कि ऋण नियंत्रण ठीक और प्रभावकारी ढंग से लागू किये जाएं और चावल और धान पर अनुज्ञेय सभी ऋणों पर कड़ी नजर रखें, विशेष रूप से 20000 रुपये से अधिक के ऋणों पर यह सुनिश्चित करने के लिये नजर रखी जाए कि पार्टी बैंक ऋण से अधिक स्टाक जमा न कर सकें। बैंकों से पार्टियों द्वारा ऋण के उपयोग पर कड़ी नजर रखने के लिये कहा गया है और उन्हें सलाह दी गयी है कि ऋणकर्ता के व्यवहार के लिये ऐसे उपाय की आवश्यकता हो तो अलग अलग मामलों में खाद्यान्न पर दिये गये ऋण को कम करने या उसे वापस लेने में हिचकना नहीं चाहिए।

(3) **जूट** : कच्चे जुट की बढ़ी हुई पूर्ति और जुट से बनी हुई बस्तुएं के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना के संदर्थ में रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के जुट आयुक्त से परामर्श करने के बाद निर्णय किया है कि बैंक अप्रैल, 1974 के अन्त तक जुट मिलों के पास अधिकतम 4 महीनों की खपत के बराबर तालिकागत कच्चे जूट और 6 सप्ताह की बिक्री के बराबर तैयार माल का वित्त प्रबन्ध कर सकते हैं, (इसका मूल्य लागत या बाजार कीमत दोनों में से जो भी कम हो के अनुसार निर्धारित किया जायेगा) इसके अलावा गुणदोष के आधार पर अतिरिक्त ऋण सुविधाओं की तेजी से मंजुरी देने के लिये विशेष मामले के रूप में यह भी निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त स्तरों तक कच्चे जुट या तैयार माल के तालिकागत सामान का वित्त पोषण करने के लिये अलग-अलग जुट मिलों को अप्रैल, 1974 के अन्त तक जुट के चालू मौसम के लिये ऋण की बढ़ी हुई सीमा की अनुमति देने के निमित्त ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक पूर्व प्राधिकार को रद्द कर दिया जाय। रिजर्व बैंक द्वारा इस सुविधा को जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा अप्रैल, 1974 में की जायगी।

ड्यूश मार्क की तुलना में रुपये का अवमूल्यन

3920. श्री दिनश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1970 से सितम्बर 1973 के बीच ड्यूश मार्क की तुलना में रुपये का किस सीमा तक अवमूल्यन हुआ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अप्रैल 1970 और सतम्बर 1973 के बीच की अवधि में ड्यूशमार्क के संदर्भ में रुपया की विनिमय दर लगभग 36.2 प्रतिशत कम हो गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, डालर तथा पौंड स्टर्लिंग समेत विश्व की अधिकांश मुद्राओं के संदर्भ में ड्यूशपार्क के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ड्यूशमार्क के मूल्य में वृद्धि एक लम्बी अवधि तक जर्मनी के शोधन-शेष में लगातार अधिशेष रहने, तथा विश्व की महत्वपूर्ण मुद्राओं को विनिमय दरों से मुक्त किए जाने के परिणामस्वरुप विनिमय दरों में होने वाली घट-बढ़ के प्रभाव के कारण हुई है।

सरकारी क्षेत्र में हानि

3921. श्री दिनेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख) सरकारी उपक्रमों को पिछले वर्ष अर्थात 1970–71 में हुई 2.86 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में, 1971–72 में कुल 18.96 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई। पहले के वर्ष की तुलना में, 1971–72 में अधिक हानि के मुख्य कारण हैं :—(i) छत गिर जाने के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र में कम उत्पादन, (ii) पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में भारी मन्दी के कारण इण्डियन एअर लाईन्स तथा एअर इण्डिया को हुई हानियां, और (iii) लिग्नाइट के कम उत्पादन के कारण नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में अधिक हानियां।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 1972–73 के लेखा परिक्षित लेखों सभी उद्यमों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं अब तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चालू उद्यमों के कार्यचालन के वित्तीय परिणामों से 1972-1973 लगभग कुल 9 करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने के बारे में तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

3922. श्री था किरुतिनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड तथा तमिलनाडु जल का जल निकास बोर्ड को सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अनुरोध का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) चालू वर्ष में इस प्रकार का कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार से नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

सूती हथकरघा कपड़ों के निर्यात में अत्याधिक वृद्धि की आशायें

3923. श्री धामनकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मंडी में सूती कपड़ों की उपलब्धता संबंधी स्थिति को देखते हुए सूती हथकरघा कपड़ों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि होने की आशायें हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो हथकरघा कपड़ों के निर्यात में क्या कारण बाधक है और इस व्यापार में संवर्द्धन करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मासों अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 1973 के लिए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार सूती हथकरघा माल के निर्यातों का मूल्य लगभग 15.38 करोड़ रुपये था। यह संभावना है कि यह राशि निर्यातों के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने पर बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो जायेगी। वर्ष 1972–73 में तत्संबंधी अवधि के दौरान सूती हथकरघा माल के निर्यात लगभग 17.09 करोड़ रुपये थे। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष छः मासों के दौरान यह प्रवृत्ति बनी रहेगी तथा 1972–73 से 1973–74 में कम से कम लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-स्विटजरलैंड ऋण समझौता

3924. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-स्विटजरलैंड ऋण समझौते पर अक्तूबर, 1973 में हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि, हां, तो वह ऋण किस विशेष उद्योग में उपयोग में लाया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। 9 अक्टूबर 1973 को नई दिल्ली में भारत सरकार और स्विटजरलैंड सरकार के बीच 9 करोड़ स्विस फ्रैंक (विनिमय की वर्तमान दर पर लगभग 22.5 करोड़ रुपये) के दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किय गये थे। इनमें से 3.5 करोड़ स्विस फ्रैंक (लगभग 8.75 करोड़ रुपये) का ऋण एक विकास ऋण है और 5.5 करोड़ स्विस फ्रैंक (लगभग 13.75 करोड़ रुपये) का दूसरा ऋण अन्तरण ऋण है।

(ख) विकास ऋण औब्रा-सुलतानपुर-लखनऊ 400 किलोवाट पारेषण योजना की पुंजीगत आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए है।

अन्तरण ऋण का उपयोग भारत के विभिन्न उद्योगों के लिए स्विटजरैंड से पुंजीगत वस्तुओं और संयंत्रों के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

विदेशों के साथ भारत का व्यापार

3925. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस' पश्चिमी जर्मनी, जापान और मिस्र के साथ भारत का विदेश व्यापार अलग-अलग कितना था; और

(ख) इन देशों में से प्रत्येक देश के साथ वर्ष प्रति वर्ष व्यापार में उतार-चढ़ाव आने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह जानकारी दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5944/73]**

(ख) हमारा आयात व्यापार सर्वदा भारत की आयात आवश्यकताओं और विदेशों द्वारा भारत को की गई पेशकशों की प्रतियोगिता पर निर्भर करता रहा है। सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, फान्स तथा पश्चिम जर्मनी के साथ आयात आंकड़ों में उतार चढ़ाव संलग्न विवरण में दिखाया गया है। जहां तक भारत-मिस्र के व्यापार का संबंध है उसका विनियमन वार्षिक भारत-मिस्री अरब गण-राज्य व्यापार प्रबंधों द्वारा होता है, जिनके कुछ वर्षों के लिये संतुलित व्यापार की व्यवस्था है। अतः भारत मि० अ० ग० व्यापार में उतार चढ़ाव प्रत्याशित है।

जहां तक निर्यात में उतार चढ़ाव का संबंध है, हमारा बढ़ा हुआ व्यापार हमारे द्वारा अपनाये गये विभिन्न संवर्धन उपायों तथा साथ ही निर्यात मदों के विविधीकरण के कारण है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं

3926. श्री विश्व नारायण शास्त्री :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्रत्येक राज्य में कितनी शाखाएं खोली गयी हैं; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) और (ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जुलाई, 1969 और 31 अगस्त, 1973 के दौरान 4078 कार्यालय खोले जिनमें से 54 प्रतिशत की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी। शाखाओं का राज्यवार बंटवारा परिशिष्ट में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	खोले गये कार्यालयों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	190
2. असम	77
3. बिहार	212
4. गुजरात	449
5. हरियाणा	70
6. हिमाचल प्रदेश	51
7. जम्मू और कश्मीर	26
8. केरल	153
9. मध्य प्रदेश	232
10. महाराष्ट्र	587
11. मणिपुर	8
12. मेघालय	5
13. कर्नाटक	378
14. नागालैंड	1
15. उड़ीसा	67
16. पंजाब	141
17. राजस्थान	147
18. तमिलनाडु	350
19. त्रिपुरा	10
20. उत्तर प्रदेश	480
21. पश्चिम बंगाल	261

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	खोले गये कार्यालयों की संख्या
22. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
23. अरुणाचल प्रदेश	..
24. चण्डीगढ़	11
25. दादर और नगरहवेली	4
26. दिल्ली	118
27. गोवा, दमन और दीव	34
28. लक्षद्वीप	4
29. मिजोराम	..
30. पाण्डीचेरी	11
जोड़	4078

वर्ष 1972–1973 में रुई का आयात

3927. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान कुल कितने मूल्य की कितनी रुई आयात की गई तथा उसी अवधि में कितने मूल्य के वस्त्र निर्यात किये गये; और

(ख) इस अवधि में वस्त्रों के निर्यात पर कुल कितनी राशि दी गई और उस पर कितनी नकद राशि राजसहायता के रूप में दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल-दिसम्बर 1972 के दौरान 76.33 करोड़ रुपयें मूल्य रुई की 5.15 लाख गांठें आयात की गई तथा 1972–73 के दौरान मिल निर्मित तथा हथकरघा दोनों प्रकार के सूती वस्त्रों का 183.49 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया ।

(ख) सरकार द्वारा कोई उपदान नहीं दिया गया । तथापि, सूती वस्त्रों पर नकद सहायता के लिए भारतीय सूती मिल संघ की योजना के अन्तर्गत नकद सहायता की दर अलग अलग वस्तुओं तथा अलग अलग गन्तव्य स्थानों के संबंध में भिन्न भिन्न होती है । 1972–73 के दौरान भारतीय सूती मिल संघ ने सूती वस्त्र के निर्यातों पर नकद सहायता के रूप में 34.08 करोड़ रुपये दिये ।

हाथकरघा उद्योग के लिये अध्ययन दल की स्थापना

3928. **श्री एम० सुदर्शनम्** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के हथकरघा उद्योग के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्य कौन-कौन है और कृत्य क्या-क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हथकरघा उद्योग के लिए उच्च शक्ति सम्पन्न अध्ययन दल स्थापित करने की प्रस्थापना विचारधीन है ।

Opening of new Branches of Nationalised Banks in Rajasthan

3929. Shri Lalaji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of new branches of nationalised banks proposed to be opened in Rajasthan during the years 1973 and 1974 indicating the names of the banks and the number of branches of each bank to be opened ; and

(b) the number of branches to be opened in Udaipur District and the time by which these branches would start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The public sector banks, including the nationalised banks, have opened 35 offices in Rajasthan during the current year (January 1 to August 31st). These banks currently hold licences/allotments for opening 106 offices in the State. The names of the banks and the number of licences/allotments currently held by them for opening offices in Rajasthan are set out in the *Annexure*. The banks have yet to formulate their plans for opening new offices in 1974.

(b) The public sector banks have licences/allotments for opening 6 offices at various centres in Udaipur district. Normally the banks are expected to implement the licences within a period of 6 months in respect of licences pertaining to rural/semi-urban centres and one year for other centres.

Statement

Name of Bank	No. of licences/ allotments for opening offices in Rajasthan
1. Panjab National Bank	14
2. Bank of Baroda	22
3. Bank of India	3
4. Allahabad Bank	2
5. United Commercial Bank	13
6. Central Bank of India	10
7. Indian Overseas Bank	1
8. United Bank of India	1
9. Indian Bank	1
10. Union Bank of India	1
11. Dena Bank	6
12. Syndicate Bank	1
13. Bank of Maharashtra	..
14. Canara Bank	..
All Nationalised banks	75
15. State Bank of India Group	31
All public sector banks	106

Tourist Rest Houses Proposed to be constructed by Government during 1973 and 1974

3930. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Tourism' and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) The number of standard Hotels and Tourist Rest Houses in big Cities and impor- tant places which exist in various States of the country for the convenience of tourists; and

(b) the number of tourist rest houses as proposed to be constructed by Government during 1973 and 1974 with location thereof ?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) 187 Hotels in India are on the approved list of the Department of Tourism. The India Tourism Development Cooperation (a public sector undertaking) has 12 hotels 2 motels, cottages at 2 places, 15 travellers lodges and 11 travellers restaurants. The State Governments also have their tourist bungalows at varoius plac es.

(b) Government's programme during 1973 and 1974 for construction of tourist bunga- ows, forest lodges and youth hostels is detailed below :—

Tourist Bungalows . .	11 at Dharamsala, Darjeeling (extension of existing lodge), Gauhati, Jaisalmer, Ludhiana, Mantrallaya. Porbander, Rameshwaram, Sahibi Nadi, Suraj Kund and Warangal.
Forest Lodges . .	7 at Bharatpur, Bandipur, Corbett National Park Dandeli, Jaldapara, Kaziranga and Sasangir.
Youth Hostels . . .	15 at Amritsar, Aurangabad, Bhopal, Dalhousie, Darjeeling, Gandhinagar, Hyderabad, Jaipur, Madras, Nainital, Panaji, Panchkula, Patnitop Puri and Trivandrum.

Development of and facilities at Udaipur Airport

3931. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to develop and strengthen the airport, runway and, terminal building at Udaipur in Rajasthan ; and

(b) whether adequate facilities, such as, restaurant, passenger lounge, water cooler and public Telephones are not being provided to the foreign tourists at this airport ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) :

(a) and (b) An estimate mounting to Rs. 61.56 lakhs has been sanctioned for deve- lopment of runway, etc. at Udaipur aerodrome to make it suitable for Boeing 737 operations. The work on expansion of the terminal building has already been completed. A restaurant is functioning and a water cooler has been provided. The Posts and Telegraphs authori- ties have been requested to instal a public telepone.

Language used in Nationalised Banks

3932. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the work in almost every nationalised bank is transacted in English;

(b) Whether National language is very rarely used in these banks ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) While English continues to be the principal language in which the business of the banks is transacted, the banks have been endeavouring to make use of Hindi as far as possible at the points of contact with the general public, especially in Hindi-speaking areas. Appreciable progress has already been made by the banks in regard to the adeption of Hindi—e.g. in setting up of Hindi Cells and Official Language Implementation Commitees, translation of agreements etc., documents, acceptance of cheques in Hindi, printing of applications,forms for loans, pay-in-slips, dispaly of sign beards and advertisements. printing of annual reports balance sheets bilingually. Since the task of providing necessary infrastructure facilities like appointment of Hindi translators, typists, stenographers, acquiring of Hindi type writers and training of staff in Hindi is time consuming the pace of adoption of Hindi by all the nationalised banks can only be gradual.

The Official Language Implementation Committee of the Department of Banking and of the Reserve Bank of India have been keeping watch over the progressive use of Hindi in the banks and have been meeting regularly to review the progress.

अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों (वर्ल्ड एयर लाइन्स) का अपनी पृथक मुद्रा रखने का प्रस्ताव

3933. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियां (वर्ल्ड ऐयरलाइंस) अपनी पृथक मुद्रा रखने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है; और यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क), (ख) और (ग) आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संचलन) के अंतर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय टिकट बिक्री के लिए आधार स्वरूप अस्थिर मूल्य डालर तथा पौंड स्टर्लिंग के बदले में एक नयी कृत्रिम 'करंसी' चलाने का एक प्रस्ताव है जिस का मूल्य एक नये यूनिट द्वारा निर्धारित होगा। प्रस्ताव यह है कि यात्रियों तथा माल परिवहन के लिए आई० ए० टी० ए० किराये तथा दरें एक स्वतंत्र मूल्य यूनिट के रूप में निर्धारित किये जाएं जो कि आई० ए० टी० ए० यूनिट वेल्यू (आई० यू० वी०) कहलाएगा। यह यूनिट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा अपनाये गये विशेष निकास अधिकार (एस० डी० आर०) के मूल्य पर आधारित होगा। इस प्रस्ताव पर विश्व की विमान कम्पनियों के मध्य कोई अन्तिम समझोता नहीं है तथा इस प्रस्ताव का फिलहाल आई० ए० टी० ए० के अन्दर अध्ययन किया जा रहा है।

विपणन विकास निधि से सहायता लेने के लिये केरल सरकार द्वारा अनुदान संहिता में परिवर्तन

3934. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अनुदान संहिता में ऐसा परिवर्तन करने का है जिससे केरल विभिन्न योजनाओं हेतु विपणन विकास निधि से सहायता प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

9—33 L.S.S./73

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि विपणन विकास निधि सहायता हस्तशिल्प विकास निगम आफ केरल लि० नामक राज्य उद्यम को भी उसके निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के आधार पर दी जाए। आवेदन पत्र की समुचित संवीक्षा किये जाने के बाद, 'निगम को एक निर्यात सदन के रूप में मान्यता दे दी गई है जिससे वह विपणन विकास निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बन गया है। अनुदान संहिता में कोई संशोधन करना अपेक्षित नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्ज रैयक्स इण्डिया के लिये आयातित छः साइजिंग मशीनों का बिना बिके पड़े रहना

3935. श्री धामणकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आर्ट सिल्क उद्योग हेतु मैसर्ज रैयक्स इंडिया लिमिटेड के लिए 45 लाख रुपये के मूल्य की छः साइजिंग मशीनों का आयात किया था और वे मशीनें राज्य व्यापार निगम के पास बिना बिके बेकार पडी हुई है, और यदि हां, तो मैसर्ज रैयक्स इण्डिया लिमिटेड ने उन मशीनों की डिलीवरी क्यों नहीं ली;

(ख) इसके कारण अब तक कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) उक्त हानि को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, मशीनों का आयात, मैसर्स रयक्स इंडिया लिमिटेड के लिए किया गया था जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन मशीनों की डिलीवरी नहीं ले सके। मशीनें क्रेटों में बंद एक गोदाम में पडी है।

(ख) चूंकि मशीनों को अभी बेचा नहीं गया है अतः इस संबंध में अभी तक कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Bones

3936. **Shri Hemendra Singh Banera : Will** the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value in terms of rupees of export of bones during the last three years, year-wise;

(b) the countries to which they were exported ; and

(c) the amount of foreign exchange earned **by India** on this account ?'

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The exports of "bones, horn-cores and their waste" during the last 3 years are given below :—

	Rs.
1970—71	4.92 crores
1971—72	5.86 crores
1972—73	5.75 crores

The major importing countries were U.K., Japan, France, German Democratic Republic, Bulgaria, Belgium and U.S.A.

सीमाशुल्क विभाग के कलेक्टरों का सम्मेलन

3937. **श्री वयालार रवि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग के पश्चिम तट के कलेक्टरों का हाल ही में सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य बातों पर विचार विमर्श हुआ और उन पर क्या निर्णय किये गये है और;

(ग) सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न उपाय तस्करों रोकने की दिशा में कहां तक सफल हुए है और तत्संबंधी आंकडे क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । पश्चिमी तट पर सीमा शुल्क कार्यालयों के कार्यभारी सीमाशुल्क समाहर्ताओं का एक सम्मेलन 11 तथा 12 अक्तूबर, 1973 को बम्बई में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, वे निम्नलिखित है :

(1) पश्चिमी तट पर सीमा शुल्क के निवारक संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करना जिसमें तस्कर व्यापार विरोधी कार्य के लिये बेहतर साज सामान की व्यवस्था करने की आवश्यकता शामिल है।

(2) सूचना एकत्रित करना तथा तस्कर व्यापार विरोधी एवं गुप्त सूचना कार्य में अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(3) न्यायालयों में तस्कर व्यापार के मामलों को चलाने वाले अधिकारियों को बेहतर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना।

(4) सूचकों तथा अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करने को प्रणाली से संबंधित प्रश्न।

(5) बम्बई जैसे बडे शहरों में विदेशी वस्तुओं को बेचने वाले व्यक्तियों (हाकर्स) द्वारा पैदा की गयी समस्याएं।

(6) जब्तशुदा माल के निपटान की प्रणाली में सुधार से संबंधित प्रश्न।

बैठक में व्यक्त मतों की सरकार जांच कर रही है और ऐसी जांच के पश्चात उपयुक्त निर्णय किए जायेंगे।

(ग) सरकार द्वारा किये गए तस्कर व्यापार विरोधी उपायों के परिणाम स्वरूप विगत 5 वर्षों में पकडे गये माल का मूल्य नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	पकडे गए माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
1968	1939
1969	2501
1970	2207
1971	2083
1972	2541
1973 (सितम्बर तक)	2307

केरल राज्य में योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशि की स्वीकृति

3938. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने केरल में विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिय कुल कितनी धन राशि की स्वीकृति दी है तथा इसका परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वित्तीय सहायता के लिए ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जो जीवन बीमा निगम के पास निर्णय के लिए विचाराधीन पड़े है; और

(ग) वर्ष 1973–74 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए जीवन बीमा निगम का विचार केरल राज्य को कुल कितनी धनराशि देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केरल राज्य मे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 1972–73 में जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत और वस्तुत: दिये गये ऋणों की रकमें नीचे लिख अनुसार है :–

	स्वीकृत रकमें	वस्तुत: दी गयी रकम (लाख रुपयों में)
1. कृषि	29.00	31.91
2. विद्युतीकरण (ग्रामीण तथा शहरी) . . .	410.00	409.80
3. आवास	105.00	105.00
4. उद्योग	126.76	61.61
5. जलपूर्ति तथा जल निकास (शहरी तथा ग्रामीण) . .	378.20	514.20
कुल जोड .	1048.96	1122.52

उपर्युक्त ऋणों के अलावा, केरल राज्य द्वारा जारी किये गये सरकारी ऋण पत्रों मे जीवन बीमा निगम ने 1972–73 में 189.69 लाख रुपये लगाया है, जो किसी विशेष प्रयोजन के लेकर नहीं थे, परंतु व योजना संसाधनों के महत्वपूर्ण अंग है, और उनके काफी बड अंश का उपयोग कृषि सिचाई, सडक तथा संचार, स्वास्थ्य वन विकास, शिक्षा आदि में सरकार द्वारा लगाये जाने वाले धन की पूर्ति के रूप में किया गया है।

(ख) ऋणों के लिये केरल राज्य की निम्नलिखित संस्थाओं की दरखवास्ते जीवन बीमा निगम में विचाराधीन है :–

	आवेदन की रकम (लाख रुपये में)
(i) निम्नलिखित नगर पालिकाओं की जल निकास योजनाएं	
(1) त्रिवेन्द्रम.	40.00
(2) कालीकट	34.00
(3) कोचीन	35.00
(4) गुरुवायर टाउनशीप	4.00
	113.00
(ii) केरल सरकार की एक लाख गृहों के निर्माण की योजना .	150.00

(ग) केरल राज्य में जीवन बीमा निगम के निवेशों की बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1973-74 में 14.23 करोड रुपय की थी (इसम गर सरकारी कंपनियों में किये गये निवश शामिल नहीं है।)

Loans Advanced by Nationalised Banks to Farmers possessing less than Five Acres of land in East Nimar District (Madhya Pradesh)

3939. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks have advanced loans during the last two years to the Farmers possessing less than five acres of land in East Nimar District of Madhya Pradesh;

(b) whether loans have been advanced to those possessing more than five acres of land ; and

(c) the names of the banks which advanced the aforesaid loans indicating the total amount of loan advanced by each of them, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) The District-wise/State-wise information in the manner asked for is not available. All the public sector bank, however, advance loans for various agricultural purposes to all categories of farmers. The quantum of direct finance to agriculgturists by the public sector banks in the State of Madhya Pradesh as at the end of December, 1971 and March, 1973 are indicated below :

(Rs. in crores)

	Balance Outstanding*
December, 1971 . .	8.24
March, 1973	10.36

*Provisional

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

त्रिपुरा में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तूओं की अनुपलब्धता का समाचार

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने से पूर्व मेरा निवेदन है कि मुझे अभी तक वक्तव्य की प्रति नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसे दोपहर बाद के लिये स्थगित कर दिया जाए।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इस पर पांच बजे चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में सभा की अन्य कार्यवाही पर बुरा प्रभाव पडेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : आप इस बात की जांच करें कि वक्तव्य की प्रति न दिये जाने के क्या कारण हैं। मंत्री महोदय को सभा के समक्ष इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब इस पर चर्चा होनी चाहिये। मैं इसके विलम्ब के कारणों का बाद में पता लगा दूंगा। मंत्री महोदय इस वक्तव्य को पढकर सुना देंगे।

श्री अजित कुमार साहा : श्रीमान, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बिनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं ओर उसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे ।

> "इण्डियन एयर लाइंस में तालाबन्दी और रेल सेवाओं के अस्त व्यस्त होने के कारण खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध न होने तथा कृषि उत्पादों जैसे पटसन और अन्य पदार्थों के मूल्यों में असाधारण गिरावट के परिणाम स्वरूप त्रिपुरा में गम्भीर स्थिति उत्पन्न होन का समाचार"

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : वर्ष 1972 के दौरान त्रिपुरा सरकार को लगभग 14,000 मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे जबकि इस वर्ष अक्तूबर, 1973 के अन्त तक 55,000 मी० टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक से राज्य सरकार की उपयुक्त आवश्यकताओं पुर्णतया पुरा किया गया है। राज्य सरकार के पास नवम्बर 1973 के प्रारंभ में खाद्यानों का 8,000 मी० टन से भी अधिक स्टाक था खरीफ की फसल की आमद और बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार होने से सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में कमी हो गई है । खाद्यान्नों के मूल्यों में भी उल्लेखनीय कमी हुई है ।

पटसन की पैदावार पिछले वर्ष से अच्छी बतायी जाती है । पैदावार में हुई वृद्धि के कारण मूल्यों में गिरावट आयी है । पटसन निगम ने वाणिज्यिक खरीदारी कार्यचालन के अधीन त्रिपुरा के विभागीय खरीद केन्द्र और सहकारी समितियों के माध्यम से 14,911 क्विं० कच्ची पटसन खरीदी है ।

माननीय सदस्यों को मालम ही है कि इंडियन एयरलाईंस ने तालाबन्दी घोषित कर दी है जिससे वायु संचार में बाधा पड गयी है । तथापि, कुछ वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए है जिनके अधीन जाम एयर कम्पनी को कलकत्ता और अगरतला के बीच दिन में तीन बार

यात्री सेवाएं चलाने की अनुमति दी गई है । वायु सेवाओं में बाधा पडने से निस्सन्देह जनता को असुविधा हुई है लेकिन इससे त्रिपुरा में खाद्यान्नों की उपलब्धता स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडा है ।

*श्री **अजित कुमार साहा :** महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सचना नौवहन और परिवहन मंत्री को दी गई थी किन्तु उसका उत्तर कृषि मंत्री दे रहे है । वास्तव में इस विषय का सम्बन्ध नौवहन और परिवहन मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री से है । अत: उन्हें भी इस विषय में कुछ कहना चाहिये ।

त्रिपुरा के लिये सडक, रेल और विमान सेवाएं लगभग समाप्त हो गई है । त्रिपुरा के लिये इंडियन एयर लाईंस की प्रति दिन 6–7 उडाने होती थी जो अब बिल्कुल बन्द हो गई है । कोयले की भारी कमी के कारण त्रिपुरा को न तो कोई रेल गाडी जाती है और है न वहां से कोई आती भी है । माल गाडिया भी चलती बन्द हो गई है । पेट्रोल की कमी के कारण सडक परिवहन भी उप हो गया है । इन सेवाओं के समाप्त होने के कारण त्रिपुरा में दाल, तेल, साबुन आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है । आवागमन के साधन उपलब्ध न होने के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों पर बुरा प्रभाव पडा है । किसानों को पटसन और कपास जैसी वस्तुओं को बाजार में न भेज सकने के कारण भारी हानि हो रही है । सीमेंट आदि वस्तुओं के न मिलने के कारण वहां के उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं। त्रिपुरा में 80 प्रतिशत जनसंख्या छोटे किसानों की है जिनके पास जीवन मापन का दूसरा कोई साधन नहीं है । वहां 30 प्रतिशत जनसंख्या कृषि श्रमिकों की है जो बेरोजगार हो गये है । इसी प्रकार गांवों में छोटे दुकानदार भी बेकार बैठे है ।

त्रिपुरा के कुछ नगरों को रेल द्वारा बंगला देश के साथ सरलता से जोडा जा सकता है। बंगला देश के जरकारिया रेलवे स्टेशन से अगरतला केवल दो मील दूर है । इसी प्रकार फेनी और कैलाश शहर भी थोडी थोडी दूर पर ही है । मेरा विचार है भारत सरकार और बंगला देश की सरकार के बीच इस सम्बन्ध में बात चीत हुई है । दोनों देशों में व्यापार बढाने तथा पारस्परिक सहयोग करने के लिये इन नगरों को रेल द्वारा बंगला देश के साथ मिलाने का कार्य लाभदायक रहेगा। आश्चर्य है कि अभी तक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक कोई रेलवे लाइन नहीं है । मेरा अनुरोध है कि धरमतला रेलव लाइन को अगरतला तक बढाया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो चुका है तथा 70 करोड रुपया खर्च होने का अनुमान है । किन्तु अभी तक इस परियोजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया ।

त्रिपुरा को जो राजसहायता दी जाती थी अब उसे बन्द कर दिया गया है । वहां की जनता ने इस का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया किन्तु उस पर लाठी और गोलिया चलाई गई ।

मैं स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाएगी ? इससे क्या उक्त राजसहायता को पुन: दी जाएगी ? तीसरे क्या सरकार वहां के किसानों से पटसन तथा

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री अजितकुमार साहा]

अन्य ऐसी वस्तुओं को उचित मूल्य पर खरीदेगी ? क्या सरकार उस क्षेत्र की जनता की समृद्धि के लिये बंगला देश और त्रिपुरा के बीच सवारी तथा मालगाडी सेवा आरम्भ करने के लिये कार्यवाही करेंगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं ने माननीय सदस्य की बातों को ध्यान पूर्वकसूना है। मेंने यह कहा है कि विमान सेवा के अस्तव्यस्त होने के कारण कुछ आसुविधा हुई है। विमान सेवा में अस्त व्यस्तता आने के कारण जो असुविधा हुई है उसे यथासंभव दूर करने के लिये सडक तथा रेल परिवहन अधिकारी पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। त्रिपुरा सरकार ने चावल और गेहूं की सप्लाई के लिये कोई मांग नहीं की है । राज्य सरकार के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भांडार है । अतः वहां इसकी कोई कठिनाई नही है।

दूसरा प्रश्न पटसन के मूल्यों में गिरावट के बारे में हैं । मुझे विदेश व्यापार मंत्रालय से जानकारी मिली है कि पटसन निगम किसानो से पटसन खरीद रहा है । किन्तु निगम में जो मूल्य निर्धारित किये है । वे बाजार भाव से कम है अतः निगम अधिक मात्रा में पटसन नहीं खरीद सका। (**व्यवधान**) निगम ने लगभग 14,000 क्विटल पटसन खरीदा है। तथापि मैं इस बात की जांच करूंगा कि मूल्यों के बारे में जो कु माननीय सदस्य ने कहा है वही सच है अथवा नहीं।

*__श्री बीरेन दत्त__ (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय भारतीय पटसन निगम ने इस राज्य में पटसन की खरीद के लिये कोई एजेंट नियुक्त नहीं किया है । निगम ने पटसन की खरीद के लिये कुछ व्यक्तियों तथा कुछ कम्पनियों को धन राशि दी है । दुर्भाग्य की बात है कि इन कम्पनियों और व्यक्तियों ने तथा कांग्रेस पार्टी के कुछ दलालों ने पुलिस की सहायता से सामान्य व्यापारियों को पटसन खरिदने से वंचित कर दिया है। ये व्यक्ति या कम्पनियां किसानों स 8-10 रुपया प्रति मन के हिसाब से पटसन खरीद कर निगम को 41 रुपया प्रति मन के हिसाब से बेच रहीं है तथा इतना अधिक फायदा उठा रहे हैं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस खरीद फरोक्त की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाए। मैं अपने कथन की पुष्टि के लिये सैकडों किसानों को मंत्री महोदय के समक्ष उपस्थित कर सकता हूं। यही स्थिति चावल की खरीद के बारे में है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग किसानों से 70 पैसा प्रति किलोग्राम के भावपर चावल खरीद रहे है । जब कि बाजार भाव 3 रुपया और 4 रुपया प्रति किलोग्राम है । माल ढुलाई सुविधाओं के अभाव में बेचारे किसानों को इतने कम मूल्य पर अपना माल बेचना पड रहा है । वास्तविक स्थिति यह है कि समूचा प्रशासन इन चोर बाजारों से सांठ गाँठ किये हुए है तथा किसानों का पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है ।

इस वर्ष समय पर वर्षा होने के कारण सरसों की फसल अच्छी हुई है । किन्तु आश्चर्य की बात है कि प्रशासन ने सरसों की स्थानीय पिराई पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिससे सरसों के तेल का मूल्य पांच रुपया से बढकर 9 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है । इस प्रतिबन्ध से तेल व्यापारियों को भारी लाभ हुआ है जब कि किसानों के लिये सरसों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई। रेल तथा विमान सेवाओं के बन्द होने कारण त्रिपुरा की जनता को दवाइयां जैसी अत्यावश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो रही है तथा उनको दवाइयों के अभाव में मर जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है । यातायात सुविधाओं के अभाव में वहीं आवश्यक वस्तुओं के मूल्य मे भारी वृद्धी हो गई है । अक्तूबर

*बंगाली में दिये गये भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

और दिसम्बर 14 के दौरान हजारो किसानों ने इस अन्याय के विरोध में आवाज उठाई तो पुलिस द्वारा उन्हे पीटा गया तथा उनमें से बहुत से किसानोंको अस्पतालों में दाखिल होना पडा। इस राज्य से चाय का निर्यात लगभग ठप हो गयी है जिसमें से बहुत से कारखाने बन्द हो गये है और श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। मंत्री महोदय ने जो स्थिति बताई है वह नितांत भ्रामक है । त्रिपुरा को राज सहायता देना भी बन्द कर दिया गया है । मेरा अनुरोध है कि इस राजसहायता को बहाल किया जाए जिससे कृषि उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में किसानों को सुविधा मिल सके । आशा है मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : पटसन के मुल्य के बारे में मैंने विदेश व्यापार मंत्रालय से प्राप्त जानकारी बता दी है । फिर भी माननीय सदस्यों की शंका का समाधान करन के लिये मैं सम्बद्ध मंत्री महोदय से बातचीत करूंगा।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है त्रिपुरा में चावल और गेहूं का अक्तुबर के महीने में लगभग 8,000 टन का भण्डार था। त्रिपुरा सरकार ने नवम्बर और दिसम्बर महीन में चावल और गेहूं की कोई मांग नही की। अन्य बातों का मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सम्बंद्ध मंत्रालयों से बात चीत करूंगा तथा पता लगाऊंगा कि क्या लगाए गए आरोप सच है तथा स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा सकत है ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य है तथा वहां के लिये कभी भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं सप्लाई नहीं की गई। हमने सरकार से बार बार यह अनुरोध किया है कि इस राज्य में वस्तुओं के वितरण तथा परिवहन प्रणाली में सुधार किया जाए किन्तु सरकार ने एक नहीं सुनी। परिवहन प्रणाली के अस्त व्यस्त होने से अब स्थिति और भी खराब हो गई है । त्रिपुरा में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं समय पर नहीं पहुंचती । इण्डियन एयर लाइन में हडताल के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्य बहुत कम है तथा नगरीय क्षेत्रों में उसके मूल्य बहुत अधिक है । यह स्थिति जमाखोरों ने अपने हित के लिये उत्पन्न की है । ये व्यापारी उत्पादकों की भी खाल उतार रहे है तथा उपभोक्ताओं की भी ।

त्रिपुरा से अलाट किये गये चावल में से पश्चिम बंगाल को कुछ चावल दिया जाना अनुचित नहीं है किन्तु क्या यह कदम इस लिये उठाया गया था कि त्रिपुरा सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि केन्द्रीय सरकार से पूरा चावल उपलब्ध कर सके क्यों कि पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

इस राज्य में चाय और कपास के मुल्यों में कमी हुई है। परिवहन सुविधाओं के अभावसे चाय की ढुलाई न होने से चाय बागान बन्द हो गये है । इस सन्दर्भ में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को इसके लिये मुआवजा दिया जाएगा ? क्या सरकार किसानों को तब तक के लिये ऋण दिये जाने के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देगी जब तक उनके उत्पादों को खरीदा नहीं जाता ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सहायता पुनः दी जाएगी क्यों कि सड़क परिवहन से माल ढुलाई महंगी पडती है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने भी वही प्रश्न उठाए है जो पहले उठाये जा चुके है । मुझे माननीय सदस्य की बात समझ में नहीं आई कि माल बाहर न जाने के कारण किसान अपने माल को सस्ते दामों पर बेच रहे हैं । यदि त्रिपुरा में बाहर से माल नहीं आ रहा है और वहां वस्तुओं की कमी है तो उत्पादकों को अधिक मूल्य मिलना चाहिये। पटसन के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि त्रिपुरा में पटसन का मूल्य उस मूल्य से अधिक है जो पटसन निगम ने निर्धारित किया था । निगम ने 14,000 क्विटल पटसन खरीदा है । तथापि मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाता हूं मैं इस बारे में सम्बध्द मंत्रालयों से बातचीत करूंगा । राज्य सहायता के बारे में हमें राज्य सरकार से जब कोई अनुरोध मिलेगा उस पर विचार किया जाएगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत तथा रबड़ अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत टैक्सटाइल (बुनाई, कशीदाकारी, फीता बनाने और छपा की मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत क राजपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2533 में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 5927/73**]

(2) रबड अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड बोर्ड (सेवा) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्य सा० सां० नि० 1122 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5928/73**]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसुचनाओ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(एक) सा० सां० नि० 1258 जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1259 जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा सां० नि० 505 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 नवम्बर 1973 में प्रकाशित हुए थ तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[**ग्रथाल। में रखे गये दखिये संख्या एल० टी० 5929/73**]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 501 (ड.) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखीये संख्या एल० टी० 5930/73**]

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से ऋण लेने के बारे में अधिसूचना संख्या एफ० 5(11) डब्ल्यू० एण्ड एम० 73 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखीये संख्या एल० टी० 5931/73**]

(4) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (पांचवा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 506 (ड.) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5932/73**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJA SABHA

महासचिव, महोदय। मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश सूचना देनी है।

"कि राज्य सभा ने 28 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) विधेयक, 1973 पास कर दिया है।"

जल प्रदूषण तथा नियंत्रण विधेयक

WATAR (PREVENTION) BILL

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

महासचिव : महोदय, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा निमंत्रण) विधेयक, 1973 को, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1973 को भी सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं 10 दिसम्बर, 1973 को आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं।

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना।

(2) विचार तथा पास करना।

[श्री० के० रघुरामय्या]

(i) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973

(ii) कोन कन यात्री पोत (अर्जन) विधेयक, 1973

(3) चर्चा तथा मतदान

(i) वर्ष 1971–72 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(ii) वर्ष 1973–74 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक, 1973 को (संयुक्त समिति को सोंपने के प्रस्ताव पर विचार ।

(5) वर्ष 1973–74 के लिए अनुदानों की अनुपरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) आय कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार तथा उसे पास करना ।

(7) राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में निम्मलिखित विधेयकों पर विचार तथा पास करना :

(i) लोक वक्फ (सीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1973

(ii) चल चित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 ।

(8) संघ लोक सेवा आयोग 22 वें वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(9) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिलने वाल नोटिसों की संख्या में वृद्धि हो रही है । मैं सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वास्तविक स्थिति का उल्लेख करें और भाषण नहीं दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज की बुलेटिन में यह प्रकाशित हुआ है कि नियम 377 के अधीन सदस्यों अचुक विषय उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः यह गलती से हुआ है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पहले नियम 377 के अधीन दिये जाने वाले नोटि ों के विषय को कार्य सूची में प्रकाशित किया जाता था।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत मुश्किल है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It was always published in the List of Business.

Shri Jyotirmaya Basu : It would be better, if it is published in the agenda paper.

Mr. Speaker : No, please.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : Sir, through you, I want to urge the Minister for Parliamentary Affairs to have a debate on Certain matters. I would not oppose the quantum of 8 Kg. of foodgrains per unit being distributed in U. P but there should be an uniformity about the quantity of foodgrains to be allotted in each of the States.

The Business Advisory Committee has allowed eight hours time for discussion on the Report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner. When this discussion will be held. How long would it take to bring forward the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The House had discussed on 30th of November, 1973 the Work-to-Rule agitation launched by All India Mechanical Staff Association and Signal and Telecommunication staff and we had hoped that there would be an improvement in the Situation, but the siaution has been deteriorating day by day. I would urge the honourable Minister to find some way out to resorve the dispute and have a discussion with the representatives of All India Signal and Telecommunication Staff Association. All India Railway Mechanical Staff Association and All India Loco Running Staff Association.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Harijan was burnt alive at Badhia in Distt. Monghyr but nothing has been stated so far.

Indian Cotton Mills Federation had evaded income tax for the last ten years, the Finance Minister has said nothing about it so far.

Seven per cent of the crude oil is lost in Koyali and Barauni refineries, where in other countries this loss is between one per cent to three per cent.

Rourkela, Durgapur and Bhilai Steel Plants are on the verge of closure due to Coal shortage. It is a very serious matter. There should be a discussion over this matter.

अध्यक्ष महोदय : मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह के प्रारम्भ में इस्पात संबंधों में कोयले की कमी के बारे में वक्तव्य दिया जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री के इस आशय के आश्वासन के बावजूद कि 8,000 एम० ई० एस० इंजीनियरों की सेवा को तब तक समाप्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कर दिया जाता । मुझे देशभर की विभिन्न मजदूर संगठनों से पता चला है कि ऐसे इंजीनियरों की संख्या 8,000 के बजाय, 11,000 है और ये इंजीनियर 3 से 5 साल तक की नौकरी कर चुके हैं । मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि अगर इन इंजीनियरों की छंटनी की गयी तो फेड़रेशन को हड़ताल करने के लिये बाध्य होना पड़गा ।

वेतन आयोग की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिये । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 80 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में दिसम्बर के महीने में वेतन वृद्धि नहीं हुई । इस बारे में बहस होनी चाहिये ।

दिल्ली में श्रीराम इंस्टीट्यूट के बन्द होने की स्थिति में आ जाने के बारे में श्री सुब्रम्हण्यम् को वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : आयातित अपरिष्कृत काजू के उपलब्ध न होने के कारण मंगलौर के काजू उद्योग के समक्ष एक गम्भीर संकट उपस्थित हो गया है । यह काजू उद्योग श्रमिक प्रधान है और लघु उद्योग है और इससे विदेशी मुद्रा की आय होती है । मैं वाणिज्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि पूर्वी अफ्रिकी देशों से 5000 टन अपरिष्कृत काजू का आयात किया जाय, जिससे कर्मचारियों को अपने रोजगार से हाथ न धोना पड़े और कारखाने बन्द न होने पायें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The elections should be free and fair and an amendment in the election law is imperative for the purpose. The Joint Select Committee's report has been received by the Government, but why is it being delayed by the Government?

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

These days a new unit or a new canal is being inaugurated almost every day in U.P. I support the development of U. P., but when it is done at the time of elections, it seems that the Government Machinery is being misused. According to a news report, the Union. Government has agreed to link the hilly region of Kumaon with the B. G. railway line, according to the U. P. Finance Minister, Shri Narain Dutt Tiwari.

I have seen the Railway Budget for the year 1972-73, but I do not find its mention in the Demands for Grants. Such an announcement should have been made by the Union Railway Minister and not by the U. P. Finance Minister. U. P. Finance Minister made this announcement, because this Railway line is in his Constituency.

The Government machinery should not be allowed to be mis-used. Shri Sukhadia had built a nu-lah in constituency at the time of elections and the Supreme Court has held that it was a corrupt practice. The hon'ble Minister should be asked to introduce the Election Bill in this session and it should be passed in this very session.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सोवियत संघ और भारत के बीच जो करार हुआ है, उसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग सम्बन्धी जो करार बाद में हुआ था उसे प्रकाशित कर दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इसे कब प्रकाशित करेगी ेर इसे क्यों रोक रखा है ?

संविधीक आदेशों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DELAYS LAYING OF STATUTARY ORDERS

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : 15 और 22 नवम्बर, 1973 को श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) जब सभा पटल पर कुछ 'आदेश' रख रहे थे, तो कुछ सदस्यों ने इन आदेशों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के लिये चिन्ता प्रकट की थी । एक माननीय सदस्य ने साथ ही साथ यह भी कहा कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने विलम्ब के इन मामलों पर निगरानी नहीं रखी ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्टों में निरन्तर विलम्ब के मामलों की निन्दा की है । समिति द्वारा निर्धारित 15 दिन की अवधि से अधिक समय तक विलम्ब होने के मामलों की समिति स्वेच्छा से जांच करती है और छः महीने से अधिक के विलम्ब के कारणों की व्याख्या करने के लिये समिति मन्त्रालयों के सचिवों/संयुक्त सचिवों को बुलाती रहीं है ।

समिति की पांचवीं और नौवी रिपोर्टों में पहले सत्र से आठवें सत्र के दौरान विलम्ब के सभी मामलों का उल्लेख है । ऐसे मामलों की संख्या 345 है । 15 नवम्बर, और 22 नवम्बर, 1973 को सभा पटल पर रखे गए आदेशों में विलम्ब होने का समिति की नौवीं रिपोर्ट (पैरा 5-18) में उल्लेख है । समिति ऐसे मामलों की भी जांच करती रही है, जिन मामलों में सभा पटल पर आदेश रखे ही नहीं गये । सम्बद्ध मन्त्रालयों ने समिति द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर ही कार्यवाही की गई ।

श्री एस० एम० बनर्जी : संसदीय कार्य मंत्री ने हमारे अभियन्तों के बारे में अभी तव कुछ भी नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इन सुझावों को सम्बद्ध मन्त्रालयों के पास भेज दिया जाता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं उन्हें सम्बद्ध मंत्रियों के पास भेज दूंगा ।

इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं के बारे में सदस्य, द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE. INDIAN AIRLINES SERVICES

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : In reply to a calling attention Motion regarding dislocation of Indian Air Lines services, the Minister of Tourism and Civil Aviation had stated that the shifts in Indian Airlines prior to the 12th November, 1973 were mostly "balanced" pattern, so that equal number of workers were employed in the morning, afternoon and night shifts, though the work load involved varied from shift to shift,. This created artificial shortages when the work load was high and left number of workers with little work at other times.

The Statement of the hon. Minister had created an impression in the House as well as outside that under the present shift system in the Indian Airlines the member of employes during the lean period was the same as during the peak period and the main purpose of the new shift system was to do away with this imbalance. But the facts which I have collected in this regard not only proved that the Minister had given the wrong impression, but also lay the hon. Minister open to the charge that they had misled the House.

According to the figures relating to the staff in various shifts as given in the agreement reached between the Commercial Manager of the Indian Airlines and the general Secretary of the A. C. E. on 7th August 1973, it was clear that the number of staff of different grades working in each shift had been varying. When this fact was brought to the notice of the Ministry, they had to admit that there was imbalance in the shift system of the Commercial Department of Delhi and Calcutta, but they asserted that there was no such imbalance so for as Madras and Bombay were concerned.

The figures which I have collected about Bombay showed that although in the roster there was provision for 23 employees in each shift, in actual practice this number varied from 23 to 36. I would also urge the hon. Minister to give the correct figures in regard to Madras also.

From the above it is clear that the reason for introducing the new shift system is not that there were more employees posted during lean hours and less during peak hours, but the reason is that the Government wants to increase the number of working hours per week reduce weekly holidays in a year, increase the number of working hours and flights and extend the 'spread-over' time. If that was the case, Government should have placed the entire picture before the House to that the Members could understand that Government were not only changing the shift system, but also increasing the working hours of the employees and reducing their amenities.

संचार पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : 14 नवम्बर को मैंने सदन में जो वक्तव्य दिया था, मुझे इस बात का खेद है कि श्री बाजपेयी को उसे समझने में गलतफहमी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वह मेरे वक्तव्य का सावधानी से अध्ययन कर ले, तो इस प्रकार की गम्भीर भूल का आरोप मुझ पर नहीं लगाते।

मैं पाली प्रथाओं का उल्लेख करते हुए, 'अधिकांशत:' शब्द का प्रयोग किया था। **(व्यवधान)** 'अधिकांशत:' का अर्थ 'संपूर्ण रूप से' अथवा 'समग्रत:' नहीं होता। **(व्यवधान)**

मैं सभा पटल पर एक विवरण पत्र रखता हूं, जिससे 12 नवम्बर, 1973 के तत्कालपूर्व की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। **[ग्रंथालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5931-ए०/73]**

इससे पता चलता है कि मैंने एक सही वक्तव्य दिया है और वह तथ्यों पर आधारित है तथा उससे सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता।

[श्री राजबहादुर]

विवरण-पत्र में रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की संख्या दिखाई गई है । शिफ्टों में कर्मचारियों की संख्या एक-समान थी, यद्यपि शिफ्ट के कार्य भारों में अन्तर था । इसलिये पिछली शिफ्ट के कर्मचारियों को अगली शिफ्ट के लिये रोकना पड़ता था । इसलिये वस्तुत: काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या और रोस्टर में दिखाए गए कर्मचारियों की संख्या में कोई संगती नहीं थी । इसकी वजह से भारी मात्रा में ओवरटाइम की अदायगी करनी पड़ती थी । इस प्रकार की बरबादी की प्रथाओं को रोकने के लिये प्रबन्धकों ने 12 नवम्बर, से नई प्रणाली को अपनाया, जो प्रत्येक शिफ्ट में कार्यभार के अनुसार कर्मचारियों की संख्या तैनात करने से संबंधित थी । उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि यूनियन से किये गए समझौते का उल्लंघन न हो ।

अध्यक्ष महोदय : अगले विषय पर जाने से पहले श्री एस० एम० बनर्जी संकल्प पुर:स्थापित करना चाहते हैं । मध्यान्ह भोजन के पश्चात् वह अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह् भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोकसभा मध्यान्ह् भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुन:समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speokar in the Chair]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक संशोधन, अध्यादेश, 1973 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिय संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF CENTRAL EXCISE AND SALT AMENDMENT ORDINANCE 1973

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एस० एम० बनर्जी अपना सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 नवम्बर, 1973 को प्रस्थापित केन्द्रीय उतपाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है" ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I have a point of order relating the resolution just moved in the house. In my opinion it cannot be discussed in this House. Parliament is empowered to legislate under Article 245 and 246 of the Constitution and Article 123 empowers the President to issue ordinances in extraordinary circumstances. There is a provision under Article 109 that Money Bills can only be introduced in Lok Sabha. This Article provides a status of Superiority to Lok Sabha, a directly elected boday over Rajya Sabha, in indirectly elected body. This is the constitutional position. Now, the ordinance has been issued under article 123 to increase the tax or the duty, which constitutes the subject matter of Money Bill. Thus by violating the provision of Article 109 this House has been brought at par with Rajya Sabha and it is violation of the constitution. Hence I request you to stop the discussion on the ordinance and ask the Governments to fill up the Vacuum created by the ordinance by suitably amending the present Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस विधेयक और संकल्प पर सभा में विचार नहीं किया जा सकता। यदि आपका कहना यही है तो मैं इस चर्चा को रोकने के प्रश्न पर विचार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं।

Shri Madhu Limaye : At the moments I am talking of the resolution. The point of legislative competence can be raised in respect of Bill only.

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि आप यह कहना चाहते हैं कि सभा में संकल्प पर विचार नहीं किया जा सकता और इस प्रकार आप संकल्प को विधेयक से अलग कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : The Ordinance promulagated by the President under Article 123 relates to money ma..ers and it is in contravention of Article 109. So the Ordinance initself is unconstitutional and on this logic the resolution diapproving the ordinance also becomes unconstitutional. That is why I contend that the resolution moved by Shri Banerjee cannot be discussed in this house Moreover, the ordinance reduces our House to a position of equality with Rajay Sabha and it destroys the supremacy of Lok Sabhas.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि राष्ट्रपति ने ऐसा अध्यादेश जारी किया है जो वित्त संबंधी मामलों से संबंधित है और राष्ट्रपति संसद का एक अंग है तथा संसद में राज्य सभा और लोकसभा दोनों सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं इस संबंध में विधि-मंत्री के विचार सुनना चाहूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं श्री मधु लिमये की इस बात का समर्थन करता हूं कि राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश बिना लोक-सभा को उससे संबद्ध किये जारी नहीं कर सकता जिसमें कराधान की व्यवस्था हो।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न का अनावश्यक विस्तार करने जा रहे हैं।

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य ने औचित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न उडाया है जबकि मैंने व्यवस्था प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम इस संकल्प पर विचार करें अथवा नहीं। क्योंकि इससे वित्त संबंधी विधेयक के प्रथम वाचन पर ही राज्यसभा संबद्ध हो जाती है जो संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न यह है कि क्या अध्यादेश उचित है? मेरे विचार से वह ठीक नहीं है क्योंकि उससे कर में वृद्धि की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सभा करेगी। वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या इस पर चर्चा की जाये अथवा नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, at this moment we are not discussing the issuing of Ordinance. Now the point at issue is that when taxes are imposed through ordinance and that ordinance is introduced for approval or disapproval in both Houses of Parliament simultaneously, it brings both the Houses at one level and the Constitution does not permit this in respect of Money Bills. Now I would like that the Law Minister should express his views about it and the Attorney-general should be asked to express his opinion on it, if necessary.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : श्रीमान्, जहां तक मैं समझ पाया हूं और जैसा कि आपने भी कहा है मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति को अध्यादेश के माध्यम से कर लगाने का अधिकार है; क्या अध्यादेश जारी करके कर लगाये जा सकते हैं ? संविधान में कानून बनाने के दो तरीके बताये गये हैं । संसद के सत्र के दौरान विधान संसद पास करेगी और जब संसद का सभावसान होता है, तब राष्ट्रपति किसी भी ऐसे विषय पर अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है, इस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है । इस दृष्टि से राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती । अतः यह कहना कि अध्यादेश के जरिये कानून नहीं बनाया जा सकता गलत है । हां, इस संबंध में सीमाएं हैं । अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून 6 हफ्तों की एक सीमिति अवधि तक ही लागू हो सकता है । यदि इस अवधि के अन्दर संसद् में विधेयक लाकर अध्यादेश द्वारा बनाये गये कानून को पारित करा दिया जाता है, तो वह कानून अस्तित्व में रहता है अन्यथा वह समाप्त हो जाता है । जहां तक अध्यादेश का अनुमोदन और निरनुमोदन की बात है, इस सभा को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । हां, संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा । इसी कारण से यह विधेयक इस सभा में पहले पेश किया गया है । यह व्यवस्था अध्यादेश द्वारा बनाये गए कानून पर लागू नहीं होती । यदि माननीय सदस्य संविधान के उपबन्धों में संशोधन चाहते हैं तो बात अलग है । अब मेरे विचार से संदर्भाधीन चर्चा को जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, कि संकल्प पर चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं, मैं यह निर्णय देना चाहता हूं कि इसे रोकने का कोई कारण नहीं है । जहां तक अन्य संवैधानिक प्रश्नों का संबंध है, उनके बारे में निर्णय सभा करेगी ।

श्री मधु लिमये : आप इस प्रश्न पर पुरी चर्चा की अनुमति दीजिए । इस प्रश्न पर महान्यायवादी के विचार भी जानना चाहते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं माननीय मंत्री से सहमत नहीं हूं । इस संकल्प से हम अध्यादेश पारित करने नहीं जा रहे हैं । या विधान पास करने के एक विशेष तरीके पर विचार नहीं कर रहे हैं । इस संकल्प के माध्यम से हम केवल यह विचार कर रहे हैं कि क्या अध्यादेश जारी करने के लिए उपेक्षित परिस्थितियां विद्यमान थीं अथवा नहीं । जहां तक अध्यादेश के द्वारा कर लगाने के प्रश्न का संबंध है, इस पर विधेयक पर चर्चा के दौरान विचार कि जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर अलग से चर्चा करना चाहते हैं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस समय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये है, जिन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि इनका सीधा सम्बन्ध सभा के अधिकारों से है । अतः सभा को अवसर मिलना चाहिये कि वह इन पर विस्तार से विचार करे । अतः विधेयक पर चार्चा से पूर्व हमें इसके लिये समय मिलना चाहिये । यदि महान्यायवादी को सभा में बुलाने की आवश्यकता हो तो उसे भी बुलाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सभा निर्णय करे । यदि आप महान्यायवादी को बुलाना चाहते हैं, तो इस संबंध में वह एक नियमित प्रस्ताव लायें ।

श्री मधु लिमये : क्या हर बात दो-तिहाई बहुमत से पास की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जोर से बोलकर मुझे दबाना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनके पास बहुमत है और हमारे पास तर्क हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा अधिकार है। जहां तक उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और हम संकल्प पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

34वां प्रतिवेदन

श्री गिरिधर गामांगों (कोरापुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 34 वें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 34 वें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

एशिया में सामूहिक सुरक्षा के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. COLLECTIVE SECURITY IN ASIA

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उस संकल्प को लेंगे, जो 23 नवम्बर, 1973 को श्री डी० के० पंडा ने पेश किया था।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैंने यह संकल्प 23 नवम्बर को पेश किया था। इसके बाद कुछ नयी बातें हुई हैं। श्री ब्रेजनेव की भारत-यात्रा के दौरान उनकी हमारे प्रधान मंत्री से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। हमारी सरकार और रूस की सरकार में कुछ समझौते पहले ही हो चुके हैं जिनमें एशिया क्षेत्र की सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ सिद्धांत उनमें सम्मिलित हैं। अतः इस समय मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस संकल्प पर चर्चा स्थगित की जाय।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose it. I am not satisfied with the arguments advanced for adjournment of the debate on the Resolution. The Government spokesman says that nothing has been discussed about Collective Security Pact with Russian leader. Secondly, the Hon. Member can withdraw his Resolution and cannot ask for adjournment of the debate on the same because that cannot be discussed on the next day fixed for Private Members business as my name stands first in the ballot for that day's business.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस संकल्प के प्रतिस्थापक श्री पंडा है न कि श्री बाजपेयी । श्री पंडा ने बाद में स्वीकार कर लिया है कि अब वह संतुष्ट हैं एवं इस संकल्प को लिये जाने का आग्रह नहीं करते ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order...

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि श्री पंडा संकल्प रख चुके हैं जोकि सभा की संमत्ति है । सभा की अनुमति से ही इसे वापस लिया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye : Rules 340 and 30 indicate difference in a Motion and Private Members Resolutions. If the movers of this motion want to withdraw it, they can bring a motion for withdrawal.

Shri Brezhnev himself stated in his address and also in his personel talk with me that he wanted a comprehensive discussion on this matter.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मुझे यह कहने का अधिकार है कि चर्चा के स्थगन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । प्रस्ताव क महोदय ने कहा है कि सोवियत संघ के साम्यवादी दल के महा सचिव के साथ हुए समझौते में सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्ध है । परन्तु रक्षा मंत्री को इस बातचीत से पृथक रखा गया था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय साम्यवादी दल तथा सोवियत रूस की साम्यवादी पार्टी के सचिव के साथ गुप्त बातचीत के कारण इस को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री पंडा ने स्पष्ट कर दिया है कि विदेश मंत्रालय पर 10 घंटे की चर्चा अगामी सप्ताह रखी गयी है । उसके दौरान हमारी पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी ।

Shri Madhu Limaye : We should have a chance for discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस पर चर्चा कर ली है ।

श्री मधु लिमये : क्या वापसी के अलावा स्थगत प्रस्ताव पर मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब नियम 340 के अधीन प्रस्ताव रखा जाता है तब कोई सदस्य प्रस्ताव रख सकता है कि वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : In his speech in this House comrade Brezhnev tried to express that his idea of collective security is not a imagination of Security Pact. It is a fact that the External Affairs Minister Shri Swaran Singh wants a discussion on Foreign Affairs before the adjourment of this session. But the resolution of Shri Panda has its own importance. Last time he sought myself to keep his resolution alive and in fact I helped him. I sincerely wish that discussion may take place on it.

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : This motion for adjournment of discussion has been put under Rule 340.

Under Rule 341 the speaker can forthwith put the question thereon or decline to prepare the question.

But this Resolution was allowed to be moved. This is a matter of Important Public Interest. Its importance cannot be minimised due to the visit of foreign V. I. P. visiting India.

There has been discussion on the matter not only at the Government level but also at party level in both C. P. I. and Congress. They desire to avoid discussion on it. The House should have a chance for discussion.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : राष्ट्रीय नीति है कि दो देश के मध्य संबंधों को प्रभावित करने वाली कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । इस संकल्प को वापस लेने की कार्यवाही इसी प्रकार की है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार के सभी तर्क असंगत हैं । जो कोई भी संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना चाहता है वह अगले सप्ताह जी भर कर चर्चा कर सकता है । हम समझते हैं कि इस समय इस प्रकार के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है ।

जब प्रस्तावक चर्चा को स्थगन चाहता है तो इसमें कठिनाई की कोई बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विधेयक पर चर्चा करते है तभी सरकार यह अनुभव करती है कि इस पर आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । श्री पंडा ने मुझे संकल्प को वापस लेने की अनुमति के लिये लिखा है ।

क्योंकि इस विषय पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मामले में होने की संभावना है । इस लिये मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संकल्प पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमें बताइए कि क्या इसे वापस लेने की अनुमति दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे इसके लिये लिखा था परन्तु अपने भाषण के दौरान उन्होंने चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव रखा ।

कतिपय वस्तुओं के लिए नकद सहायता और भाड़ा समीकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. FREIGHT EQUALISATION AND CASH INCENTIVES FOR CERTAIN COMMODITIES

श्री बी० के० दास चौधरी (कूचबिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि देश के सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास और उन्नति के लिये 'भाड़ा समीकरण' जैसे प्रोत्साहन, रुई, तिलहनों और पटसन के लिये समान रूप से दिये जायें, जैसा कि इस्पात और सीमेंट के मामले में किया जाता है; और पटसन और चाह जैसी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वस्तुओं के लिये नकद सहायता उसी प्रकार दी जाये जैसा कि अन्य बहुत सी निर्यात योग्य वस्तुओं के लिये दी जाती है ।"

[श्री बी० के० दास चौधरी]

कई योजनाओं के बावजूद देश के बहुत से क्षेत्र और भाग अभी भी अविकसित है। जबकि देश के कुछ भागों में अन्य भागों की अपेक्षा विकास अधिक गति से हुआ है। देश के कुछ भागों में विशेष कर पूर्वी भाग में विद्यमान श्रमिक अशान्ति की निन्दा की है।

मझे विश्वास है कि देश के सभी भागों के समान विकास के न होने का मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां एवं वित्तीय उपाय ही है। वित्तीय संस्थाओं, योजना कार्यक्रमों का वित्त पोषण, लाइसेंस देना, पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, इन सभी बातों की वित्तीय उपायों के साथ साथ समीक्षा करनी होगी।

ये वित्तीय उपाय वर्ष 1956 में किये गये थे परन्तु भाड़ा समीकरण, जैसा कि संकल्प में उल्लेख किया गया है, देश में औद्योगिक विकास पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में अधिक हुआ है।

वर्ष 1947 से 1956 तक राज्यों का औद्योगिक विकास समान ही था। 1956 के बाद उत्तरी, उत्तरपूर्व और पूर्व क्षेत्र पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों से पिछड़ने लगे। 30 अप्रैल, 1956 को तत्कालीन लोहा और इस्पात तथा वाणिज्य मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णम्माचारी ने कहा था कि सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना का प्रश्न चूना पत्थर जसे कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है तथा उद्योग का विकास उसके मिलने के स्थान की स्थिति पर निर्भर करता है।

परन्तु इस बात पर विचार नहीं किया गया कि पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिये बहुत सा कच्चा माल वहां समान रूप से उपलब्ध नहीं है। इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि देश के सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिये अन्य कच्चे माल को भी तथा ऐसी ही वस्तुओं के संबंध में 'भाड़ा समीकरण' को अपनाया जाय। परिणामतः देश के पश्चिमी क्षेत्रों में पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ।

लोहा, कोयला और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल का मूल्य भाड़ा समीकरण के द्वारा समान बनाया गया। पर अन्य वस्तुओं का भाड़ा पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिये समान नहीं बनाया गया। भारत के पश्चिमी क्षेत्र तथा बम्बई और अहमदाबाद के लोगों को यह सुविधा दी गई है।

हम देश के लिये बलिदान करते हैं। परन्तु हमें मिलता क्या है? सरकार हमें क्या देती है? हमारे जूट और चाय से देश को कुल विदेशी मुद्रा की 30 प्रतिशत की आय होती है। इस पर भी हम भूखे मरते हैं—पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में अभावग्रस्त रहते हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : राजस्थान से बुद्धिजीवी और प्रबन्ध कौशल प्राप्त होता है

श्री बी० के० दास चौधरी : राजस्थान के लोग थोड़ी सी सामग्री लेकर मेघालय, शिलांग आदि स्थानों पर आते हैं और वहां से धनाढ्य होकर वापस जाते हैं। यह संपत्ति कहां से आती है। यह सम्पत्ति का पलायन है। राजस्थानी लोगों का यही उददश्य है।

लोहा, कोयला और सीमट जसे महत्वपूण कच्चे माल के भाड़ की दर भाड़ा समीकरण के आधार पर समान बनायी गई है। परन्तु अन्य वस्तुओं का भाड़ा पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के लिये समान नहीं किया गया है। रसायन उद्योग तिलहन पर निर्भर है, उसे बड़ी मात्रा में नमक की आवश्यकता है। कताई उद्योग रुई पर निर्भर है। तिलहनों, नमक और रुई के लिये हमें अधिक भाड़ा देना पड़ता है।

यह बड़ी ही दयनीय स्थिति है। परिणामत: वैगन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग तथा लोहा और इस्पात पर आधारित उद्योग देश के अन्य भागों में तेजी से उन्नति करने लगे। श्रम ही मुख्य वस्तु नहीं है अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है।

कोयले की स्थिति क्या है? भाड़ा समीकरण के आधारपर बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयला महंगा हो गया। कोयला खानों से सभी वैगन दूर के स्थानों के लिये लादी जाती हैं। बिहार के स्थानीय लोगों को भी नहीं मिल पाती हैं। इन लोगों को कोयला बैलगाड़ियों अथवा ट्रकों आदि से ले जाना पड़ता है। बिहार में सड़कों की भी अच्छी व्यवस्था नही है। अत: वहां रेल परिवहन के समान सड़कों से कोयले की ढुलाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। परिणामत: बिहार के उद्योगों को कोयला अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। घरेलू उद्योग के लिए भी बिहार में कोयला महंगा पड़ता है।

जब पेट्रोल का मूल्य समान करने का प्रश्न आया तब इसे दूसरे ढंग से तय किया गया। तीसरी लोकसभा की सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि पेट्रोल उत्पादों का मूल्य आयात समता के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। आठ पत्तनों के आधार पर देश आठ भागों में विभाजित है। पेट्रोल का मूल्य खाड़ी क्षेत्र के अशोधित तेल के मूल्य पर निर्भर करता है। मुख्य सिद्धांत खाड़ी क्षेत्र से पत्तन तक लागत उत्पादन शुल्क और अन्य बातों से संबंधित है। इसके पश्चात् संपूर्ण देश को आठ भागों में विभाजित किया गया है और आठों भागों को पत्तन क्षेत्र और मूल्य जोत बनाया गया है। पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों में बहुत से पत्तन हैं जबकि पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता ही एकमात्र पत्तन है। यह निश्चित किया गया है कि पैट्रोलियम का मूल्य भाड़ा समीकरण के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए और मूल्यों में ऐसा समीकरण नहीं होना चाहिये। क्योंकि यदि इसे वहां लागू किया जायेगा तो वहां के उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। यह इसलिये है कि पत्तन शहरों के निकट उद्योगों का विकास होता रहा है। यदि तेल के संबंध में भी मूल्य समीकरण स्वीकृत किया गया तो देश के उत्तरी क्षेत्रों या मध्यवर्ती क्षेत्रों को भी अपने विकास के लिये अवसर प्राप्त हो सकेगा। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि इससे पत्तन क्षेत्रों और विकसित क्षेत्रों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। भारत सरकार की नीति में यह स्पष्ट असंगति है और इसी कारण इसका इतने अधिक समय से पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि आज चौथी योजना के अन्त में पहुंचने पर भी हमारे देश में पहुत से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं।

भाड़ा समीकरण का सिद्धांत, रुई, तिलहनों तथा नमक पर भी लागू किया जाना चाहिए। कपास पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा कुछ सीमा तक दक्षिणी भाग में पैदा होती है। रुई की पैदावार के आंकड़े इस प्रकार है। गुजरात में 30 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 23 प्रतिशत, हरियाणा और पंजाब में 21 प्रतिशत, तमिलनाडू में आठ प्रतिशत और कर्नाटक में 8 प्रतिशत। कुछ मात्रा अन्य क्षेत्रों में भी पैदा की जाती है। खपत इस प्रकार है। पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात और गोआ में 31.25 लाख गांठों का उत्पादन होता है जबकि वहां की कताई और बुनाई मिलों द्वारा 21.8 लाख गांठों की खपत की जाती हैं। यहां उत्पादन की 9.36 लाख गांठे शेष रहती है। दक्षिण क्षेत्र का उत्पादन 12 लाख गांठ है और उनकी खपत लगभग 14 लाख गांठों की है। उत्तरीक्षेत्र में उत्पादन 18 लाख गांठों का है तथा खपत 10 लाख गांठ से कुछ अधिक है। यहां लगभग 8 लाख गांठें शेष बचती हैं। पूर्वी क्षेत्र अर्थात् पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम में बहुत थोड़ा उत्पादन होता है परन्तु इस क्षेत्र को रुई की 2.71 लाख गांठों की आवश्यकता होती है। अत: इस क्षेत्र को कई पश्चिमी क्षेत्र से मंगानी पड़ती हैं। 1500 से 2,000 किलोमीटर की दूरी से रुई रेलवे द्वारा मंगाई जाती है। सड़क परिवहन से रुई नहीं मंगाई जा सकती क्योंकि सड़कों के विकास की स्थिति ठीक नहीं है। अधिक भाड़ा होने से रुई इस क्षेत्र में

[श्री. बी० के० दासचौधरी]

महंगी पड़ती है । रेल मंत्रालय के अनुसार भी कोयले आदि की अपेक्षा रुई और तिलहनों से अधिक भाड़ा लिया जाता है । यही कारण है कि इस क्षेत्र में रुई से बनायी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन मूल्य अधिक आता है । अत: इस क्षेत्र की कताई, बुनाई मिलें, हथकरघा कारखाने तथा विद्युत चालित करघों के कारखाने पश्चिमी क्षेत्र के कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं ले सकते। लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा कोयले की तरह रुई और तिलहनों के लिये भी भाड़ा समीकरण का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिये ।

यदि पूर्वी क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाये तो इस क्षेत्र में घटिया कपड़े के लिये पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक मांग है । मित्र देश बंगलादेश के निर्माण हो जाने से पूर्वी क्षेत्र से निर्यात बढ़ जायेगा । क्या सरकार ऐसे उद्योगों के विकास को गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित रखना चाहती है ताकि पूर्वी क्षेत्र के लोग समृद्ध न हो सकें, अपना विकास न कर सकें ? पश्चिमी बंगाल में गुजरात की अपेक्षा एक करघे में अधिक मजदूर लगे हुए हैं । सरकार यदि इस उद्योग को पूर्वीक्षेत्र में प्रोत्साहन देती है तो अधिक आदमियों को रोजगार मिल सकेगा ।

पूर्वी क्षेत्र में कताई उद्योग का विकास तभी संभव है जब सरकार इस क्षेत्र में इस उद्योग को प्रोत्साहन दे और पश्चिमी क्षेत्र के साथ समान माल भाड़े की व्यवस्था करे । यह तभी संभव हो सकता है जब लोहा, इस्पात, सीमेंट और कोयले जैसे कच्चे माल के समान माल भाड़े में समता लायी जाये ।

भारत सरकार ने वास्तव में राजसहायता देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं । सरकार ने 450 से अधिक ऐसी वस्तुओं जिनका निर्यात हो सकता है, पर राजसहायता तथा सहायता दी है । सूती कपड़े पर भी राजसहायता दी जाती है । इससे सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है अपितु सरकार प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर हानि उठा रही है । कुछ प्रोत्साहनों जैसे, निर्यात करने का हक, आयात करने का अधिकार आदि से 120 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हो रही है ।

इकानामिक एंड पालिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ है कि सरकार का विचार 250 करोड रुपए के मूल्य की लम्बे रेशे वाली इजीप्शियन काटन तथा सूडान की काटन आयात करने का है । वर्ष 1971-72 में 113 करोड़ रुपए के मूल्य की इस प्रकार की रुई का आयात किया गया । इस रूई से बने कपड़े का कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है । क्या मंत्रीमहोदय ने इस बात की जांच की है ; निर्यात 10 प्रतिशत के लगभग है जिससे 11, 12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रकार की आयातित रुई के 90 प्रतिशत भाग की खपत देशी उपयोग के वस्त्रों में ही होती है । इस क्षेत्र में भारत अमरीका जैसे समृद्ध देश से भी आगे है ।

इस प्रकार का रुई से बनाये जाने वाले सुपर फाइन कपड़े का निर्यात ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। उतना ही निर्यात किया जाता है जितने से अधिकाधिक लाभ मिलता है। निर्यात के लिये प्रोत्साहन के रूप में आयात लाइसेंस दिये जाते हैं । इन आयात लाइसेंसों का क्या किया जाता है ? इन लाइसेंसों का खुले रूप में बेचकर पैसा बनाया जाता है । इस प्रकार ऐसे निर्यात प्रोत्साहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

देश में मुंगफली की भारी कमी है। भारत सरकार मूंगफली के निर्यात के लिये भी प्रोत्साहन देती है। मुंगफली के तेल का निर्यात करने वालों को भी प्रोत्साहन दिये जाते हैं। प्रोत्साहन के रूप में निर्यात मूल्य के 60 प्रतिशत के समान मूल्य का आयात लाइसेंस दिया जाता है। आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत गरी और ताड़ तैल का आयात किया जाता है और ये तेल 200, 300 प्रतिशत लाभ पर बेचे जाते हैं। परन्तु जूट और चाय, जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, के मामले में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। बल्कि जूट के मामले में तो हज़ारों रुपए का निर्यात शुल्क लिया जाता है। एक ओर सरकार कहती है कि जूट का निर्यात कम हो रहा है दूसरी ओर एक गांठ अर्थात् 180 किलोग्राम पर 1500 रुपए निर्यात शुल्क लगाया जाता है। आज भी निर्यात शुल्क 600 से 700 रुपए तक है। चाय और जूट के उत्पादकों को भी अन्य वस्तुओं के समान ही प्रोत्साहन दिये जाने चाहियें जिससे इन वस्तुओं के उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिये उचित मूल्य मिल सके। सरकार को इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री वसंत साठे (अकोला) : पता नहीं सरकार जूट के मामले में मालभाड़ा समान करने की बात क्यों नहीं करती है। पूर्वी क्षेत्र का यह मुख्य उत्पाद है। सरकार इस्पात, कोयला और अन्य वस्तुओं के मामले में भाड़ा समीकरण के सिद्धांत को अपना रही है। जहां तक संतुलित विकास की बात है जूट उत्पादकों को यह लाभ देने में बहुत औचित्य है।

हमारे क्षेत्र में कपास के उचित मूल्य के लिये बहुत समय से मांग की जा रही है। कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में कपास के अधिक मूल्य रहते हैं परन्तु हमारे यहां के उत्पादकों को कपास की उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कपड़ा और जुट नीति में समन्वय होना चाहियें। जूट से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि सरकार लम्बे रेशे वाली रुई के 100 करोड़ रुपए के मूल्य के आयात को समाप्त क्यों कर रही है। इस समय हम 70 लाख गांठों का उत्पादन कर रहे हैं। फिर भी सरकार 10 लाख गांठ का आयात करेगी। अब यह दलील दी जा रही हैं कि अब सूत तथा रुई का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी। मंत्री महोदय हमें बतायें कि आयातित लम्बे रेशे वाली रुई से बने सूत तथा कपड़े के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। इकानामिक टाइम्स के तथा अन्य सर्वेक्षणों के अनुसार विदेशी मुद्रा मुख्यत: मध्यम और मोटे कपड़े के निर्यात से अर्जित की जाती है और ये सुपरफाइन कपास से नहीं बनते। समूचा सुपरफाइन कपड़ा नगरीय क्षेत्रों के उच्चवर्गों के प्रयोग में आता है। सरकार को देश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण की बात सोचनी चाहिये। वस्त्र जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता के बाद वस्त्रों की आवश्यकता आती है। कोई भी सरकार की निष्ठा पर संदेह नहीं कर सकता यदि देश में उत्पन्न कपास का उचित मूल्य पर उचित वितरण हो।

सरकार ने संभावतया सूडान और मिश्र के साथ हुए समझौते के कारण लम्बे रेशे वाली रुई का आयात बंद नहीं किया। यदि सरकार कपास की आयात बन्द नहीं कर सकती तो वह इस सीधे अन्य देशों को बेच सकती है।

वास्तव में यदि हमारी नीति प्रगतिशील हो तो पटसन से हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिलगी तथा उत्पादकों को भी हम अच्छे दाम दे सकेंगे उत्पादक अच्छी किस्म की पटसन पैदा करेंगा।

[श्री वसंत साठे]

तथा अधिक मात्रा में पैदा करेगा । लेकिन निहित स्वार्थों के आगे हम अपनी नीति अपनाने में असमर्थ हैं ।

मेरे विचार में इस प्रकार का संकल्प सरकार की ओर से सदन में आना चाहिये था लेकिन यह संकल्प गैर-सरकारी सदस्य की ओर से आया है । प्रचलित परम्परा के अनुसार मंत्री माननीय सदस्य को अनेक कारण बताते हुए अपने संकल्प को वापिस लेने के लिये कहेंगे ।

हमें सारे प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये तथा सभी मांगों के संतुलित विकास लोगों की बुनियादी जरुरतों को पूरा करने तथा उपभोक्ता बस्तुओं के बारे में नीतियां बनानी चाहिये ।

***डा० सरदीश राय** (बोलपुर) : यह बात ठीक है कि भाड़े की दर समान न होना पूर्वी भाग को औद्योगिक उन्नति की गति कम होने का एक मुख्य कारण है । कलकत्ता अथवा उसके निकट कपड़े की उत्पादन लागत महाराष्ट्र की मिलों में कपड़े की उत्पादन लागत से अधिक है । इसका कारण यह है कि पूर्वी क्षेत्र के कपड़ा निर्माताओं को उत्तर अथवा पश्चिम राज्यों से रुई लाने के लिये अधिक भाड़ा देना पड़ता है । सूती कपड़ा मजदूरों द्वारा पिछले दस वर्ष के दौरान देश भर की आय का अध्ययन करने पर पता चलता है कि पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मजदूरों को महाराष्ट्र के अपने साथियों से कही कम पैसा दिया जाता है । धीरे धीरे स्थिति खराब होती गयी जिसके फलस्वरूप पश्चिम बंगला में बहुत से कपड़ा मिल बन्द हो गये । सरकार को भी मिलों के बन्द होने के विभिन्न कारणों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ा । इस संबंध में रुई के भाड़े के समीकरण की पूर्वी क्षेत्र की मांग बहुत उचित है तथा उसे सरकार को बिना देरी किए मान लेना चाहिये ।

संकल्प में सुझाव दिया गया है कि सरकार को निर्यात करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर राजसहायता देनी चाहिये । पश्चिम बंगाल के अपने अनुभव से हमें पता चलता है कि गत वर्ष सरकार ने पटसन के माल के निर्यात के लिये राज सहायता दी थी जिससे केवल जूट मिल मालिकों का लाभ ही बढ़ा तथा जूट पैदा करने वाले किसानों को उत्पादन कर में दी गयी छूट का लाभ नहीं मिल पाया । हमें इस प्रकार की कोई प्रक्रिया निकालनी चाहिये जिसके अनुसार राजसहायता का लाभ सीधे किसानों को भी मिल सके ताकि उन्हें उसकी उपज करने के लिये प्रोत्साहन मिले ।

सरकार को पटसन और चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये जिससे देश को अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है । राष्ट्रीयकरण के बाद भी इन दोनों उद्योगों की विदेशी मुद्रा की आय कम नहीं होगी ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस कारण इस पर ध्यानपूर्वक से विचार करना होगा ।

रेलवे के भाड़े के संबंध में दूरगामी दर अपनायी है । प्रश्न किसी वस्तु अथवा क्षेत्र अथवा प्रान्त का नहीं है । अतः इस पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार करना चाहिये ।

---

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन के मामले में माल भाड़े का मुख्य स्थान है। कच्चे माल के मूल्य में माल भाड़े का विशेष स्थान है। मूल्य केवल परिवहन पर निर्भर नहीं करता बल्कि इस पर निर्भर करता है कि परिवहन किस प्रकार का है। कभी कभी हमें किन्हीं क्षेत्रों में सड़क परिवहन पर और कभी रेलवे, जो छोटी लाइन वाली या मीटर लाईन हो सकती है, पर निर्भर करना पड़ता है। इनके मालभाड़ों में भिन्नता रहती है। फिर भिन्न भिन्न वस्तुओं के मालभाड़े में भिन्नता रहती है। माल भाड़े के साथ साथ कच्चे माल के लिय उचित माध्यम पर भी ध्यान देना होता है।

माल भाड़े में समानता लाने की बात समझ में आती है। इसकी माननीय सदस्य ने के चर्चा की है। हम इस प्रकार क्षत्रीय असन्तुलन को समाप्त कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान में मालभाड़े की समानता आंशिक रूप से सहायक हो सकती है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इसके लिये पिछड़े क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास से वहां के लोगों की सहायता की जा रही है। सरकार के औद्योगिक नीतियों का एक पहलू यह है कि उन लोगों या उद्योगपतियों को लाइसेंस के बारे में छूट दी जाये जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगे।

इसका तात्पर्य यह नहीं कि मालभाड़े में समानता लाना आवश्यक नहीं। मंत्रालय तथा एक सम्मिति ने इस पर पूरी तरह से विचार किया था और यह पाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल के मामलें में मालभाड़े में समानता की बात अन्य देशों में नहीं है। हमें यह जानकारी मिली कि अमरीका, रूस या चीन या ब्राजील जैसे देशों में यह प्रचलित नहीं है।

कोयला और लोहे के मामले में माल भाड़े में समानता लाने और पटसन तथा कपास के मामले में न देने का उत्तर यह है कि वे दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, बुनियादी कच्चा माल है और दूसरी गैर-बुनियादी कच्चा माल है। बुनियादी तथा गैर-बुनियादी कच्चे माल को आर्थिक दृष्टि से ध्यान में रखना होगा। विभिन्न स्थानों पर मजदूरी ढांचे पर भी ध्यान देना होगा। यह भिन्न है। पूर्वी क्षेत्र में कम मजदूरी ढांचें के कारण कुछ सुविधाएं हैं। मजदूरी ढांचे में सुविधा के कारण माल भाड़े के अधिक होने की असुविधा समाप्त हो जाती है। मैं वैसे सिद्धांत रूप से इसे ठीक नहीं समझता।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) यह एक शर्मनाक तर्क है (**व्यवधान**)

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वास्तव में यह ठीक है लेकिन सिद्धांत में मैं इसे नहीं मानता।

कहा गया है कि हम बहुत अधिक नकद राजसहायता दे रहे हैं। कपड़े के मामले में आरम्भ में यह 15 प्रतिशत होनी थी। हमने इसे कम करके 5 प्रतिशत किया है। पटसन उत्पादकों को इस वर्ष सब से अधिक दाम मिले हैं। इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है। उन्हें 54 रुपये तथा 56 रुपए प्रतिमन की दर से दाम दिये गये। मैं चाहता हूं कि उन्हें और भी अधिक दाम मिले।

डा० सरदीश राय : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सिफारिश की है कि उत्पादकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दाम नहीं मिल रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने आपके सामने सारे तथ्य रख दिये हैं।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

हमने अपनी कपास श्रम नीति को पुनरीक्षित कर दिया है । हमने भारतीय कपास निगम को क्रय करने के लिय कह दिया है । उन्होंने क्रय करने का इस दृष्टि से निर्णय ले लिया है जिससे उत्पादकों को लाभ हो । इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं । इस बारे में निदेश जारी किये जा चुके हैं । नकदी सहायता योजना के बारे में बहुत सी गलतफहमियां है । नकदी क्षतिपूर्ति समर्थन की सुविधायें औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के लिये इस दृष्टि से प्रदान की गयी है ताकि हमारा माल अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतियोगिता कर सके । इस सुविधा को प्रदान करते समय हम इस पर पुनः विचार करते हैं ।

हमें इस संकल्प पर ध्यानपूर्वक विचार करना है क्योंकि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है । इस समस्या पर योजना आयोग ने भी विचार किया है जिसका अर्थ यह है कि योजना आयोग भी इसके महत्व को समझता है । हमारी नीति यह है कि आयातित कपास की निर्भरता को कम किया जाय तथा स्थानीय कपास उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाये इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं श्री दासचौधरी से कहूंगा कि वे अपने संकल्प को वापिस ले लें ।

श्री बी० के० दास चौधरी : एक ओर तो मंत्री महोदय मुझसे से यह कह रहे हैं कि संकल्प वापस ले लूं तथा दूसरी ओर कहत हैं कि सरकार इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेगी । कितना अच्छा होता यदि मंत्री महोदय यह कहते कि संकल्प की मूल भावना सरकार तथा योजना आयोग के विचाराधीन है । मंत्री महोदय बहुत सी बातें कह गये लेकिन वे यह कहना भूल गये कि कपास, तिलहन तथा जूट की औद्योगिक विकास के लिये इतना ही बुनियादी माल है । उन्होंने एसा कुछ नहीं कहा । जो कुछ कहा केवल यही कहा कि राजनैतिक दर्शन की बातें हैं । मंत्री महोदय ने रेलवे में भाड़े के दूरगामी दर की बात भी कही है । लेकिन भाड़े की इस प्रकार की प्रणाली कपास तथा तिलहनों के बारे में क्यों नहीं अपनायी गयी ? इसके लिये सरकार ही जिम्मेदार है ।

पूर्वी क्षेत्र का मजदूरी ढांचा बहुत ही कम है । ब्रिटिश मालिकों ने भी कहा होगा कि उद्योगों के सन्तुलित विकास के लिये पूर्वी क्षेत्र का मजदरी ढांचा बहुत कम है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ऐसा क्यों नही कहते कि उचित समय पर इन बातों को ठीक कर दिया जायेगा ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने भी ऐसा ही कहा है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : आपने यह स्वीकार नहीं किया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के उचित विकास में गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न हो गया है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस लिये मैं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : सरकार अभी तक विचार ही करती रही है । मैं सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वेतन ढांचों में असन्तुलन समाप्त कर के वह सारे देश में एक समान वेतन ढांचा लागू करेंगे । बिहार, असाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र के श्रमिकों को अन्य श्रमिकों के मुकाबले काफी कम वेतन मिलता है । (व्यवधान)

मन्त्री महोदय ने यह कहा कि पटसन उत्पादकों को जितनी अधिक कीमत इस साल मिल रही है, उतनी अधिक कीमत पहले कभी नहीं मिली। वह यह क्यों भूल जाते हैं कि कलकत्ता के बाजार में जिस पटसन की कीमत 56 रु० मन होती है,। उसमें 27--30 रु० प्रति मन ढुलाई आदि में ही खर्च हो जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पहले भी कभी इतनी अधिक वृद्धि हुई थी ?

जब अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो पटसन की कीमतों में क्यों वृद्धि नहीं की जाती ? इस प्रकार की मूल्य वृद्धि न करना निर्धन पटसन उत्पादकों के प्रति घोर अन्याय है, जो देश के लिये भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते ह। मंत्री महोदय ने कहा है कि विश्व के विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक मूल्य देना संभव नहीं है। सरकार कपास तथा अन्य वस्तुओं के मामले में 5 प्रतिशत नकद सहायता क्यों दे रही है ? सरकार इसी प्रकार की कुछ सहायता अन्य उत्पादकों को क्यों नहीं देती; मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह जूट-उत्पादकों को उचित और लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये प्रयास करें।

इन शब्दों के साथ मंत्री महोदय की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Resolution was, by leave, withdrawn

श्रमिको को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी

RESOLUTION REGARDING NEED BASED MINIMUM WAGES FOR WORKERS

डा० सरदीश राय (बोलपूर) : मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों की घटती हुई वास्तविक मजदूरी और पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने में सरकार की असफलता पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों की घटती हुई वास्तविक मजदूरी और पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने में सरकार की असफलता पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।"

आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें जबकि यह विषय आये।

---

15 अगस्त, 1973 को लालकिले में टाईम कैपसूल के साथ भूमि में गाड़े गये ऐतिहासिक दस्तावेजों के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. HISTORICAL DOCUMENTS BURIED WITH THE TIME CAPSULE AT THE RED FORT ON 15-8-1973

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अधीन चर्चा होगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwaliar) : This discussion is going on regarding the time capsule which was buried on 15th August 1973. Shri Sezhiam had written to the Speaker requesting him to ask the Education Minister to lay on the Table of the House the authorised version of matter in time capsule. All there things have already been publihed in the news paper then why should the house be kept in the dark.

Shri Naval Kishore Sharma (Dusa) : It is a very strange demand that authorised version of the time capsule should be laid on the Table of the House. the historians have buried in the time capsual what ever matter they have thought proper for the posterity.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : 19 नवम्बर, 1973 को एक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था कि काल पात्र के सीमित बारे में भावी पीढियों के लिये हमारे युग के एक अधिकृत रिकार्ड को सुरक्षित रखना ही इसका उद्देश्य था। इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इस दस्तावेज के मूल पाठ के समकालीन प्रकाशन अथवा उसे सभापटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय सदस्य जब अपनी बात कह चुकेंगे, उसके बाद मैं उनका उत्तर दूंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है । **(व्यवधान)**

इस कालपात्र में केवल मिथ्या और गलत बातें ही भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रहेंगी। मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कई बातों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण रखा है । समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उससे पता चलता है कि उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है । यह सरकार ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य को भ्रष्ट कर रही है । **(व्यवधान)**

यह सरकार बेईमान और भ्रष्ट सरकार है ।

सभापति महोदय : जब तक आपको तथ्यों का पता ही नहीं, तब तक आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखे जाने वाले किसी भी दस्तावेज को गोपनीय नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उसमें कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया गया हो । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप ये बातें अपने भाषण के दौरान कह सकते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : विगत स्वतन्त्रता दिवस को भावी युग के लिये ऐतिहासिक लाल किले पर भारत की स्वतंत्रता से संबंधित घटनाओं का रिकार्ड, जिसमें 15 अगस्त, 1947 से 15 अगस्त, 1972 तक की अवधि की घटनायें हैं, एक कालपात्र के साथ भूमि में गाड़ा गया है । उक्त कालपात्र में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र, संविधान तथा भाखड़ा नंगल की माइक्रो फिल्म और 14-15 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में दिये गये भाषणों के रिकार्ड आदि

रखे गए हैं। जैसा कि श्री बाजपेयी और श्री मिश्र ने कहा है, बेहतर तो यह होता कि मन्त्री महोदय संबद्ध दस्तावेजों को प्रकाशित कर देते अथवा उन्हें सभा पटल पर रखते। मेरी समझ में नहीं आता कि समकालिक नागरिकों के समक्ष जाहिर किये बिना ही किसी अभिलेख को 5,000 साल बाद की पीढ़ियों के लिये क्यों सुरक्षित रखा जा रहा है ?

संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयार्क विश्व मेले में 1938 में जो कालपात्र भूमि में गाढ़ा गया था, उसके अन्दर रखी गयी पुस्तकों आदि की प्रतियों को विश्व के सभी देशों के संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में निःशुल्क वितरित किया गया था।

कालपात्र में रखी गई "इंडिया सिन्स 1947" पुस्तक की प्रति मेरे पास है, जिसे मैं प्राधिकृत करके अपने भाषण के अन्त में सभा पटल पर रखूँगा।

5 दिसम्बर को मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था जिसमें मैंने मंत्री महोदय से अभिलेखों की प्रति सप्लाई करने का अनुरोध किया था। उसी दिन मेरी आधे घण्टे की चर्चा को कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया।

भावी ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता स्वयं ही भारत में संसदीय लोकतन्त्र का मूल्यांकन करेगा। जब वह लालकिले के कालपात्र में रखे तथ्यों में अन्तर्विरोध और असंगतियां पायेगा, तो वह अत्यधिक दुःखी होगा। इस प्रश्न पर राजनीति को बीच में लाये बिना ही विचार किया जाना चाहिये।

इस कालपात्र में 1947-72 की अवधि के दौरान भारतीय इतिहास का विवरण है, परन्तु इस इतिहास में महात्मा गांधी की हत्या किये जाने की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें प्रथम गवर्नर जनरल श्री सी० राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डा० राजेंद्र प्रसाद तथा बाद के अन्य राष्ट्रपतियों डा० राधा कृष्णन, डा० जाकिर हुसैन और वर्तमान राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी का भी कोई उल्लेख नहीं है। इसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम का भी कोई उल्लेख नहीं है।

इसमें जिन सात व्यक्तियों के नामों का उल्लेख हैं, उनमें से चार के प्रति मैं पूर्ण सम्मान की भावना रखता हूं। वे नाम हैं—महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी।

इस कालपात्र में महात्मा गांधी की हत्या, केरल में नम्बुद्रीपाद की कम्युनिस्ट सरकार का गठन, 1967 के बाद संविद सरकारों और अम्बेडकर तथा ई० वी० रामास्वामी नायकर जैसे समाजसुधारकों का उल्लेख किया जाना चाहिये था।

जिन तीन अन्य व्यक्तियों के नामों का कालपात्र में उल्लेख है, उनमें राष्ट्र संघ के मेडियेटर श्री जी० आई० मैनारन के नाम का तो उल्लेख है, परन्तु श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, जिन्होंने ताश्कंद में शांति-समझौता किया।

डी० एम० के० का उदय पिछले 25 वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना है। परन्तु तमिल नाडु के पहले डी० एम० के० मुख्य मंत्री के नाम का कालपात्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि सर डिक्सन और फ्रैंक ग्रहम जैसे संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थों के नामों का उसमें उल्लेख है।

[श्री सेझियान]

इनके नामों के पश्चात् काश्मीर विवाद के संबंध में कालपात्र में लिखा गया है कि "काश्मीर में जनमत संग्रह का प्रश्न तब तक पैदा नहीं होता जबकि पाकिस्तानी सेनाओं को वहां से नहीं निकाला जाये ।" परन्तु क्या आज हम इस मत को मानते हैं ?

इसी प्रकार देश के राजनैतिक दलों के संबंध में अरुचिकर बातें लिखी गई हैं । जनसंघ का उल्लेख युद्धप्रिय रूढ़िगत विचारों वाला दल किया गया है। श्री श्यामनन्दन के दल का उल्लेख कांग्रेस (संगठन) न करके कांग्रेस (विपक्ष) किया गया है, जिसकी स्थापना 1968 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अखिल भारतीय काँग्रेस पार्टी से अलग होने पर किया गया बताया गया है । कम्युनिस्ट दल संबंधी उल्लेख भी ऐसा है जिसे पढ़ कर कार्ल मार्क्स अपनी कब्र में आराम से सोया नहीं रह सकता । स्वयं कांग्रेस (सत्ताधारी) के संबंध में भी जो उल्लेख है वह इस प्रकार है "श्रीमती इंदिरा गांधी के समूह के नेतृत्व वाली कांग्रेस ।" इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस दल का नेतृत्व किसी समुह द्वारा किया जा रहा है ।

[**डा० सरदीश राय** पीठासीन हुए
Dr. Saradish Roy *in the Chair*]

इस कालपात्र में इसी तरह की गलत और असंगत बातें कही गई हैं । भारत सरकार के एक प्रकाशन "भारत-1973" में पिछले 25 वर्षों के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए कहा गया है कि "सुरक्षा और नये जीवन की खोज में इस देश में आने वाले 90 लाख व्यक्तियों को घर और काम देने के महान काम में इस नये जन्मे राज्य के संसाधन लगा दिये गये" परन्तु दूसरी ओर इस कालपात्र में इस बारे में उल्लेख करते हुए कहा गया है "कि नये बनाए गए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आने वाले 85,00,000 गैर-मुसलमानों को तत्काल राहत देने और फिर उन्हें बसाने के आवश्यक प्रबंधक करने ..." कुछ वाक्यों के पश्चात् यह संख्या घट कर 80 लाख ही रह गई है । इस प्रकार की असंगतियां अवांछनीय है ।

देश की परिस्थितियों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा गया है "कि संविधान में, ब्रिटेन के अनुसार, संसदीय सरकार का उपबंध है।" यह वर्णन भी उपयुक्त नहीं है । इसके बारे में आगे उल्लेख है "कि संसद सदस्यों का चुनाव, कुछेक को छोड़कर, सामान्यता पांच वर्ष के पश्चात् सीधे जनता द्वारा किया जाता है ।" आगे कहा गया है "कि राष्ट्रपति को पिछड़े समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कुछ सदस्यों को नाम-निर्देशित करने की शक्ति प्राप्त है ।" परन्तु संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है ।

सिंचाई और बिजली संबंधी परियोजनाओं का वर्णन करते हुए भाखड़ा-नांगल तथा व्यास परियोजनाओं को गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं बताया गया है ।

राज्यों की विधान परिषदों का उल्लेख करते हुए कहा गया है "कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा किया जाता है । जबकि संविधान के अनुसार विश्वविद्यालयों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं केवल स्नातकों और अध्यापकों को प्राप्त है ।"

इसी प्रकार बंगलादेश की स्थापना के समय हुए भारत पाकिस्तान युद्ध का वर्णन भी उचित नहीं । उससे प्रतीत होता है कि हमने युद्ध किया बाद में युद्धविराम हुआ जिसके परिणामस्वरूप बंगलादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई । भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में "भारत-1973"

पुस्तक में लिखा है "कि उत्तर-पश्चिम में भारत की सीमा पर अफगाणिस्तान और पाकिस्तान स्थित हैं। परन्तु कालपात्र के वर्णन में अफगाणिस्तान का नाम नहीं है। कालपात्र में भारत की जनसंख्या के आंकड़ों का वर्णन नहीं किया गया है। इस कालपात्र के पाठ्य को पढ़ने वाले को भविष्य में भारत की जनसंख्या का कोई अनुमान इससे प्राप्त नहीं होगा। देश की भाषाओं के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया गया है, जब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इन 25 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का बहुत अधिक विकास हुआ है। इन भाषाओं में इन वर्षों में पर्याप्त साहित्य का प्रकाशन हुआ है। परन्तु वर्णन करते हुए केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 1957 में अपने गठन से लेकर अब तक 750 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

इन सब बातों को देखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि इस कालपात्र 81 पाठ प्रकाशित किया जाय यदि पाठ दोषमुक्त प्रतीत हो तो विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जायें। इसके पाठ में देश के विपक्षी राजनैतिक दलों के साथ ही अन्याय नहीं किया गया है अपितु सारे भारतीय जनजीवन के साथ अन्याय किया गया है। यह अन्याय एक ऐसे मंत्री द्वारा किया गया है जोकि अपने बारे में लम्बे लम्बे दावे करते हैं और अपने आप को इतिहासज्ञ कहते हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए
Shr K. N. Tiwari *in the Chair*]

यदि कोई गलती हुई है तो उसे आज ही ठीक किया जाय यह नहीं कि 5000 वर्ष पश्चात् इस बात को देखा जाय कि भारत के आज के इतिहासज्ञों ने गलत बातें लिखीं। अंत में मुझे इस पाठ की अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत प्रति सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिऐ संख्या एल० टी० 5928A/73]

सभापति महोदय : इसे अध्यक्ष महोदय को भेजा जायेगा। यदि वह अनुमति देंगे तो सभा पटल पर रखा जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने मुझे प्रमाणिकृत प्रति सभापटल पर रखने की अनुमति दे दी थी। अतः श्री सेझियान को भी अनुमति दी जाय।

Mr. Chairman : It will be examined. There are a number of speakers on both sides who want to speak. Therefore if you like it may be taken up on some other day. Business Advisory Committee would fix up time for this.

प्रो० एस० नूरूल हसन : मुझे अगले सप्ताह एक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये विदेश जाना है।

Mr. Chairman : In that case there are two alternatives. It is going to be six. If members speak briefly we can finish it by 7 p.m. Otherwise we will have to take it up on other day when the time is allotted for it.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कार्य मंत्रालय समिति ने 5—9 बजे तक का समय इसके लिये नियत किया है। उसके पश्चात् हम इस चर्चा को दोनों पक्षों को सुविधाजनक किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर देंगे।

Mr. Chairman: Do all agree to it that we should continue till 7 p.m. and then adjourn it to some other day.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We feel that the hon. Minister should be present during the resumed discussion, because it is he who is responsible for this.

Shri Shyamnandan Mishra : I request that Prime Minister should also be present during the resumed discussion because the Capsule has been buried by her.

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : I have heard Shri Sezhiyan and feel that the version given by him can not be the correct version. In preparing the text of the time capsule Government must have consulted Indian Council of Historical Research. Prominent historians, suh as Shri R. S. Sharma, Prof. B. Sheik Ali, Shri Satish Chandra... are represented on this Council...

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 10 दिसम्बर, 1973/19 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 10, 1973/Agrahayana 19, 1895 (Saka).

GIPN—S1—33 L.S.S./73—14-3,74—490.

P.L.S. 48 XXXIII. 20. 73 (N)
490

©1973 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।
लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित।

© 1973 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT
PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH) EDITION AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.